

सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



**हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2**

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

**हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2**

अनुक्रमणिका

	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	ix
कार्यकारी सारांश	-	xi-xvi
अध्याय-I		
विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2-3
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	5
सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण	1.4	5-8
वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)	1.4.1	9-10
सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट	1.4.2	10
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	11
मुख्य राजकोषीय मापदण्डों और उपलब्धियों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	1.5.1	12-13
मध्यावधि राजकोषीय योजना	1.5.2	13-15
घाटे/अधिशेष की प्रवृत्ति	1.5.3	15-17
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे	1.6	17
राजस्व एवं राजकोषीय घाटा- लेखापरीक्षा अवलोकन	1.6.1	17
लेखापरीक्षा के बाद- कुल लोक ऋण	1.6.2	17-18
अध्याय-II		
राज्य के वित्त		
प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	19-20
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	21-22
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	23
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास	2.3.2.1	23-26
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	26-32
केन्द्रीय अन्तरण	2.3.2.3	32-36
पूँजीगत प्राप्तियां	2.3.3	36-37

	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	37-38
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	38
व्यय की वृद्धि एवं संघटक	2.4.1	38-41
राजस्व व्यय	2.4.2	41-43
राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन	2.4.2.1	43-44
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	44-46
राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना	2.4.2.3	46-47
सब्सिडी	2.4.2.4	47
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता	2.4.2.5	47-48
पूँजीगत व्यय	2.4.3	49
पूँजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन	2.4.3.1	49-54
व्यय प्राथमिकता	2.4.4	54-55
वस्तु शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	55
लोक लेखा	2.5	55
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	55-57
आरक्षित निधियां	2.5.2	57-58
समेकित ऋण शोधन निधि	2.5.2.1	58
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.5.2.2	58-59
प्रत्याभूति विमोच्य निधि	2.5.2.3	59-60
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	2.5.2.4	60
उचंत एवं विविध	2.5.3	60
ऋण प्रबंधन	2.6	60-61
ऋण रूपरेखा: घटक	2.6.1	61-65
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी	2.6.2	66-68
ऋण धारणीयता विश्लेषण	2.7	68-70
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	70-71
गारंटी (प्रत्याभूति) - आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति	2.7.2	72-73
नकद शेष का प्रबंधन	2.7.3	73-76
निष्कर्ष	2.8	76-77
सिफारिशें	2.9	78
अध्याय-III		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	79-80
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश	3.1.1	80

	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	80-81
विनियोजन लेखे	3.2	81
बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3	81
कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	81-82
विनियोजन अधिनियम द्वारा अन्तरण (बैंक खातों में) अधिदेशित न करना	3.3.2	82-83
व्यय का गलत वर्गीकरण	3.3.3	83
अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	3.3.4	83-85
पुनर्विनियोजन हेतु पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता	3.3.5	85
अनावश्यक अथवा अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	3.3.6	86-87
बचतें	3.3.7	87-91
व्यय अधिक्य तथा इसका विनियमन	3.3.8	92
वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित व्यय आधिक्य	3.3.8.1	92-93
कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.3.8.2	93
विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन	3.3.8.3	94
पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान	3.3.9	94-95
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	95
बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	3.4.1	95-96
अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत	3.4.2	97-98
बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय	3.4.3	98
योजनाएं तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनमें वास्तविक निधियन	3.4.4	98-101
व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	101-102
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	102
अनुदान संख्या 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.5.1	102-104
अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल और भवन	3.5.2	104-105
निष्कर्ष	3.6	106
सिफारिशें	3.7	106
अध्याय-IV		
लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता		
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां	4.1	107
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर	4.1.1	107-108
समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण	4.1.2	109
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां	4.1.3	109-110

	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
नियामक	4.2	110-112
सब्याज निक्षेपों के ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं निर्वहन न करना	4.3	112
स्थानीय कोषों के निक्षेप	4.4	112-113
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.5	113-115
अनुदेयी संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6	115
सार आकस्मिक बिल	4.7	116
व्यक्तिगत निक्षेप लेखे	4.8	117-118
लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.9	118-120
मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	120-122
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.11	122
नकद शेष का मिलान	4.12	122
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	123-124
लेखाओं/स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.14	124-125
निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना	4.15	125-126
लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता	4.16	126
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	4.17	126-128
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाई	4.18	128
निष्कर्ष	4.19	128-129
सिफारिशें	4.20	129
अध्याय-V		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
सरकारी कंपनियों/ निगमों की परिभाषा	5.1	131
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	131-132
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.3	132-133
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.4	133
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में धारण इक्विटी एवं ऋण	5.4.1	133-134
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजटीय सहायता	5.4.2	134-135
ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.4.3	135-136

	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.4	136
विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	5.4.5	136
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल	5.5	136
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	136-137
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान	5.5.2	137-138
ऋण अदायगी	5.6	138
ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	138-139
राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का आयुवार- विश्लेषण	5.6.2	139-140
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन	5.7	140
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	5.7.1	140-141
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.2	141-142
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.7.3	142-144
राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	5.8	144
हानि	5.8.1	144-145
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण	5.8.2	145
उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) स्कीम का कार्यान्वयन	5.9	145
वित्तीय बदलाव	5.9.1	145-146
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.10	146
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11	146
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.12	146
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.12.1	146-147
सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता	5.12.2	147-149
सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता	5.12.3	149
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	149
वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा	5.13.1	149
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.13.2	149
सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.3	150

	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम	5.14	150
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.14.1	150
वित्तीय विवरणियों का संशोधन	5.14.2	150-151
लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण	5.14.3	151
अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम	5.14.4	151
सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक के रूप में जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां	5.14.5	152-156
सांविधिक निगम, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है	5.14.6	156
लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों की अनुपालना न करना	5.15	157
प्रबंधन पत्र	5.16	157-158
निष्कर्ष	5.17	158
सिफारिशें	5.18	159

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ सं.
1	राज्य की रूपरेखा	1.1	161
2	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	2.3.2.1 एवं 2.4.1	162-164
3.1	बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	3.1	165-167
3.2	अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.6	168-170
3.3	विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण	3.3.7	171-172
3.4	निरंतर बचत वाले मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक)	3.3.7	173
3.5	उन योजनाओं का विवरण जहां एक करोड़ से अधिक का प्रावधान तो किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया	3.4.4	174-177

3.6	अनुदान जहां 50 प्रतिशत से अधिक व्यय केवल मार्च में किया गया था, (प्रतिशत का अवरोही क्रम)	3.4.5	178-179
4.1	31 मार्च 2021 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र	4.5	180-185
4.2	31 मार्च 2021 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेष को दर्शाने वाली विवरणी	4.8	186-188
4.3	स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण/संस्थाओं की सूची	4.14	189-190
5.1	31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के नाम, निगमन का माह व वर्ष (उनके संक्षिप्त विवरण सहित) दर्शाने वाला विवरण	5.3	191-195
5.2	31 मार्च 2021 को राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में किए गए इक्विटी व दीर्घवधि ऋण के निवेश को दर्शाने वाला विवरण	5.4.1	196-198
5.3	30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दिए लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्तमान वर्ष हेतु संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	5.5.1	199-201
5.4	01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2020-21 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	5.7.3	202-206
5.5	30 नवंबर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या सहित बकाया लेखाओं वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सूची	5.12.2	207
5.6	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी	5.14.4	208
5.7	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनियों द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों अनुपालन न करना सूचित किया	5.15	209
5.8	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां प्रबंधन-पत्र जारी किए गए	5.16	210

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-I राज्य का विहंगावलोकन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान, सरकारी लेखाओं की संरचना तथा राज्य के वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट) प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

'लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर अध्याय-IV चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

'राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम' पर अध्याय-V में सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणियों/प्रदर्शन पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

विभिन्न विभागों में हुए लेनदेनों की लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं बजट प्राक्कलनों की तुलना में 2020-21 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आंकलन; तथा राज्य सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे कई स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त जानकारी पर आधारित यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करता है।

अध्याय-I इस प्रतिवेदन एवं अंतर्निहित डेटा (विवरणों) के मूल आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जिसमें सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय-II वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों, विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-III विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान-वार विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य-पद्धति में कमियों व चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणामों पर टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

अध्याय-IV राज्य सरकार की विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं की गुणवत्ता का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-V में सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणियों/प्रदर्शन पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I: विहंगावलोकन

- राज्य सरकार ने घाटे से उबरने के उपायों एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य प्रदान करने के लिए अप्रैल 2005 में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। घाटे व ऋण स्तर हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया।
- वर्ष 2020-21 के दौरान 15वें वित्तायोग एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजस्व अधिशेष को बनाए रखने के लक्ष्य के विपरीत, राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत वास्तविक राजकोषीय घाटा 15वें वित्तायोग के लक्षित चार प्रतिशत के भीतर रहा, परन्तु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। कुल बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जो 42.91 प्रतिशत था, 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (36 प्रतिशत) से काफी ऊपर था।

(परिच्छेद 1.5.1)

- वर्ष 2020-21 के दौरान गत वर्ष के ₹ 12 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। विगत वर्ष (₹ 5,597 करोड़) की तुलना में 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 5,700 करोड़) में ₹ 103 करोड़ की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान प्राथमिक घाटा 2019-20 के ₹ 1,363 करोड़ से घटकर ₹ 1,228 करोड़ हो गया।

(परिच्छेद 1.5.3)

अध्याय II: राज्य के वित्त

- 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष से 8.77 प्रतिशत (₹ 2,695.86 करोड़) की वृद्धि पाई गई। करों एवं कर-भिन्न को मिला कर राज्य के स्वयं के संसाधनों से मात्र 31 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां हुईं जबकि शेष 69 प्रतिशत, केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश (14 प्रतिशत) तथा भारत सरकार के सहायता-अनुदान (55 प्रतिशत) मिलकर केन्द्रीय अंतरणों द्वारा प्राप्त हुई।

(परिच्छेद 2.3.2.1)

- पांच वर्ष की अवधि (2016-21) में कुल व्यय में ₹ 7,031.31 करोड़ (21.88 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 39,164.25 करोड़) विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 2,801.70 करोड़ (7.70 प्रतिशत) बढ़ गया। 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 78.9 प्रतिशत से 86.7 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। 2016-21 की पांच साल की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय, राज्य के राजस्व व्यय में (67-71 प्रतिशत) व राजस्व प्राप्तियों में (65-70 प्रतिशत) प्रमुख हिस्सा रहा।

(परिच्छेद 2.4.1, 2.4.2 व 2.4.2.2)

- 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 5,309 करोड़) विगत वर्ष 2019-20 से ₹ 136 करोड़ (2.62 प्रतिशत) बढ़ गया तथा 2019-20 के 14.23 प्रतिशत की अपेक्षा कुल व्यय का 13.56 प्रतिशत रहा।

(परिच्छेद 2.4.3)

- वर्ष की समाप्ति पर समग्र राजकोषीय देयता वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में दिए गए ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ने के बाद ₹ 67,164.75 करोड़ रही। 2020-21 में इनमें विगत वर्ष के 14.57 प्रतिशत की तुलना में 7.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयता का अनुपात 42.91 प्रतिशत था (एक के बाद ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़कर)।

(परिच्छेद 2.6.1)

- 31 मार्च 2021 को ₹ 43,845 करोड़ (एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं ₹ 618 करोड़ जिनकी परिपक्वता अनिश्चित थी, को छोड़ कर) के लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा से पता चला कि 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण चुकौती व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,416 करोड़ होगा। 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजारी ऋण चुकौती व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 4,211 करोड़ रहेगा।

(परिच्छेद 2.6.2)

अध्याय III: बजटीय प्रबंधन

- 2020-21 में कुल बजट प्रावधान ₹ 61,597 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 53,139 करोड़ (86 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8,458 करोड़ (14 प्रतिशत) की बचत हुई। 2020-21 में पांच मामलों (पांच अनुदानों से संबंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 88.69 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ।

(परिच्छेद 3.1.1 व 3.3.8.1)

- 2020-21 के दौरान 10 अनुदानों (राजस्व/पूंजीगत- दत्तमत एवं प्रभारित-दत्तमत) के तहत 10 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए, जहां ₹ 140.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। तीन मामलों में ₹ 349.83 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि कुल ₹ 88.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे।

(परिच्छेद 3.3.4)

- 13 मामलों में पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व उससे अधिक की बचत) अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। दूसरी ओर, 13 मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि इन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य बना हुआ था।

(परिच्छेद 3.3.6)

अध्याय IV: लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

- ₹ 3,557.83 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 2,799 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,587.07 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,487 उपयोगिता प्रमाणपत्र 2015-16 से 2018-19 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 3,557.83 करोड़ की राशि में से 69.43 प्रतिशत तीन विभागों से सम्बंधित थे- पंचायती राज: 35.68 प्रतिशत (₹ 1,269.55 करोड़); शहरी विकास: 20.96 प्रतिशत (₹ 745.69 करोड़); तथा ग्रामीण विकास: 12.79 प्रतिशत (₹ 454.98 करोड़)।

(परिच्छेद 4.5)

- 2020-21 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 970 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 38,844 करोड़) का 2.50 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति 48 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,332 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 33,441 करोड़) का 3.98 प्रतिशत थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई थीं।

(परिच्छेद 4.9)

अध्याय V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

- 31 मार्च 2021 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 अन्य उद्यम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 19 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम व चार सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं।

(परिच्छेद 5.3)

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से, 2019-20 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा ₹ 36.24 करोड़ के अर्जित लाभ की अपेक्षा, नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 11 कार्यशील उद्यमों द्वारा ₹ 28.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए थे या उनके पास दर्ज करने योग्य लाभ व हानि

नहीं थे (व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं हुआ था या आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी)।

(परिच्छेद 5.5.1)

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन उद्यमों ने ₹ 2.25 करोड़ (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: ₹ 1.54 करोड़ व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़) का लाभांश घोषित/भुगतान किया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.58 करोड़ का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया/प्रदान नहीं किया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष चार उद्यम, राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने हेतु योग्य/अपेक्षित नहीं थे।

(परिच्छेद 5.5.2)

- 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 17.51 प्रतिशत था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 26 कार्यशील उद्यम, जिसमें घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यम भी सम्मिलित हैं, का इक्विटी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा।

(परिच्छेद 5.7.2)

- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 518.60 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 146.43 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उन्हें क्रमशः ₹ 185.32 करोड़ एवं ₹ 105.98 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.8.1)

- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों में ₹ 4,074.85 करोड़ की संचित हानि पाई गई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 में से नौ उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ या तो शून्य था या ऋणात्मक था।

(परिच्छेद 5.8.2)

अध्याय-।
विहंगावलोकन

अध्याय-1 विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग कि.मी.) एवं जनसंख्या की दृष्टि से 21 वां (2011 की जनगणना के अनुसार) सबसे बड़ा राज्य है।

हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है, तदनुसार विशेष श्रेणी में न आने वाले राज्यों से अलग, जहां भारत सरकार से सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त होती है, यह भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य का सामाजिक सूचकांक जैसे साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की आबादी इत्यादि बेहतर स्थिति में है (परिशिष्ट-1)।

1.1.1 हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्य पर)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,53,91,669.01	1,70,90,042.36	1,88,86,956.91	2,03,51,012.89	1,97,45,670.36
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	-2.97
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,25,633.65	1,38,551.06	1,49,442.00 ^क	1,62,816.00 ^ख	1,56,522.32 ^ग

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।


क- द्वितीय संशोधित प्राक्कलन, ख- प्रथम संशोधित प्राक्कलन, ग- अग्रिम प्राक्कलन

वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (-)3.87 प्रतिशत रही, जिसका मुख्य कारण 2019-20 की तुलना में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के अंतर्गत विकास दर में गिरावट है। 2011-12 से 2020-21 की अवधि में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मौजूदा कीमतों पर) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 8.89 प्रतिशत थी, जो सभी विशेष श्रेणी राज्यों (लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश सहित) के औसत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से मामूली रूप से कम थी जोकि 9.76 प्रतिशत था।

1.1.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान

अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि गतिविधियों के साथ-साथ वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन जैसी प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण-कार्य व बुनियादी ढांचा, विद्युत, गैस की आपूर्ति, इत्यादि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा सम्बन्धित सभी गतिविधियां शामिल हैं। 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्षेत्रीय भागीदारी में परिवर्तन तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास चार्ट-1.1 एवं चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है:


चार्ट-1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

जैसाकि उपरोक्त चार्ट-1.1 से स्पष्ट है, 2016-17 व 2020-21 के मध्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की भागीदारी में गिरावट हुई।

चार्ट-1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

उपरोक्त चार्ट-1.2, 2016-21 के दौरान सभी क्षेत्रों की विकास दर में अंतरवर्षीय विचलन को दर्शाता है। 2020-21 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि हुई एवं तृतीयक क्षेत्र की विकास दर में तेज गिरावट हुई। इसका बड़ा कारण कोविड-19 महामारी एवं उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन रहा, जिसने श्रमिक एवं कच्चे माल की उपलब्धता को प्रभावित किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक प्रभावित हुए। सभी क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक के अंतर्गत वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) (12.61 प्रतिशत), खनन व उत्खनन (7.51 प्रतिशत); द्वितीयक के अंतर्गत विनिर्माण एवं निर्माण (11.13 प्रतिशत); तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत अन्य माध्यमों से परिवहन (27.90 प्रतिशत), पर्यटन व आतिथ्य (4.32 प्रतिशत) में तीव्र गिरावट हुई।

1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से बनाते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के इस राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोजन लेखों से कोर डेटा (मुख्य विवरण) लेकर तैयार किया गया है। सम्मिलित अन्य स्रोत निम्न हैं:

- वर्ष 2020-21 का राज्य बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ मनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) से प्राप्त अन्य विवरण;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए गए विश्लेषण 14वें एवं 15वें वित्तायोग, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं भारत सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों की संस्तुतियों पर आधारित है।

इस राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा राज्य सरकार को टिप्पणी हेतु प्रेषित (9 मार्च 2022) किया गया था; सरकार के उत्तर/टिप्पणियां मार्च 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में निरूपित किया गया है:

अध्याय-I	संक्षिप्त विवरण यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित डेटा का वर्णन, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय-II	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त लेखाओं के आधार पर राज्य वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य, विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - III	बजट प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोजन लेखाओं एवं राज्य सरकार के विनियोजन व आवंटन प्राथमिकताओं पर तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन की रिपोर्ट पर आधारित है।
अध्याय - IV	लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं (परंपराओं) की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों व विनियमों की अनुपालन न करने के मुद्दों की व्याख्या करता है।
अध्याय - V	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के नवीनतम लेखाओं से उजागर वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

भाग-I राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों में प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय

अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि नियमानुसार एवं किसी उद्देश्यार्थ तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से ही विनियोजित की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती है तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग-II राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका की अनुज्ञा हेतु लम्बित है ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु दिए अग्रिमों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य को समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

भाग-III राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (सब्याज व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (जिसमें दोनों अस्थाई शीर्ष, अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित है) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

यह संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। "वार्षिक वित्तीय विवरणी" मुख्य बजट दस्तावेज होता है। बजट दस्तावेज राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों/शुल्कों के अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वो सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य-कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा

विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (जिसमें परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान शामिल हो) पर किए गए हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्ति:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इत्यादि;
- **ऋण-भिन्न प्राप्ति:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां।


पूँजीगत व्यय में भू-अधिग्रहण, भवन, मशीन, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए ऋण व अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

सरकार में लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली - कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों हैं।

	लेनदेन की विशेषता	वर्गीकरण
नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा मानकीकृत मुख्य व लघु शीर्षों की सूची	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/ विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंक)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन-अंक)
राज्यों को दी गई ढील	योजना	उप-शीर्ष (दो-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो-अंक)
	आर्थिक स्वरूप/ गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम तथा व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। सरकारी लेखाओं का वर्गीकरण **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली

बजट प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण "वार्षिक वित्तीय विवरणी" के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन हेतु प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है। कुछ राज्य एक से अधिक समेकित बजट भी रखते हैं- ये सह-बजट हो सकते हैं जैसे बाल बजट, कृषि बजट, पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) बजट, विकलांगता बजट इत्यादि।

राज्य बजट नियमपुस्तिका, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है तथा राज्य सरकार को उसके व्यय गतिविधियों की निगरानी करने एवं बजटीय अनुमान बनाने में मार्गदर्शन देती है।

राज्य सरकार के बजटीय प्रबंधन की लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)

तालिका-1.2, 2020-21 हेतु बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम एवं वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका-1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1	स्वयं का कर राजस्व	7,624	9,090	8,083	88.92	5.16
2	कर भिन्न राजस्व	2,501	2,410	2,188	90.79	1.40
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	4,678	6,266	4,754	75.87	3.04
4	सहायता अनुदान और योगदान	15,939	20,673	18,413	89.07	11.76
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	30,742	38,439	33,438	86.99	21.36
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	21	26	23	88.46	0.02
7	अन्य प्राप्तियां	2	0	3	--	0.002
8	उधार व अन्य देयताएं (क)	5,597	5,460	5,700*	104.40	3.64
9	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	5,620	5,486	5,726*	104.38	3.66
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	36,362	43,925	39,164*	89.16	25.02
11	राजस्व व्यय, जिसमें	30,730	39,123	33,535	85.72	21.42
12	ब्याज भुगतान	4,234	4,932	4,472	90.67	2.86
13	पूंजीगत व्यय	5,632	6,614	5,629	85.11	3.60
14	पूंजीगत परिव्यय	5,174	6,255	5,309	84.88	3.39
15	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरित	458	359	320	89.14	0.20
16	कुल व्यय (11+13)	36,362	45,737	39,164	85.63	25.02
17	राजस्व घाटा (-) राजस्व अधिशेष (+) (5-11)	12	(-)684	(-) 97	14.17	(-)0.06
18	राजकोषीय घाटा (16-(5+6+7))	5,597	7,272	5,700	78.38	3.64
19	प्राथमिक घाटा (18-12)	1,363	2,340	1,228	52.48	0.78

स्रोत: वित्त लेखे व राज्य के बजट दस्तावेज

(क) उधार एवं अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां - संवितरण) + निवल प्रारंभिक और समापन नकद शेष।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। यद्यपि वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,763.53 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) ₹ 1,717.00 करोड़ का ऋण भी प्राप्त हुआ, जिस पर राज्य को कोई चुकौती देयता नहीं थी।

1.4.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं, परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं पूंजीगत परिव्यय तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांक्षित स्थिति तालिका-1.3 में दी गई है।

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सारांक्षित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्ति					
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	प्रतिशत में वृद्धि		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	प्रतिशत में वृद्धि		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	39,527.78	42,918.21	8.58	क	सकल पूंजी	44,120.89	49,430.11	12.03
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	1,043.82	3,261.54*	212.46	ख	ऋण व अग्रिम	7,390.50	7,687.59	4.02
आकस्मिक निधि									
क	आकस्मिक निधि	5.00	5.00	--		--	--	--	
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	15,537.13	16,522.64	6.34	क	नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश शामिल)	1,060.18	1,756.24	65.65
ख	निक्षेप	3,380.30	3,461.64	2.41					
ग	आरक्षित निधि	2,722.31	2,717.19	(-) 0.19					
घ	प्रेषण	606.29	541.91	(-) 10.62					
ड	उचंचत एवं विविध	(-)1,330.44	(-)1,539.83	15.74	ख	प्राप्तियों पर व्यय का संचित आधिक्य	8,920.62	9,014.36	1.05
योग		61,492.19	67,888.30	10.40	योग		61,492.19	67,888.30	10.40

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ सम्मिलित है।

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

सरकार जब राजस्व के माध्यम से एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तब घाटा उठती है। सरकारी घाटे की जानकारी देने के कई माप हैं - राजकोषीय घाटा (कुल व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों व ऋण-रहित पूंजीगत प्राप्तियों के योग का अंतर), राजस्व घाटा (राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों का अंतर), प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटे व ब्याज भुगतान का अंतर) है।

घाटों को उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है जो सरकारी ऋण को निश्चित रूप से बढ़ाता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटों को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋण को जोड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार खपत कम करने का बोझ भावी पीढ़ी पर स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों से उधार लेती है परंतु कई/ दशकों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर के ऋण का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही, सरकार का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचत को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

यद्यपि यदि सरकारी घाटे उत्पादन बढ़ाने के उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि द्वारा वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकेगा, ऐसे में ऋण को बोझ नहीं माना जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के संदर्भ में आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। यद्यपि सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया। कार्यक्रमों की बेहतर योजना व बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाकर इसे आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों और उपलब्धियों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्य

राज्य सरकार ने राजस्व घाटा खत्म करके राजकोषीय घाटा एवं समग्र/बकाया ऋण संतोषजनक स्तर तक घटाकर, उन्नत ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, अप्रैल 2005 (2011 में संशोधित) में पारित किया। यह अधिनियम राज्य सरकार को घाटा पूरा करने के उपाय एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले परिणामात्मक लक्ष्य प्रदान करता है, अर्थात् 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना एवं उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना, 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखना तथा 2014-15 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40.1 प्रतिशत तक कम करना। घाटे व ऋण स्तरों हेतु संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन एवं विशिष्ट राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के सुधारों की शर्त पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अधिकतम दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार प्रदान करने का निर्णय लिया। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन एवं विशिष्ट राज्य स्तरीय कार्यान्वयन के निम्नवत सुधारों की शर्त पर अतिरिक्त एक प्रतिशत की अनुमति दी गई: (i) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन; (ii) व्यवसाय सुगम्यता सुधार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स); (iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; एवं (iv) विद्युत क्षेत्र में सुधार। प्रत्येक सुधार का भारांक (वेटेज) कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत था, जो कुल मिलाकर एक प्रतिशत था।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखने के साथ-साथ राजस्व अधिशेष बनाए रखना था, जबकि 2015-16 के बाद से बकाया ऋण के स्तर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

15वें वित्तायोग एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रमुख वित्तीय मापदंडों पर राज्य सरकार का प्रदर्शन तालिका-1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: 2020-21 के दौरान 15वें वित्त आयोग के प्रावधानों तथा हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड	15 वें वित्तायोग में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	वास्तविक	प्राप्तियां (निम्न के अनुसार)	
				15वें वित्त आयोग	एचपी एफआरबीएम अधिनियम
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.4 % राजस्व अधिशेष	राजस्व अधिशेष बनाए रखा	(-) 97	X	X
राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	(-) 4.00	तीन या कम	(-) 3.64	✓	X
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	36.00	उपलब्ध नहीं	42.91	X	--

* कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं; एवं वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं हैं, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2020-21 के दौरान 15वें वित्तायोग एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजस्व अधिशेष को बनाए रखने के लक्ष्य के विपरीत, वास्तविकता में राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत वास्तविक राजकोषीय घाटा, 15वें वित्तायोग में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्षित चार प्रतिशत के भीतर रहा, परन्तु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहा। कुल बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है, क्योंकि इसे राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा) 42.91 प्रतिशत रहा, जो 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (36 प्रतिशत) से काफी ऊपर था।

1.5.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार राज्य सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, बजट के साथ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राज्य सरकार के राजकोषीय लक्ष्य, रणनीतिक प्राथमिकताएं तथा राजकोषीय प्रबंधन हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्यों को बनाया जाता है।

तालिका- 1.5, 2020-21 के राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में बनाए गए अनुमानों तथा वर्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ों के मध्य विचलन को दर्शाती है।

तालिका-1.5: 2020-21 के मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में दिए अनुमानों तथा वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2020-21)	विचलन (प्रतिशत में)
1	कर-भिन्न	9,090	8,083	(-)11.08
2	कर-भिन्न राजस्व	2,410	2,188	(-) 9.21
3	केन्द्रीय करों का राज्यांश	6,266	4,754	(-)24.13
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	20,673	18,413	(-)10.93
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	38,439	33,438	(-)13.01
6	राजस्व व्यय	39,123	33,535	(-)14.28
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (-) (5-6)	(-) 684	(-) 97	85.83
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)7,272	(-)5,700	(-)21.62
9	ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	33.62	42.91*	(-) 9.29
10	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	(-) 3.87	(-)13.87

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है।


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में अनुमानित लक्ष्यों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य अंतर था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 38,439 करोड़ की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों एवं ₹ 39,123 करोड़ के राजस्व व्यय की तुलना में वास्तविक क्रमशः ₹ 33,438 करोड़ व ₹ 33,535 करोड़ रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 684 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे की तुलना में ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों में अनुमानित ₹ 7,272 करोड़ के राजकोषीय घाटे के प्रति ₹ 5,700 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।

अनुमानित एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य ₹ 5,001 करोड़ की गिरावट, कर एवं कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय करों के अंश एवं प्राप्त सहायता-अनुदान में कमी के कारण थी। वास्तविक राजस्व व्यय मुख्य रूप से अनुमानित राशि के प्रति कम प्रतिबद्ध व विकासात्मक व्यय के कारण अनुमानित राजस्व व्यय से ₹ 5,588 करोड़ कम था। राजस्व घाटे/अधिशेष के अनुमानित व वास्तविक आंकड़ों के मध्य का अंतर, बजट अनुमानों में नियोजित की तुलना में, कम राजस्व व्यय करने के कारण था। यह इंगित करता है कि या तो राज्य सरकार ने बजट तैयार

करते समय अनुमानित व्यय का उचित निर्धारण नहीं किया था अथवा राज्य सरकार के पास व्यय करने की क्षमता का अभाव था।

1.5.3 घाटे/ अधिशेष की प्रवृत्ति

2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। यद्यपि, 2020-21 में राज्य को ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। 2020-21 में राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,597 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,700 करोड़ हो गया, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत है। प्राथमिक घाटा 2019-20 में ₹ 1,363 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 1,228 करोड़ हो गया। 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्षों की अवधि में इन घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.4 में दर्शाया गया है तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दी गई है।



राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहायता करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना तथा तदोपरांत राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 8.77 प्रतिशत (₹ 2,695.86 करोड़) की वृद्धि हुई एवं राजस्व व्यय में 9.13 प्रतिशत (₹ 2,804.50 करोड़) की वृद्धि हुई, जिससे गत वर्ष के ₹ 12 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में इस वर्ष ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की बढ़ी हुई शुद्ध देयताओं या उसके अतिरिक्त उधारों को परिलक्षित करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आन्तरिक अथवा बाह्य) द्वारा अथवा लोक

लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। विगत वर्ष (₹ 5,597 करोड़) की तुलना में 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 5,700 करोड़) में ₹ 103 करोड़ की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत था, जो हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।


प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को परिलक्षित करता है, ऐसे संसाधनों का कुछ भाग राजस्व लेखा पर घाटे वाले राज्यों के सन्दर्भ में, ब्याज भुगतानों के वित्त पोषण हेतु आवश्यक हो सकता है। ब्याज भुगतान, पूर्व दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा वर्तमान व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखते हुए इन भुगतानों को पृथक तथा कुल असंतुलनों से घटाया जाना चाहिए। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए प्राथमिक घाटा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्राथमिक घाटा होने का अर्थ है ब्याज हेतु उपार्जन करने के बावजूद राज्य घाटे में है तथा उसे अपने उधारों का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना होगा। 2020-21 के दौरान प्राथमिक घाटा घटकर ₹1,228 करोड़ हो गया, जो 2019-20 में ₹ 1,363 करोड़ था।

राजकोषीय देनदारियां

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं एवं इसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.6 में दर्शाई गई है।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देयताओं* तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति



* 2020-21 के दौरान, राजकोषीय देयताओं में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल किए गए, यद्यपि इस राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयों के अनुपात की गणना हेतु बाहर रखा है।

जैसा कि चार्ट-1.6 से स्पष्ट है कि 2020-21 के दौरान कुल बकाया देयताएं 2016-17 के ₹ 47,244 करोड़ से बढ़कर ₹ 68,882 करोड़ हो गईं। विगत पांच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयताओं के अनुपात में भी वृद्धि हुई तथा 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित राज्य के स्वयं के लक्ष्य से काफी ऊपर रहा।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे

राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय, सांविधिक निधियों का सृजन न करने, राजकोषीय प्रचालनों को बजट से बाहर संचालित करने, स्पष्ट देयताओं के आस्थगन, इत्यादि के रूप में गलत वर्गीकृत करने से घाटे एवं ऋण के आंकड़े कभी-कभी गलत प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।

1.6.1 राजस्व एवं राजकोषीय घाटा- लेखापरीक्षा अवलोकन

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखे शेष पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण राजस्व व राजकोषीय घाटे के आंकड़े प्रभावित हुए। उपरोक्त के प्रभाव तालिका-1.6 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.6 लेखापरीक्षा द्वारा जांच के पश्चात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	पैरा संदर्भ
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखे शेष पर ब्याज का भुगतान न करना	0.06	0.06	2.5.2.2
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में, और इसके विपरीत क्रम में, गलत वर्गीकरण	2.28	--	3.3.3
कुल	2.34	0.06	

स्रोत: वित्त लेखे

1.6.2 लेखापरीक्षा के बाद- कुल लोक ऋण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में 2018 में हुए संशोधनों के अनुसार “ऋण” में लोक ऋण (आन्तरिक व बाह्य ऋण), लोक लेखा पर बकाया देयताएं एवं ‘केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या अन्य संस्था की वह वित्तीय देयताएं शामिल हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरणी से उस तिथि के अंत तक नकद शेष से घटाकर सरकार को चुकानी पड़ती है या सेवा देनी पड़ती है’।

जैसा कि बजट की व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है, राज्य की ऋण देयताओं में आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से ऋण, लोक लेखा पर देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अन्य ऋण देयताएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम

में कुल देयताओं की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। यद्यपि यह उल्लिखित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन वाहनों एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए वे उधार, जिन्हें चुकाने की देयता राज्य सरकार की होती है, को भी राज्य सरकार के उधार के रूप में ही माना जाएगा।

2020-21 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के बकाया लोक ऋण में समेकित निधि पर देयताएं, लोक लेखा देयताएं तथा अन्य उधार सम्मिलित हैं, जिन्हें तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आंतरिक ऋण (क)	42,918.22
बाजार ऋण	31,897.16
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.61
नाबार्ड से ऋण	2,969.29
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	140.06
मुआवजा व अन्य बन्धपत्र (बांड)	2,890.50
अन्य संस्थानों से ऋण	40.74
राष्ट्रीय लघु बचत	4,958.86
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ख)	3,261.54*
आयोजनेत्तर ऋण	2.38
राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	3,259.03*
अन्य	0.13
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	22,701.99
लघु बचत भविष्य निधि आदि	16,522.64
निक्षेप	3,462.16
आरक्षित निधि	2,717.19
कुल (क + ख + ग)	68,881.75*

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को शामिल किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि द्वारा लिए उधार जहां मूलधन तथा/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना; राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों का प्रयोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित करना था; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के मूलधन/ब्याज घटक की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि को प्रतिपूर्ति न करना जैसे बजट से बाहर संचालित किए गए राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं पाया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार के समग्र ऋण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अध्याय-॥
राज्य के वित्त

अध्याय-II

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का वृहद परिदृश्य तथा विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय योगों महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के वित्त लेखाओं पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण-धारणीयता तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों पर चर्चा की गई है तथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई है।

2.1 प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह प्रभाग विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक सूचकांक का अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख राजकोषीय योगों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की अपनी कर प्राप्तियों में 6.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं की कर-भिन्न प्राप्तियां 12.53 प्रतिशत घट गई✓ संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 15.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 9.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय 2.62 प्रतिशत घट गया✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 16.79 प्रतिशत घट गया✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 37.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 8.31 प्रतिशत घट गया
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण 30.14 प्रतिशत घट गया✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 9.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 38.58* प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक ऋण चुकौती में 66.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियां 31.57 प्रतिशत घट गई✓ लोक लेखा संवितरण 27.12 प्रतिशत घट गया
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ नकद शेष में ₹ 696.06 करोड़ (65.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसे राज्य को उसके स्रोतों से चुकाना नहीं है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

यह प्रभाग विगत वर्ष (2019-20) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उसके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना प्रस्तुत करता है।


तालिका-2.1: 2019-20 व 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	अथ नकद शेष	52.70	1,060.18	1,007.48
	राजस्व प्राप्तियां	30,742.41	33,438.27	2,695.86
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.04	2.88	0.84
	ऋण व अग्रिम की वसूलियां	21.04	23.02	1.98
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	4,146.64	5,608.17*	1,461.53
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,457.90	787.97	-1,669.93
	योग	37,422.73	40,920.49*	3,497.76
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	2,804.50
	पूंजीगत व्यय	5,173.91	5,309.21	135.30
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	458.21	320.12	-138.09
	अंत नकद शेष	1,060.18	1,756.24	696.06
	योग	37,422.73	40,920.50	3,497.77

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।

2020-21 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का प्रतिशत संघटन चार्ट-2.1 व 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का भाग होती हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत प्रक्षेपों इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होते।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियां जो समेकित निधि का भाग बनती हैं, के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किये गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।


2016-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट-2.3 में दी गई हैं जबकि 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट-2.4 में दिया गया है।



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण, विविध पूंजीगत प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूली शामिल है। 2020-21 के दौरान भारत सरकार से वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।

चार्ट-2.4: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल हैं ।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह परिच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों एवं इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तत्पश्चात् यह राज्य की स्वयं की प्राप्तियों एवं केंद्र सरकार की प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास

तालिका-2.2, 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों, साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट-2.5 व चार्ट-2.5 (क) में दिया गया है। विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के संघटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	26,264	27,367	30,950	30,742	33,438
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.05	4.20	13.09	-0.67	8.77
कर राजस्व (₹ करोड़ में)	7,039	7,108	7,573	7,624	8,083
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.13	0.97	6.54	0.66	6.02
कर-भिन्न राजस्व (₹ करोड़ में)	1,717	2,364	2,830	2,502	2,188
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-6.53	37.65	19.72	-11.61	-12.53
राज्य का स्व-राजस्व (कर + कर-भिन्न राजस्व)	8,756	9,472	10,403	10,126	10,271
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (कर + कर भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	2.62	8.17	9.82	-2.67	1.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	1,25,634	1,38,551	1,49,442 ^अ	1,62,816 ^ब	1,56,522 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.91	19.75	20.71	18.88	21.36

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्प्लावकता अनुपात¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का स्वयं का कर राजस्व	1.21	0.41	1.67	-0.08	-2.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्प्लावकता	0.26	0.79	1.25	-0.30	-0.37

स्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, स - अग्रिम अनुमान

चार्ट-2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



¹ उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया के लचीलेपन अथवा डिग्री को दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में 1.85 राजस्व उत्प्लावकता का तात्पर्य है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

- राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में भारी अस्थिरता देखी गई क्योंकि वित्तायोग अनुदान (2016-17 में 14वां वित्तायोग प्रभाव) तथा वस्तु व सेवा कर (2017-18) लागू होने जैसे बाह्य कारकों ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया। 2019-20 व 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता काफी हद तक ऋणात्मक रही। 2020-21 के दौरान ऐसा मुख्य रूप से कर-भिन्न राजस्व में गिरावट (₹ 313 करोड़) एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक वृद्धि दर के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि (₹ 2,473 करोड़) हुई थी।


2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार के सहायता-अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों की संग्रहण की प्रमात्रा तथा योजनाओं हेतु प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों, कर एवं कर-भिन्न राजस्वों, के आधार पर किया जाना चाहिए।

(i) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में राज्य वस्तु व सेवाकर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, वाहन, माल एवं यात्री कर इत्यादि समाविष्ट हैं। 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व का विवरण नीचे चार्ट-2.6 में दिया गया है:

चार्ट-2.6: 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि



2016-17 से 2020-21 के दौरान संग्रहित स्वयं के कर राजस्व के घटक-वार विवरण को नीचे तालिका-2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.3: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य वस्तु व सेवा कर	-	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,381.91	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11
राज्य आबकारी	1,307.87	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74
वाहन कर	279.58	367.16	408.01	465.52	380.20
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	209.16	229.18	250.55	259.58	253.36
विद्युत पर कर व शुल्क	371.67	360.79	487.08	100.86	401.76
भू-राजस्व	7.64	16.96	8.39	4.79	6.95
माल व यात्री कर	121.37	111.69	104.38	104.03	83.55
अन्य कर	359.85	351.61	304.66	309.15	261.07
कुल कर राजस्व	7,039.05	7,107.67	7,572.81	7,623.82	8,083.32

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 1,044.27 करोड़ (14.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान कर राजस्व में वस्तु व सेवा कर (42.89 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (20.17 प्रतिशत), राज्य आबकारी (19.79 प्रतिशत) एवं विद्युत पर कर व शुल्क (4.97 प्रतिशत) की प्रमुख भागीदारी रही। विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (₹ 460.58 करोड़), विद्युत पर कर व शुल्क (₹ 300.90 करोड़) के अंतर्गत थी, जो वाहन कर (₹ 85.32 करोड़), राज्य वस्तु व सेवा कर (₹ 83.76 करोड़) तथा राज्य आबकारी (₹ 60.28 करोड़) के अंतर्गत हुई गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई। बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का कारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निपटान योजना के अंतर्गत बकाया एवं लंबित निर्धारण मामलों के समाधान तथा पेट्रोल व डीज़ल पर मूल्य वर्धित कर की दर में वृद्धि थी।

(i) राज्य वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार वस्तु एवं सेवाकर लागू होने से उत्पन्न राजस्व की गिरावट हेतु आधार वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। केंद्र वस्तु एवं सेवाओं की

अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर लगाता है तथा वस्तु अथवा सेवाओं की खपत पर राज्य को कर का राज्यांश आवंटित करता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान अंतिमीकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 3,678 करोड़ था। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार संरक्षित राजस्व, संग्रहित वास्तविक राजस्व एवं बकाया व प्राप्त हुई भारत सरकार की क्षतिपूर्ति तालिका- 2.3 (क) में दी गई है।

तालिका-2.3 (क): वस्तु व सेवा कर के संग्रहण तथा भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संरक्षित राजस्व राशि*	संग्रहित राजस्व राशि**	बकाया क्षतिपूर्ति राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि	गिरावट
	1	2	3 = 1-2	4	5 =3-4
2017-18	3,585	2,497	1,088	539	549
2018-19	5,450	3,367	2,083	2,037	46
2019-20	6,213	3,594	2,619	1,877	742
2020-21	7,083	3,575	3,508	1,764	1,744
योग	22,331	13,033	9,298	6,217	3,081

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से तथा हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त जानकारी।

* संरक्षित राजस्व की गणना 2015-16 के राजस्व आंकड़ों को आधार मानकर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष जोड़कर की जाती है।

** पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानव उपभोग के लिए शराब पर मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़ते हुए मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर (निवल प्रतिदाय) तथा वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित सभी कर शामिल हैं।

2020-21 के दौरान राज्य को वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व क्षति के कारण ₹ 1,763.53 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल क्षतिपूर्ति में से ₹ 1,017.67 करोड़ वर्ष 2019-20 से संबंधित है।

राज्य में वस्तु व सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि अनुमानित वृद्धि से कम थी तथा 2017-21 की अवधि के दौरान ₹ 22,331 करोड़ की प्राक्कलित वस्तु व सेवा कर प्राप्ति के प्रति कुल ₹ 9,298 करोड़ की गिरावट पाई गई। राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करनी थी। यद्यपि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, भारत सरकार ने मार्च 2021 तक केवल ₹ 6,217 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,081 करोड़ का संचित घाटा हुआ। साथ ही, वर्ष 2019-21 के दौरान राज्य को एकीकृत वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत हुई शुद्ध आय का उसका अंश प्राप्त नहीं हुआ।

यद्यपि 2020-21 के दौरान 41वीं वस्तु व सेवा कर परिषद के निर्णयानुसार वस्तु व सेवा कर लागू होने से उत्पन्न गिरावट को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष खिड़की (विंडो) के तहत जारी ऋण के माध्यम से राज्यों को उधार देकर पूरा किया जाएगा। ऐसे ऋण वित्तायोग द्वारा निर्धारित/नियत किए गए किसी भी नियम हेतु राज्य के ऋण के रूप में नहीं माने जाएंगे। इस निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को भारत सरकार से ₹ 1,717 करोड़ के एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) प्राप्त हुए ।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

20 जून 2020 को अखिल राज्य के बैंक-एंड डेटा एवं सिस्टम का एक्सेस प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई। इस हेतु जनवरी 2022 को राज्य सरकार द्वारा वीपीएन कनेक्शन के माध्यम से वस्तु व सेवा कर के बैंक-एंड डेटा हेतु आवश्यक डोमेन एक्सेस प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप सभी वस्तु व सेवा कर प्राप्तियों/लेनदेनों की लेखापरीक्षा आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) वातावरण में की गई।

(iii) राजस्व बकाया एवं निर्धारण बकाया का विश्लेषण

राजस्व बकाया सरकार द्वारा राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति, निर्धारण बकाया विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध संभावित राजस्व को दर्शाता है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं जो अंततः राजस्व घाटे पर प्रभाव डालते हैं।

(क) राजस्व बकाया

01 अप्रैल 2021 तक राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों में ₹ 4,412.33 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 2,549.22 करोड़ (57.77 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि तालिका-2.4 में नीचे विवर्णित है:

तालिका-2.4: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 तक बकाया	31 मार्च 2021 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
0039-राज्य आबकारी	272.34	52.22
0040-मूल्य वर्धित कर	3,971.54	2,445.38
0042-यात्री व माल कर	7.49	6.62
0045-अन्य कर एवं शुल्क	82.13	45.01
वस्तु व सेवा कर	78.83	0.00
योग	4,412.33	2,549.22

स्रोत: राज्य के विभाग

(ख) निर्धारण बकाया

राज्य सरकार द्वारा बिक्री/मूल्य वर्धित कर/वस्तु व सेवा कर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, निर्धारण हेतु बकाया मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप दिए जाने हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण तालिका-2.5 में नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.5: निर्धारण बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		अथ शेष	2020-21 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया	बकाया कुल निर्धारण	2020-21 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	1,21,415	3,910	1,25,325	36,346	88,979	29
	मूल्य वर्धित कर	1,48,462	4,416	1,52,878	44,438	1,08,440	29
वस्तु व सेवा कर	वस्तु व सेवा कर	17,797	2,378	21,053	1,740	19,313	0
कार्य अनुबंधों पर कर		972	819	1,791	164	1,627	9
मोटर स्पिरिट कर		67	60	127	82	45	65
वाहन कर		7,431	1,392	8,823	1,464	7,359	17
विलासिता कर		2,946	24	2,970	459	2,511	15
योग		2,99,090	12,180	3,12,967	84,693	2,28,274	27

स्रोत: राज्य विभाग

(iv) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामलों इत्यादि का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिमीकृत मामले तथा उत्पन्न अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। प्रतिदाय मामलों का त्वरित निपटान विभाग के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। प्रतिदाय के अत्यधिक विलंबित मामले लाल-फीताशाही, निजी स्वार्थ, रिश्वत के प्रसार इत्यादि को इंगित कर सकते हैं। राज्य कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के विवरण तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण तालिका-2.6 (क) व 2.6 (ख) में नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.6 (क): पता लगाए गए कर अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें आंकलन/जांच पूरी हुई एवं शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	राज्य आबकारी	62	446	508	447	4.18	61
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	289	3,089	3,378	2,967	136.67	411
3.	यात्री व माल कर	21	9,911	9,932	9,917	5.85	15
4.	माल व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	36	1,207	1,243	1,204	1.21	39
योग:		408	14,653	15,061	14,535	147.91	526

स्रोत: राज्य के विभाग।

तालिका-2.6 (ख): प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	56	23.00	6	0.20
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	270	25.70	32	8.75
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	215	24.26	33	8.85
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	108	24.41	5	0.09

स्रोत: राज्य के विभाग।

(v) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि सम्मिलित होती हैं।

तालिका-2.7: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज प्राप्तियां	145.56	340.54	385.88	245.36	306.43
लाभांश एवं लाभ	289.63	255.58	181.92	248.44	245.43
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1,282.04	1,767.00	2,262.27	2,007.72	1,636.60
विविध सामान्य सेवाएं	2.35	5.46	20.76	5.17	11.41
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	112.22	180.76	214.59	238.59	196.08
वानिकी एवं वन्य जीव	18.5	46.87	76.32	83.61	49.56
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.63	40.45	51.34	49.65	37.05
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	176.22	441.46	221.05	246.30	252.16
विद्युत्	650.93	687.61	1,134.34	1,021.68	749.12
अन्य	279.19	364.39	543.87	362.72	341.22
कुल कर-भिन्न राजस्व	1,717.24	2,363.85	2,830.07	2,501.51	2,188.46
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	6.54	8.64	9.14	8.14	6.54

स्रोत: वित्त लेखे।


2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य के कुल राजस्व का 6.54 से 9.14 प्रतिशत था। 2016-19 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व ₹ 1,717.24 करोड़ से ₹ 2,830.27 करोड़ तक बढ़ गया तथा उसके बाद से 2020-21 में यह घटकर ₹ 2,188.46 करोड़ रह गया। विगत पांच वर्षों में कर-भिन्न राजस्व में मुख्य भागीदारी विद्युत् क्षेत्र की रही जिसने 29 से 40 प्रतिशत की भागीदारी की। 2020-21 के दौरान कर-भिन्न राजस्व ₹ 1717.24 करोड़ (2016-17) से ₹ 471.22 करोड़ (27.44 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 2,188.46 करोड़ हो गया। तथापि विगत वर्ष की अपेक्षा 2020-21 के दौरान कर-भिन्न राजस्व में ₹ 313.05 करोड़ (12.51 प्रतिशत) की गिरावट हुई। यह गिरावट मुख्यतः विद्युत् क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तियों में गिरावट (₹ 272.56 करोड़), विभाग द्वारा सम्पूर्ण भारत में तालाबंदी (लॉकडाउन) करने (कोविड-19) एवं बड़ी मात्रा में औद्योगिक, व्यवसायिक व ट्रेक्शन लोड बंद करने के कारण 25-30 प्रतिशत विद्युत् की मांग के घटने व विद्युत् के कम उत्पादन के कारण हुई।

2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण वित्तायोग की अनुशंसा पर बहुत अधिक रूप से निर्भर होते हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट-2.7 में दर्शाई गई है।

चार्ट-2.7: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(i) केन्द्रीय कर अंतरण

14वें वित्तायोग ने 2015-16 के बाद से केन्द्रीय करों के राज्यांश को 42 प्रतिशत बढ़ाने की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों की शुद्ध आय (सेवा कर को छोड़कर) में राज्यांश 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु 0.713 प्रतिशत पर तथा 2020-21 हेतु 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार) पर निर्धारित किया गया। 2011-12 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.8: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1	2	3	4	5 (4-3)
2011-12	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.781 प्रतिशत	2,060.67	1,998.37	(-) 62.30
2012-13	एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय का 0.793 प्रतिशत (13वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	2,362.61	2,282.02	(-) 80.59
2013-14		2,716.72	2,491.53	(-) 225.19
2014-15		2,993.17	2,644.17	(-) 349.00
2015-16		3,743.71	3,611.17	(-) 132.54

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1	2	3	4	5 (4-3)
2016-17	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत	4,074.67	4,343.70	269.03
2017-18	एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,619.31	5,429.77	(-)189.54
2019-20		5,769.12	4,677.56	(-)1,091.56
2020-21		6,265.60	4,753.92	(-) 1,511.68

स्रोत: 13वें वित्तायोग, 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण।

2016-21 के दौरान राज्य को प्राप्त केन्द्रीय कर अंतरणों के विवरण तालिका-2.9 में दिए गए हैं:

तालिका-2.9: केन्द्रीय कर अंतरणों का संघटन

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अंतरण के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	--	68.36	1,340.15	1,327.34	1,419.55	92.21
एकीकृत वस्तु व सेवा कर	--	484.84	107.00	--	--	--
निगम कर	1,393.48	1,470.67	1,888.31	1,594.86	1,429.44	-165.42
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय कर	968.47	1,241.88	1,390.66	1,249.68	1,464.84	215.16
सीमा शुल्क	599.42	484.70	384.89	296.49	257.07	-39.42
संघ आबकारी	684.49	506.50	255.78	206.16	160.44	-45.72
सेवा कर	694.64	544.40	49.66	--	19.39	19.39
अन्य कर ²	3.20	(-) 0.04	13.32	3.03	3.19	0.16
केन्द्रीय कर अंतरण	4,343.70	4,801.31	5,429.77	4,677.56	4,753.92	76.36
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	20.29	10.54	13.09	(-) 13.85	1.63	
राजस्व प्राप्तियों से कर अंतरण का प्रतिशत	16.54	17.54	17.54	15.22	14.22	

स्रोत: वित्त लेखे

² सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तु व सेवा कर पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित हैं।

2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में केन्द्रीय कर अंतरण में 9.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष (2020-21) के दौरान इसमें ₹ 76.36 करोड़ (1.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय कर अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 14.22 प्रतिशत रहा जो विगत वर्ष (2019-20) के दौरान 15.22 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त तालिका-2.8 में तालिकाबद्ध किया गया है कि 2011-12 से 2020-21 (2016-17 को छोड़कर) की अवधि के दौरान राज्य ने वित्तायोग (13वां वित्तायोग, 14वां वित्तायोग एवं 15वां वित्तायोग) की अनुशंसाओं के अनुसार संघीय करों व शुल्कों का उसका अंश प्राप्त नहीं किया। चालू वर्ष के दौरान यह अंश ₹ 1,511.68 करोड़ कम रहा।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर वर्गीकरण बंद कर राज्यों को सहायता-अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य शीर्ष-1601-सहायता-अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का प्रचालन आरम्भ किया। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रास्थिति तालिका-2.10 में दी गई है।

तालिका-2.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेत्तर अनुदान #	8,877.19	--	--	--	-
राज्य आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान#	1,187.49	--	--	--	-
केन्द्रीय आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान #	44.45	--	--	--	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान#	3,055.23	--	--	--	-
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	--	3,590.26	4,010.49	4,915.06	4,221.29
वित्तायोग अनुदान	--	8,889.00	8,831.25	8,617.82	12,424.10*
अन्य अंतरण/राज्य को अनुदान/विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान	--	615.39	2,275.93	2,406.64	1,767.19@
योग	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52	18,412.58
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि	16.54	(-) 0.53	15.45	5.44	15.52
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	50.12	47.85	48.84	51.85	55.06

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 11,430.85 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 584.25 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 409 करोड़) शामिल हैं, जो पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेत्तर अनुदानों के रूप में दर्शाई जाती थी।

@ इसमें वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति के ₹ 1763.53 करोड़ शामिल हैं।

2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर अनुदानों का नामकरण बदल दिए जाने तथा विशेष श्रेणी राज्य हेतु अनुदान, वित्तायोग अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2020-21 में विगत वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार के सहायता-अनुदानों में ₹ 2,473.06 करोड़ की वृद्धि हुई। सहायता-अनुदान का 62 प्रतिशत, हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के रूप में था। 2016-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का अंश 48 से 55 प्रतिशत के मध्य रहा।

(iii) वित्तायोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 14वें एवं 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान उपलब्ध किए गए। वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान राज्य को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान तालिका-2.11 में दिए गए हैं।

तालिका-2.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी एवं अंतरित सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14वें व 15वें वित्तायोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
	2015-16 से 2019-20	2020-21	कुल (2015-21)	2015-16 से 2019-20	2020-21	कुल (2015-21)	2015-16 से 2019-20	2020-21	कुल (2015-21)
1. स्थानीय निकाय (i+ii)	2,011.57	636.00	2,647.57	1,814.76	584.25	2,399.01	1,814.76	608.82	2,423.58
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,809.80	429.00	2,238.80	1,664.31	429.00	2,093.31	1,664.31	429.00	2,093.31
(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	1,628.82	429.00	2,057.82	1,628.82	429.00	2,057.82	1,628.82	429.00	2,057.82
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	180.98	0	180.98	35.49	0	35.49	35.49	0	35.49
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	201.77	207.00	408.77	150.45	155.25	305.70	150.45	179.82	330.27
(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	161.42	103.50	264.92	142.54	103.50	246.04	142.54	127.98	270.52
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	40.35	103.50	143.85	7.91	51.75	59.66	7.91	51.84	59.75
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*	1,304.00	454.00	1,349.00	1,112.85	409.00	1,157.85	1,053.68	454.00	1,098.68
सकल योग (1+2)	3,315.57	1,090.00	3,996.57	2,927.61	993.25	3,556.86	2,868.44	1,062.82	3,522.26

स्रोत: 14वें व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी

* केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश सहित

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाज़ार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार)

तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं। विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति तालिका-2.12 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-2.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजीगत प्राप्तियां	4,689.97	2,174.87	1,784.70	4,169.72	3,917.07*
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	निरंक	34.82	8.82	2.04	2.88
ऋण व अग्रिम की वसूली	29.50	39.61	21.83	21.04	23.02
निवल लोक ऋण प्राप्तियां	4,660.47	2,100.44	1,754.05	4,146.64	3891.17*
आंतरिक ऋण	4,633.10	2,097.45	1,771.71	4,164.59	3,390.44
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	110.28	-54.73	-15.53	135.06	-18.59
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	27.37	2.99	-17.66	-17.95	500.73*
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम की वृद्धि दर	225.44	-89.08	-690.64	-1.64	2889.56
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	113.64	-54.93	-16.49	136.40	-6.16
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	13.90	152.31	-58.82	-24.70	12.22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	112.47	-53.63	-17.94	133.64	-6.06

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं है।

2020-21 में विगत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 3,917.07 करोड़) मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण के कारण ₹ 252.65 करोड़ घट गई। लोक ऋण प्राप्तियां भविष्यगामी चुकौती देयताएं बनती हैं तथा इन्हें बाज़ार, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्र सरकार से लिया जाता है। 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में लोक ऋण प्राप्तियों का 64.41 प्रतिशत अवधि के दौरान लिए गए लोक ऋण को चुकाने में प्रयुक्त किया गया, शेष बचा मात्र 35.59 प्रतिशत ही अन्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया गया।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केन्द्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्तायोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं।

15वें वित्तायोग के आंकलन तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी की तुलना में वर्ष 2020-21 में राज्य की वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका-2.13 में दी गई हैं।

तालिका-2.13: राज्य के स्वयं के संसाधन: प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
कर राजस्व	11,272	9,090.26	8,083.31	(-) 28.29	(-) 11.08
कर-भिन्न राजस्व	2,228	2,410.46	2,188.46	(-) 1.77	(-) 9.21

राज्य के स्वयं के कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 28.29 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन से 11.08 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 1.77 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन से 9.21 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार, राज्य सरकार बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया पूंजीगत ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्रभावित न करें। संसाधनों के अनुप्रयोग का अनुवर्ती परिच्छेदों में व्यय के संघटन एवं वृद्धि, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय।

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रतिदिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो

सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका-2.13 (क) में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13 (क): कुल व्यय तथा उसके संघटक

(₹ करोड़ में)


मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.25
राजस्व व्यय	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93
पूंजीगत व्यय	3,499.03	3,755.67	4,583.41	5,173.91	5,309.21
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,289.69 [@]	502.53	467.98	458.21	320.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	125,633.65	138,551.06	149,442.00 ^अ	162,816.00 ^ब	156,522.32 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.58	22.60	23.08	22.33	25.02
राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.17	19.55	19.70	18.87	21.43
पूंजीगत व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.79	2.71	3.07	3.18	3.39
ऋण एवं अग्रिम/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.62	0.36	0.31	0.28	0.20

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

@ उदय स्कीम के डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण सम्मिलित


पांच वर्ष की अवधि (2016-21) में कुल व्यय में ₹ 7,031.31 करोड़ (21.88 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 2,801.70 करोड़ (7.70 प्रतिशत) बढ़ गया। 2016-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के सापेक्ष कुल व्यय 22.33 प्रतिशत से 25.58 प्रतिशत के मध्य रहा। 2016-21 के दौरान राजस्व व्यय में 32.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी दौरान पूंजीगत व्यय में 51.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसाकि चार्ट-2.8 में दर्शाया गया है, 2016-21 के दौरान कुल व्यय (उदय सहित) में राजस्व व्यय का अंश 78.9

से 86.7 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी भांति, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2016-17 के 10.9 प्रतिशत से बढ़ कर 2020-21 में 13.56 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों का अंश उदय योजना के तहत ₹ 2,890.50 करोड़ राशि के ऋण के संवितरण के कारण 10.24 प्रतिशत था, यद्यपि ऋणों व अग्रिमों का अंश विगत पांच वर्षों के दौरान (2017-21) लगभग स्थिर रहा।



गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय, सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं अन्य पर व्यय से मिलकर बनता है। 2020-21 के दौरान, ₹ 39,164.25 करोड़ के कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक अंश के साथ-साथ ₹ 11,141.04 करोड़ (परिशिष्ट-2 में संदर्भित) के लोक ऋण चुकौती के घटकों को चार्ट-2.9 में दिया गया है।

चार्ट-2.9: 2020-21 के दौरान व्यय के संघटक (प्रतिशत में)




2016-21 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश तालिका-2.14 में दिए गए हैं।

तालिका-2.14: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत में)

मानदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं	30.92	35.77	33.82	34.48	34.79
सामाजिक सेवाएं	33.15	36.64	36.73	36.59	37.23
आर्थिक सेवाएं	25.66	25.95	28.07	27.64	27.14
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा ऋण व अग्रिम)	10.27	1.64	1.38	1.29	0.84

चार्ट-2.10 2016-17 से 2020-21 की अवधि में कुल व्यय में क्षेत्रीय घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं अन्य के अंश में मामूली अंतर-वर्षीय विचलन आया। 2020-21 में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित), जो गैर-विकास व्यय का भाग बनता है, 2019-20 के 34.48 प्रतिशत से मामूली रूप से 34.79 प्रतिशत बढ़ गया। विकास व्यय अर्थात् दोनों सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2019-20 के 64.23 प्रतिशत के प्रति 2020-21 में 64.37 प्रतिशत रहा। विगत पांच वर्षों में ऋणों व अग्रिमों का अंश, उदय योजना के तहत ₹ 2,890.50 करोड़ राशि के ऋण संवितरण के कारण 2016-17 (10.24 प्रतिशत) को छोड़कर, लगभग स्थिर रहा।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा तंत्र में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। 2016-21 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका-2.15 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.15: 2016-21 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.25
राजस्व व्यय	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.63	6.74	8.83	4.38	9.13
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	78.87	86.40	85.36	84.51	85.63
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.17	19.53	19.70	18.87	21.43
राजस्व प्राप्तियां	26,264.34	27,367.06	30,950.32	30,742.41	33,438
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	96.50	98.85	95.13	99.96	100.29
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.05	4.20	13.09	-0.67	8.77
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,25,633.65	1,38,551.10	149,442.00 ^अ	162,816.00 ^ब	156,522.32 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

2016-21 के दौरान राजस्व व्यय में चार से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से ₹ 8,190.71 करोड़ (32.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पांच वर्ष की अवधि 2016-21 में, राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। 2020-21 (₹ 33,535 करोड़) में राजस्व व्यय में 2019-20 (₹ 30,730 करोड़) की अपेक्षा ₹ 2,805 करोड़ (9.13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.4.2.1 में विवर्णित है।


2020-21 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय का प्रतिशत लगभग एक ही स्तर अर्थात् क्रमशः 21.36 प्रतिशत व 21.43 प्रतिशत पर रहा। 2020-21 के दौरान राज्य को ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.06 प्रतिशत था।

2020-21 में हुआ ₹ 33,534.93 करोड़ का राजस्व व्यय, बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 39,123 करोड़) से कम तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 31,764 करोड़) से अधिक रहा।

2020-21 से सम्बंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रीय संवितरण चार्ट-2.11 में दिया गया है।

चार्ट-2.11: 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि या गिरावट के मामले तालिका-2.16 में चिह्नित किए गए हैं।

तालिका-2.16: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
सामान्य सेवाएं	12,335.22	13,454.24	1,119.06
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	5,489.75	6,088.39	598.65
2059-लोक निर्माण	237.2	580.59	343.39
2049-ब्याज भुगतान	4,234.02	4,472.45	238.43
2015-चुनाव	90.77	39.60	-51.16
2053-जिला प्रशासन	210.13	179.76	-30.37
सामाजिक सेवाएं	12,046.95	12,843.81	796.86
2217-शहरी विकास	447.34	800.11	352.78
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,228.62	1,421.14	192.52

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
2202-सामान्य शिक्षा	6,037.87	6,228.97	191.09
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	942.18	1,095.95	153.76
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	743.99	457.17	-286.82
आर्थिक सेवाएं	6,338.01	7,227.49	889.47
3055-सड़क परिवहन	341.11	550.95	209.83
2401-फसल पालन	598.16	786.04	187.88
2801-विद्युत	406.2	525.60	119.40
3452-पर्यटन	20.14	134.52	114.38
2406-वानिकी एवं वन्यजीव	469.58	577.59	108.01
2505-ग्रामीण रोजगार	235.72	339.24	103.52
2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	35.76	138.87	103.11
2408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहॉउस	320.66	267.28	-53.38
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	256.25	231.68	-24.57

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, लोक निर्माण एवं ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय के कारण ₹ 1,119.06 करोड़ (9.07 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में मुख्यतः शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सामान्य शिक्षा तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर अधिक व्यय के कारण ₹ 796.86 करोड़ (6.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो प्राकृतिक आपदा राहत में गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं पर व्यय में सड़क परिवहन, फसल पालन, वानिकी, विद्युत इत्यादि पर अधिक व्यय के कारण ₹ 889.47 करोड़ (14.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है। उच्च स्तर के प्रतिबद्ध व्यय से सरकार के पास विकास क्षेत्रों पर परिव्यय की गुंजाईश कम रह जाती है।

तालिका-2.17, 2016-21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जबकि कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत अंश चार्ट-2.12 में दिया गया है।

तालिका-2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	9,681.67	10,765.83	11,210.42	11,742.23	11,903.67*
पेंशन पर व्यय	4,114.17	4,708.85	4,974.77	5,489.75	6,088.39
ब्याज भुगतान	3,358.91	3,788.22	4,021.52	4,234.02	4,472.45
योग	17,154.75	19,262.90	20,206.71	21,466.00	22,464.51
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.86	39.34	36.22	38.20	35.60
पेंशन पर व्यय	15.66	17.21	16.07	17.86	18.21
ब्याज भुगतान	12.79	13.84	12.99	13.77	13.38
योग	65.31	70.39	65.28	69.83	67.19
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.20	39.80	38.08	38.21	35.50
पेंशन पर व्यय	16.23	17.41	16.90	17.86	18.16
ब्याज भुगतान	13.25	14.00	13.66	13.78	13.34
योग	67.68	71.21	68.64	69.85	66.99

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वेतन: ₹ 11,641.16 करोड़; मजदूरी: ₹ 262.51 करोड़

चार्ट-2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



2020-21 के दौरान विगत वर्ष की अपेक्षा प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ₹ 998.51 करोड़ (पांच प्रतिशत) थी। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय ने राजस्व व्यय (67-71 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों (65-70 प्रतिशत) का बड़ा अंश दर्ज किया, जिससे विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए बहुत कम संभावना बची।

वेतन एवं मजदूरी: 2020-21 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2016-17 के ₹ 9,681.67 करोड़ से बढ़ कर ₹ 11,903.67 करोड़ हो गया। 2020-21 के दौरान इसमें विगत वर्ष से ₹ 161.44 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2020-21 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 36 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन पर व्यय (₹ 11,903.67 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 13,099.47 करोड़) के भीतर रहा।

ब्याज भुगतान: 2020-21 में ब्याज भुगतान में 2016-17 के ₹ 3,358.91 करोड़ से 33 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 4,472.45 करोड़ हो गया। विगत वर्ष से 2020-21 में वृद्धि ₹ 238 करोड़ (छः प्रतिशत) रही। ब्याज भुगतान दोनों राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का 13 प्रतिशत रहा। ब्याज भुगतान, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (₹ 4,931.92 करोड़) से कम थे।

पेंशन भुगतान: 2020-21 में पेंशन भुगतान पर व्यय 2016-17 के ₹ 4,114.17 करोड़ से ₹ 6,088.39 करोड़ तथा गत वर्ष से चालू वर्ष के दौरान ₹ 598.64 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया। 2020-21 के दौरान पेंशन भुगतान राजस्व व्यय का 18 प्रतिशत था। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 6,088.39 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (₹ 7,266.00 करोड़) से कम रहा।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत सम्मिलित किए गये हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत कि भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (01 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 956.07 करोड़ (कर्मचारी अंशदान: ₹ 392.29 करोड़, सरकारी अंशदान: ₹ 563.76 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.02 करोड़) का कुल अंशदान हुआ, जो मुख्य शीर्ष 8342-117- “सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदायी पेंशन योजना” के तहत लोक लेखा में दर्ज किया गया। सीमित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार के अंशदान एवं मुख्य शीर्ष 2071-01-117 में दर्शाई राशि में ₹ 19.16 करोड़ का अंतर था। राज्य सरकार ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि आंकड़ों में अंतर का कारण राष्ट्रीय पेंशन योजना के अग्राहकों द्वारा सरकारी अंश वापस करने के कारण हो सकता है, जो पूर्व में राष्ट्रीय पेंशन योजना में थे परन्तु न्यायालय के आदेशों पर पुरानी पेंशन योजना में वापस चले गए; तथा उनका सरकारी अंश 8342-00-117-02 में ई-चालान के माध्यम से सीधे जमा किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक में जमा करने के लिए ₹ 946.77 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदायी पेंशन योजना से हस्तांतरित किए। यद्यपि जैसाकि राज्य सरकार द्वारा बताया गया (सितम्बर 2021) कि वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक रूप से केवल ₹ 947.86 करोड़ ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक में जमा हुए थे। अभी भी ₹ 7.66 करोड़ की शेष राशि (₹ 1.64 करोड़ की डेबिट अथशेष राशि लेने के बाद) मुख्य शीर्ष 8342-117-सीमित अंशदान योजना में हस्तांतरित करना शेष थी।

2.4.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निकायों/निगमों को सब्सिडी देती है। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय 2016-17 के ₹ 763.96 करोड़ से ₹ 476.67 करोड़ (62 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 1,240.63 करोड़ हो गया। 2016-21 की अवधि के दौरान सब्सिडी राशि राजस्व प्राप्तियों की 3.01 प्रतिशत से 4.36 प्रतिशत रही, जैसा कि तालिका-2.18 में विवर्णित है।

तालिका-2.18: 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	763.96	906.79	1,282.60	1,067.78	1,240.63
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.91	3.31	4.15	3.47	3.71
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.01	3.35	4.36	3.49	3.70

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2020-21 के दौरान विगत वर्ष की अपेक्षा सब्सिडी पर व्यय में ₹ 172.85 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई। वर्ष के दौरान ₹ 1,240.63 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया जो राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय दोनों का 3.7 प्रतिशत था। सब्सिडी के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे - विद्युत (₹ 520.45 करोड़ या 41.95 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 239.97 करोड़ या 19.34 प्रतिशत), परिवहन (₹ 171.20 करोड़ या 13.80 प्रतिशत), कृषि (₹ 108.18 करोड़ या 8.72 प्रतिशत) तथा उद्यान (₹ 111.21 करोड़ या 8.96 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई कुल सब्सिडी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 1,158.33 करोड़) से थोड़ी अधिक थी।

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों

एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका-2.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-2.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	554.49	249.31	487.99	456.22	814.58
पंचायती राज संस्थाएं	1,011.60	781.21	1,026.07	1,053.39	1,176.07
कुल (क)	1,566.09	1,030.52	1,514.06	1,509.61	1,990.65
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	849.57	905.15	951.22	1,020.83	944.59
विकास प्राधिकरण	150.37	111.07	143.68	99.16	238.37
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	271.64	343.87	337.38	439.71	458.23
अन्य संस्थान	519.31	504.85	687.61	437.17	931.27
कुल (ख)	1,790.89	1,864.94	2,119.89	1,996.87	2,572.46
कुल (क+ख)	3,356.98	2,895.46	3,633.95	3,506.48	4,563.11
राजस्व व्यय	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93
राजस्व व्यय के रूप में सहायता	13.25	10.70	12.34	11.41	13.61

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी


तालिका-2.19 दर्शाती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2020-21 के दौरान 2016-17 के ₹ 3,356.98 करोड़ से ₹ 1,206.13 करोड़ (35.93 प्रतिशत) से बढ़कर गई ₹ 5,563.11 करोड़ हो गई, जो राजस्व व्यय का 13.61 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सहायता की कुल प्रमात्रा में ₹ 1,056.63 करोड़ (30.13 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई। वर्ष 2020-21 के दौरान, शिक्षण संस्थानों के मामले को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता विगत वर्ष से अधिक थी। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्राप्तकर्ताओं में से नगर निगम, नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय निकाय) दोनों ने कुल वित्तीय सहायता का 43.62 प्रतिशत दर्ज किया।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय, अचल अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों जैसे सड़क, भवनों इत्यादि के निर्माण पर हुआ व्यय है। 2016-21 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट-2.13 में दी गई है।

चार्ट-2.13: 2016-21 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2016-21 के दौरान इसमें ₹ 1,811 करोड़ (51.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 5,309 करोड़) विगत वर्ष 2019-20 (₹ 5,174 करोड़) से ₹ 136 करोड़ (2.62 प्रतिशत) बढ़ गया। 2019-20 के 14.23 प्रतिशत की अपेक्षा 2020-21 के दौरान यह कुल व्यय का 13.56 प्रतिशत था।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका-2.20 विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा गिरावट के मामलों को चिह्नित करती है।

तालिका-2.20: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय के विचलन

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
पूंजीगत व्यय	5,173.91	5,309.22	135.31
सामान्य सेवाएं	203.74	169.54	(-) 34.20
सामाजिक सेवाएं	1,258.40	1,736.19	477.79
4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	598.92	1,001.51	402.59
4210-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	231.78	302.05	70.27
आर्थिक सेवाएं	3,711.76	3,403.49	(-) 308.27
5054-सड़क एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,205.12	2,315.55	110.43

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	326.68	56.92	(-) 269.76
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	254.66	196.98	(-) 57.68

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 135.31 करोड़ (2.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 477.79 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुआ, जो सामान्य सेवाओं (₹ 34.20 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 308.27 करोड़) के अंतर्गत व्यय में हुई गिरावट से समायोजित हो गई। व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि जलापूर्ति एवं स्वच्छता, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य (सामाजिक सेवाएं) तथा सड़क एवं पुल (आर्थिक सेवाएं) के अंतर्गत हुई। यह खाद्य नियंत्रण परियोजनाओं एवं विद्युत परियोजनाओं में व्यय की कटौती द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई।

(i) निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2021 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारिताओं में ₹ 4,562.40 करोड़ का निवेश किया (तालिका-2.21)। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 6.39 प्रतिशत था जबकि 2016-21 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.09 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

तालिका-2.21: निवेशों पर निवेश व प्रतिफल का विवरण

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,293.54	3,532.97	3,848.83	4,261.06	4,562.40
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	289.63	255.58	181.91	248.44	245.43
प्रतिफल (प्रतिशत)	8.79	7.23	4.73	5.83	5.38
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.13	8.41	8.32	7.97	7.59
ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	-0.66	1.18	3.59	2.14	2.21
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में) [#]	लागू नहीं	41.54	138.31	91.19	100.86

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष की समाप्ति पर निवेश X ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

₹ 4,562.40 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 4,068.72 करोड़ का निवेश (89 प्रतिशत) पांच³ कंपनियों में किया गया था।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-V में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् - सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन/प्रास्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे के विकास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई तथा किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक सांझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। पूर्ण, प्रक्रियाधीन तथा योजनाबद्ध सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण तालिका-2.22 में दिया गया है:

तालिका-2.22: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	शहरी अवसंरचना	9	151.00	12	1,218.05	5	0
2.	ऊर्जा	31	4,238.45	12	2,737.92	52	3,049.00
3.	सामाजिक	4	115.00	0	0	0	0
4.	पर्यटन	2	51.57	4	873.43	1	278.46
5.	अन्य	0	0	2	15.50	0	0
योग		46	4,556.02	30	4,844.90	58	3,327.46

(iii) राज्य सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी सोसायटियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। तालिका-2.23, 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों सहित 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण व अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत करती है।

³ सतलुज जल विद्युत निगम सीमित (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (₹ 347.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 924.85 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 794.63 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 903.60 करोड़)

तालिका-2.23: 2016-21 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋण का अथ शेष *	2,784.08	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	3,289.9	502.53	467.98	458.21	320.12
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	29.50	39.62	21.83	21.03	23.02
बकाया ऋण का अंत शेष *	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59
निवल योग	3,260.19	462.91	446.15	437.17	297.09
प्राप्त ब्याज	80.35	255.59	272.15	135.11	248.91
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर	2.89	4.24	4.18	1.94	3.37
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	8.15	8.02	7.88	7.80	7.19
चुकाए गए ब्याज व प्राप्त प्राप्तियों की दर के मध्य अंतर के कारण अनुमानित हानि (प्रतिशत)	5.26	3.78	3.70	5.86	3.82

स्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 के बाद से, उदय योजना के अंतर्गत डिस्काॅम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अथ व अंत शेष में शामिल है।

31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण व अग्रिम की कुल राशि ₹ 7,687.59 करोड़ थी। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत् क्षेत्र: ₹ 254.32 करोड़ (79.45 प्रतिशत) तथा उसके पश्चात् सहकारिता: ₹ 58.56 करोड़ (18.29 प्रतिशत) रहा।

2017-18 में वसूल की गई ₹ 39.62 करोड़ की राशि विगत पांच वर्षों में ऋण व अग्रिम वसूली की सर्वोच्च प्रमात्रा थी। तदोपरांत 2018-21 के दौरान ऋण व अग्रिम वसूली ₹ 21.03 करोड़ से ₹ 23.02 करोड़ के मध्य स्थिर रही। 2020-21 के दौरान राशि ₹ 23.02 करोड़ की वसूली की गई। उदय हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड से ₹ 113.89 करोड़ की ब्याज की क्रिस्त प्राप्त न होने से 2019-20 में हुई भारी गिरावट को छोड़कर ऋण व प्राप्तियों पर ब्याज प्राप्तियां विगत चार वर्षों (2017-21) के दौरान लगभग स्थिर रहीं। ऋण व अग्रिमों की कमजोर वसूली, राज्य सरकार द्वारा वसूली तंत्र की समीक्षा की आवश्यकता को चिह्नित करती है।

कुल बकाया ऋणों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विगत पांच वर्षों (मार्च 2021 तक) में विद्युत् परियोजनाओं तथा उद्योग व खनिज के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों ने ऋणों की चुकौती नहीं की थी, फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए थे।

(iv) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं को पूरा करने के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है। वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के वित्त लेखाओं के परिशिष्ट-IX के अनुसार 31 मार्च 2021 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में 78 अपूर्ण/प्रक्रियाधीन परियोजनाएं (कुछ मंडलों द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार) थीं। 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु रूपरेखा एवं विभाग-वार रूपरेखा तालिका-2.24 (क) व तालिका-2.24 (ख) में दी गई है।

तालिका-2.24 (क): 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की आयु रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/ संशोधित लागत	व्यय (31 मार्च 2021 तक)
1995	1	8.52	5.08
1996	1	5.62	9.40
1998	1	4.55	26.81
2003	1	9.28	25.03
2004	1	51.46	71.20
2005	1	5.45	10.14
2007	2	12.96	17.70
2008	1	2.15	0.71
2009	1	6.09	6.23
2011	3	59.40	66.39
2012	2	129.70	60.81
2013	7	61.66	69.41
2014	6	188.34	371.98
2015	13	50.68	36.74
2016	11	179.24	141.45
2017	9	70.72	37.35
2018	14	84.87	49.29
2019	3	13.86	8.33
योग	78	944.55	1,014.05

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका-2.24 (ख): 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य (जल शक्ति)	40	434.39	786.05
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	38	510.16	228.00
योग	78	944.55	1,014.05

स्रोत: वित्त लेखे

इन परियोजनाओं को, समय बीतने के कारण लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं विलंब किए बिना पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका-2.25, 2016-17 को आधार वर्ष लेते हुए 2020-21 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय तथा पूंजीगत व्यय के संदर्भ में विशेष श्रेणी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका-2.25: 2016-17 एवं 2020-21 में राज्य की व्यय प्राथमिकताएँ

(प्रतिशत में)


राज्य की राजकोषीय प्राथमिकताएँ	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	विकासात्मक व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य / कुल व्यय
2016-17 में औसत (अनुपात)							
विशेष श्रेणी राज्य	26.50	35.64	31.30	66.20	15.97	16.67	5.67
हिमाचल प्रदेश	25.58	33.15	35.87	69.02	10.89	16.31	5.56
2020-21 में औसत (अनुपात)							
विशेष श्रेणी राज्य	26.92	32.95	27.14	57.33	15.67	15.22	6.15
हिमाचल प्रदेश	25.02	37.38	27.95	65.18	13.56	17.11	6.38

- जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के समग्र व्यय के अनुपात के रूप में राजकोषीय प्राथमिकता का प्रत्येक घटक (आर्थिक क्षेत्र व्यय एवं विकासात्मक व्यय को छोड़कर) विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था। यद्यपि 2020-21 के दौरान सभी घटक विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक (पूँजीगत व्यय को छोड़कर) रहे।
- 2016-17 एवं 2020-21 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम रहा।
- 2016-17 एवं 2020-21 के दौरान राज्य का आर्थिक क्षेत्र पर व्यय एवं विकासात्मक व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक रहा।

2.4.5 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय, वस्तु/व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। चार्ट-2.14 में वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.14: वस्तु शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत में)



2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष, वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2021 की समाप्ति पर राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका-2.26 में दिए गए हैं।

तालिका-2.26: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

विभाग	उप विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
I.-लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	11,844.41	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64
	कुल (I):	11,844.41	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64
J.-आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	0.95	8.48	1.00	1,887.65	1,882.54
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	218.63	316.54	316.60	834.66	834.66
	कुल (J):	219.58	325.02	317.60	2,722.31	2,717.20
K.-निकषेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निकषेप	8.07	-0.89	-1.41	-1.64	7.66
	(ख) ब्याज रहित निकषेप	2,601.51	2,799.09	3,208.52	3,382.45	3,454.50
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.53	-0.53	-0.51	-0.51
	कुल (K):	2,609.05	2,797.67	3,206.58	3,380.30	3,461.65
L.-उचंत एवं विविध	(क) उचंत	191.81	73.04	74.12	-1,330.44	-1,539.83
	(ख) अन्य लेखे	-759.25	-723.54	-101.91	-982.25	-1,696.28
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	-	-	-	-	-
	(घ) विविध	-	-	-	-	-
	कुल (L):	-567.44	-650.50	-27.79	-2,312.69	-3,236.11
M.-प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	332.91	398.45	509.19	612.45	546.02
	(ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	-4.69	-1.21	0.31	-6.16	-4.11
	कुल (M):	328.22	397.24	509.50	606.29	541.91
सकल योग		14,433.82	16,105.81	18,355.42	19,933.34	20,007.29


स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी:- (ऋणात्मक) डेबिट शेष को दर्शाता है तथा + (धनात्मक) क्रेडिट शेष को दर्शाता है

2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष राशि के संगठकों में आए वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.15 में दिए गए हैं।

चार्ट-2.15: लोक लेखा शेष के संघटकों में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: उचंत एवं विविध को अन्य लेखाओं से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त तालिका-2.26 से स्पष्ट है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान लोक लेखा शेष में लगातार वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान यह 2016-17 के ₹ 14,433.82 करोड़ से ₹ 5,573 करोड़ बढ़कर ₹ 20,007.29 करोड़ हो गया।

2020-21 में लोक लेखा के तहत अंत शेष 2019-20 के ₹ 19,933.34 करोड़ से ₹ 73.95 करोड़ (क्रेडिट) (0.37 प्रतिशत) थोड़ा बढ़कर ₹ 20,007.29 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यतः लघु बचत (₹ 985.51 करोड़) एवं निक्षेप व अग्रिम (₹ 81.35 करोड़) के शीर्षों के तहत क्रेडिट शेष में वृद्धि होने के कारण हुई, जो उचंत एवं विविध के तहत डेबिट शेष (₹ 923.42 करोड़) में हुए परिवर्तनों से समायोजित हो गई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं कि विवरणी 21 व 22 में उपलब्ध है। पांच आरक्षित निधियां (दो आरक्षित निधियां सब्याज एवं तीन आरक्षित निधियां ब्याज रहित) निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु निर्धारित की गई थीं। यदि ब्याज रहित आरक्षित निधियों में निवेश नहीं किया गया हो तो इन सब्याज आरक्षित निधियों के शेष पर ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है तथा इन शेषों को भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर के केन्द्रीय लेखा विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी

प्रतिभूति/कोषागार बिल में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2021 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि (सब्याज एवं ब्याज रहित) तालिका-2.27 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.27: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2021 तक बकाया शेष
क	सब्याज आरक्षित निधियां	1,882.54
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	233.81
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1648.73
ख	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	834.66
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	315.52
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	518.98
	सकल योग	2,717.20

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त में से ब्याज रहित दो आरक्षित निधियां अर्थात् औद्योगिक विकास एवं विद्युत विकास विगत पांच वर्षों से परिचालन में नहीं थीं। राज्य सरकार को इन अपरिचालित आरक्षित निधियों को बंद करना तथा शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करना शेष है।

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तों में राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाते हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार से इस निधि में क्रमशः 90:10 के अनुपात में अंश देना अपेक्षित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अंश की प्राप्ति को राज्य लेखाओं में मुख्य शीर्ष 1601- केंद्र सरकार से सहायता

अनुदान 07- वित्त आयोग अनुदान 104- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत राजस्व के रूप में लेखांकित किया जाता है। अंशदान की समस्त राशि (केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश) को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में हस्तांतरण हेतु समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार को शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदा लेखा पर राहत-05 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-101-आरक्षित निधि को हस्तांतरण एवं निपेक्ष लेखे- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत उचित बजट प्रावधान करना होगा। केन्द्रीय अंश की प्राप्ति होने पर राज्य अपने अंश के साथ यह राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अधीन सब्याज आरक्षित निधि के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित करेगा। राहत कार्यों पर हुआ वास्तविक व्यय केवल मुख्य शीर्ष 2245 के भीतर सम्बंधित उप/लघु शीर्ष में ही बुक किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 409 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 454 करोड़ (केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 409 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 45 करोड़) हस्तांतरित किए। वर्ष के दौरान ₹ 454.00 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 447.12 करोड़ का संवितरण/उपयोग किया गया। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने कोई राशि निवेश नहीं की।

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेष ₹ एक करोड़ का निवेश नहीं किया। यदि इस निधि का निवेश किया होता तो ₹ 0.06 करोड़ का ब्याज अर्जित किया जा सकता था।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय

वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाया गया है, के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

2.5.2.4 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

क्षतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियाँ एवं इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अथवा वहां घटित आकस्मिक मामलों के लिए संग्रहित धन के उपयोग एवं प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि का सृजन आवश्यक है। इस निधि के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं की। 2020-21 के दौरान ₹ 1,768.22 करोड़ (अथशेष: ₹ 1,660.72 करोड़ + वर्ष के दौरान जमा ब्याज: ₹ 107.50 करोड़) के प्रगतिशील शेष राशि में से मात्र ₹ 119.49 करोड़ संवितरित किए गए तथा 2020-21 की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 1,648.73 करोड़ अव्ययित रहे। यह राशि शीर्ष 8121-129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि के तहत बुक की गई है।


2.5.3 उचंत एवं विविध

2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय के प्रमाणस्वरूप वाउचर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) ने ₹ 227.65 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 81.77 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 145.88 करोड़) की राशि पर आपत्ति की तथा सम्पूर्ण राशि को लोक लेखा के तहत वस्तु शीर्ष 8658-102-उचंत लेखा के अंतर्गत अवरोधित/ निलंबित रखा गया। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में आपत्ति की गई इस राशि को वित्त लेखाओं में राजस्व/पूंजीगत व्यय अथवा विनियोजन लेखाओं में व्यय के रूप में दर्ज नहीं की गई।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

2016-17 से 2020-21 की अवधि हेतु समग्र ऋण की वर्ष-वार प्रास्थिति चार्ट-2.16 में नीचे दी गई है:



* सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण की गणना वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर की गई है।

2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनता है। वर्ष 2020-21 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट-2.17 में प्रस्तुत की गई हैं। 2016-21 पांच वर्ष की अवधि हेतु राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्ति तालिका-2.28 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.28: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
समग्र बकाया ऋण (1+2)		47,244.02	51,030.51	54,299.19	62,211.84	67,164.75*	
1.	लोक ऋण	(क) आंतरिक ऋण	31,494.03	33,591.47	35,363.18	39,527.77	42,918.22
		(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,076.43	1,079.43	1,061.77	1,043.81	1,544.51*
2.	लोक लेखा देयताएं	14,673.56	16,359.61	17,874.24	21,640.26	22,702.02	
3.	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.68	8.01	6.41	14.57	7.96	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन


4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,25,634	1,38,551	1,49,442	1,62,816	1,56,522
5.	समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	37.60	36.83	36.33	38.21	42.91*
6.	लोक ऋण प्राप्तियां	8,603.31	5,600.29	6,427.41	10,847.39	15,032.21*
7.	लोक ऋण चुकौतियां	3,942.84	3,499.85	4,673.34	6,700.75	11,141.05
8.	उपलब्ध लोक ऋण (6-7)	4,660.47	2,100.44	1,754.07	4,146.64	3,891.16
9.	लोक ऋण चुकौतियां / प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/8)	45.83	62.49	72.71	61.77	74.11
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,386.11	1,686.04	1,514.64	2,457.90	787.97
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	6,046.58	3,786.48	3,268.71	6,604.54	4,679.13

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है।

चार्ट-2.17: 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)



2020-21 में राज्य की कुल वित्तीय देयताएं 2016-17 के ₹ 47,244 करोड़ से 42.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 67,165 करोड़ हो गई, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण (₹ 11,424 करोड़) एवं लोक लेखा देयताएं (₹ 8,028 करोड़) में वृद्धि के कारण थी। 2020-21 में विगत वर्ष के 14.57 प्रतिशत की तुलना में समग्र राजकोषीय देयताओं में 7.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2016-17 के 37.60 प्रतिशत से बढ़कर 42.91 प्रतिशत* हो गया। देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 2.01 गुना तथा राज्य के अपने संसाधनों का 6.54 गुना थीं। उल्लेखनीय है कि वास्तविक बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जो 42.91 प्रतिशत* था, 15वें वित्त आयोग


* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है।

(36 प्रतिशत) एवं बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (33.62 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था।

विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का प्रतिशत 36 से 43 प्रतिशत के मध्य रहा। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान लगभग 46 प्रतिशत से 74 प्रतिशत ऋण प्राप्तियों का उपयोग पिछले दायित्वों के पुनर्भुगतान हेतु किया गया।

चार्ट-2.18: लिया गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020-21 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण 2016-17 के ₹ 8,502 करोड़ से ₹ 5,935 करोड़ (70 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 14,437 करोड़ हो गया। 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹3,144 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

बाजारी उधार, राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा है, जिसकी ब्याज दरें 6.30 से 9.75 प्रतिशत के मध्य है। 2020-21 में ₹ 14,437 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से, बाजारी उधार ₹ 6,000 करोड़ थे। ₹ 11,047 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण चुकौती में से बाजार ऋणों की चुकौती ₹ 2,245 करोड़ थी। 31 मार्च 2021 तक ₹ 31,897 करोड़ के बाजारी उधार बकाया थे। वर्ष के दौरान बाजारी उधार की निवल वृद्धि 13.34 प्रतिशत (₹ 3,755 करोड़) थी। राज्य सरकार को न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखने के लिए 63 अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष (₹ 7,744 करोड़) लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान ही चुका दिया गया था।

राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) तालिका-2.29 में परिलक्षित होता है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्तीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक ऋण,

भारत सरकार से ऋण, लोक लेखा सहित ऋण प्रवृत्तियों को चार्ट-2.19 में चिह्नांकित किया गया है।

तालिका-2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटे के संघटक	2,948.60	3,869.87	3,512.54	5,597.06	5,700.09
क राजस्व अधिशेष/घाटा	920.12	313.90	1,508.21	11.98	(-) 96.66
ख निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,499.03	(-)3,720.85	(-)4,574.59	(-)5,171.87	(-)5,306.33
ग निवल ऋण व अग्रिम	(-)369.69 [#]	(-)462.92	(-)446.16	(-)437.17	(-)297.10
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न)*					
1 बाजारी उधार	2,162.65	2,550.99	2,108.10	4,460.00	3,755.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	27.38	3.00	(-)17.65	(-) 17.95	2,217.73 ^{\$}
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	(-) 500.77	(-)514.71	(-)538.25	(-) 569.10	(-) 569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	80.31 [#]	61.16	201.86	273.69	204.54
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,204.51	1,391.97	1,113.14	1,187.60	985.51
6 निक्षेप एवं अग्रिम	181.36	188.63	408.91	173.71	81.35
7 उचंत व विविध	(-) 71.74	(-)118.76	1.08	(-) 1,404.92	(-) 209.39
8 प्रेषण	(-)35.23	69.02	112.25	96.80	(-) 64.38
9 आरक्षित निधियां	0.25	105.45	(-) 7.43	2,404.71	(-) 5.11
10 समग्र घाटा	3048.72	3736.75	3382.01	6604.54	6,396.15
11 नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	(-) 100.12	133.12	130.53	(-) 1,007.48	(-) 696.06
12 सकल राजकोषीय घाटा	2,948.60	3,869.87	3,512.54	5,597.06	5,700.09

स्रोत: वित्त लेखे


*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का निवल हैं।

₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) की राशि को छोड़कर

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल हैं।

चार्ट-2.19: 2016-21 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



2020-21 में ₹ 5,700 करोड़ के राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण जिसमें बाजारी उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण, लघु बचत आदि शामिल थे, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जैसा कि तालिका-2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.30: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	6,000.00	2,245.00	3,755.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	2,311.87	94.14	2,217.73*
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0	569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	692.86	488.32	204.54
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,665.79	2,680.28	985.51
6 निक्षेप एवं अग्रिम	3,555.45	3,474.10	81.35
7 उचंत व विविध	884.56	1,093.95	-209.39
8 प्रेषण	6,774.69	6,839.07	-64.38
9 आरक्षित निधियां	564.40	569.51	-5.11
10 समग्र घाटा	24,449.62	18,053.47	6,396.15*
11 नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	1,060.18	1,756.24	-696.06
12 सकल राजकोषीय घाटा	23,389.44	16,297.23	5,700.09*

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है।

लोक ऋण


राज्य के बकाया लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.31 एवं चार्ट-2.20 में दी गई है।

तालिका-2.31 लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

परिपक्वता वर्ष	अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	कुल	
2021-22 से	0 - 1	3,050	97	3,147	7.18
2022-23 व 2023-24 के मध्य	1 - 3	6,850	204	7,054	16.09
2024-25 व 2025-26 के मध्य	3 - 5	7,701	124	7,825	17.85
2026-27 व 2027-28 के मध्य	5 - 7	8,329	112	8,441	19.25
2028-29 से लगातार	7 व उससे ऊपर	16,988	390*	17,378*	39.63
योग		42,918	927	43,845	100

स्रोत: वित्त लेखे

* इस राशि में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा ₹ 617.90 करोड़ (पूँजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना: ₹ 533.00 करोड़; पूर्व-1984-85 ऋण: ₹ 0.13 करोड़ एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना ऋण: ₹ 84.77 करोड़) जिनकी परिपक्वता अनिश्चित है, को शामिल नहीं किया गया।




तालिका-2.31 से स्पष्ट है कि मार्च 2021 तक कुल बकाया लोक ऋण (मूलधन) ₹ 44,463 करोड़ था, जिसमें वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं हैं। ₹ 618 करोड़ की राशि के ऋणों की परिपक्वता अनिश्चित होने के कारण इन्हें बकाया ऋण की परिपक्वता रूपरेखा में शामिल नहीं किया गया। 31 मार्च 2021 तक लोक ऋण के ₹ 43,845 करोड़ (₹ 44,463 करोड़ - ₹ 618 करोड़) के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा

दर्शाती है कि कुल बकाया ऋण का 60 प्रतिशत (₹ 26,467 करोड़) आने वाले सात वर्षों में तथा शेष ₹ 17,378 करोड़ (40 प्रतिशत) को सातवें वर्ष के बाद परिपक्व होना है।

ब्याज सहित बकाया लोक ऋण की अदायगी की समय-सारणी चार्ट-2.21 में दी गई है।

चार्ट-2.21: लोक ऋण की अदायगी की समय-सारणी



टिप्पणी: ₹ 1,717 करोड़ (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त) एवं ₹ 617.90 करोड़ (जिसकी परिपक्वता अनिश्चित है) का प्रभाव लोक ऋण की गणना में नहीं लिया गया।


अगले एक वर्ष में ब्याज सहित कुल बकाया लोक ऋण ₹ 65,860 करोड़ (मूल: ₹ 43,845 करोड़ व ब्याज: ₹ 22,015 करोड़) में से 10 प्रतिशत (₹ 6,475 करोड़) देय है, 39 प्रतिशत (₹ 25,606 करोड़) अगले दो से पांच वर्षों में देय है, जबकि शेष 51 प्रतिशत (₹ 33,778 करोड़) की अदायगी पांच वर्षों के बाद की जानी है। अगले पांच वर्षों 2025-26 तक, लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,416 करोड़ होगा। वर्ष के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,618 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के ₹ 7,444 करोड़ को छोड़कर) है।

बाजारी उधार / ऋण

बकाया बाजारी ऋण एवं उस पर भविष्य में चुकाए जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण चार्ट-2.22 में दिया गया है।

चार्ट-2.22: बाजारी ऋणों की अदायगी की समय-सारणी

(₹ करोड़ में)



राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2023-24 तक बाजारी ऋणों पर ₹ 5,322 करोड़ मूलधन एवं ₹ 6,974 करोड़ ब्याज चुकाना होगा। 2025-26 तक आगामी दो वर्षों में ₹ 4,995 करोड़ मूलधन एवं ₹ 3,762 करोड़ ब्याज देय होगा। 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजारी ऋण अदायगी व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 4,211 करोड़ होगा। वर्ष के दौरान ब्याज सहित ऋणों की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 4,457 करोड़ है।

2026-27 से 2030-31 के दौरान, ₹ 16,480 करोड़ का ऋण एवं ₹ 5,605 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऐसे में राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 4,417 करोड़ की अदायगी वार्षिक रूप से करनी होगी।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता का निर्धारण करने वाले तथा भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों को चुकाने में उसकी क्षमता का संकेत देने वाले विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति, ऋण भुगतान व ऋण प्राप्ति के अनुपात; राज्य के पास उपलब्ध कुल ऋण के सन्दर्भों में सरकार के ऋण की धारणीयता का आंकलन प्रस्तुत करता है। तालिका-2.32, 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में इन सूचकांकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका-2.32: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता सूचकांक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	32,570	34,671	36,425	40,572	44,463 [§]
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.70	6.45	5.06	11.39	9.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,25,634	1,38,551	1,49,442	1,62,816	1,56,522
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.92	25.02	24.37	24.92	28.41 [§]
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,459	2,829	2,958	3,071	3,228
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (अदा ब्याज/लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.13	8.41	8.32	7.97	7.59
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.36	10.34	9.56	9.99	9.65
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण भुगतान का प्रतिशत	45.83	62.49	72.71	61.77	74.12
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण [#] (₹ करोड़ में)	2,201	(-729)	(-1,204)	1,076	664
ऋण प्राप्तियों के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	25.58	-13.02	-18.73	9.91	4.42
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार [@] + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	1,010	566	342	-969	-6,322

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति आधिक्य के रूप में की जाती है।

* बकाया लोक ऋण, केंद्र सरकार से शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण व अग्रिम के तहत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।

@ प्रमात्रा विस्तार = ऋण X ब्याज विस्तार; ब्याज विस्तार = सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - औसत ब्याज दर


§ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़कर।

ऋण धारणीयता की आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना होगी बशर्ते प्राथमिक शेष शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार यदि प्राथमिक घाटा एवं परिमाण विस्तार दोनों ऋणात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः बढ़ जाएगा।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में लोक ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 24.37 से 28.41 प्रतिशत था। 2020-21 में विगत वर्ष की तुलना में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की वृद्धि का मुख्य कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ऋणात्मक (-3.87 प्रतिशत) तथा लोक ऋण की वृद्धि दर (9.59 प्रतिशत) बढ़ने के कारण हुई।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति चार्ट-2.23 में दर्शाई गई है।

चार्ट-2.23: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति



2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण ₹ 32,570 करोड़ से 36.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 44,463 करोड़ तक बढ़ गया (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं है)। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ 2016-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.65 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि हुई, इसी अवधि के दौरान बकाया लोक ऋण (₹ 1,717 करोड़ राशि को छोड़ते हुए) में 8.09 प्रतिशत की दर से तीव्र वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों का नौ से 10 प्रतिशत था तथा ऋण प्राप्तियों का 46 से 74 प्रतिशत भाग मौजूदा देयताओं के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों की वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.33 एवं चार्ट-2.24 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका-2.33: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	1	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल उधार	2	8,603.31	5,600.29	6,427.40	10,847.39	15,032.21 [@]
पिछले उधारों की अदायगी (मूलधन)	3	3,942.84 (45.83)	3,499.85 (62.49)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)
निवल पूंजीगत व्यय*	4	3,499.03 (40.67)	2,100.44 (37.51)	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)
संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	5	1,161.44 (13.50)	-निरंक-	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -
राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग	6	{2-(3+4+5)}	-निरंक-			

@ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग को दर्शाते हैं।

चार्ट-2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



2016-21 के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था। पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी हेतु उधार ली गई निधियों का उपयोग 46 से 74 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय हेतु 26 प्रतिशत से 41 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान उधार ली गई निधियों का 74.11 प्रतिशत पिछले उधारों (मूलधन) के लिए तथा 25.89 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु किया गया।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति) - आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति

गारंटियां, राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं होती हैं, जो उधारकर्ताओं, जिन्हें गारंटी दी गई थी, के बकाया (चूक) होने की स्थिति में उत्पन्न होती है। वित्त लेखों की विवरणी-9 एवं 20 के अनुसार विगत पांच वर्षों में राज्य द्वारा अधिकतम राशि हेतु दी गई गारंटियां तालिका-2.34 में दी गई है तथा 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक राज्य सरकार से गारंटियां प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता/निकायों के विवरण चार्ट-2.25 में दिए गए हैं।

तालिका-2.34: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां


गारंटियां	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गारंटियों की बकाया राशि	4,550.42	4,393.66	4,309.21	1,947.07	2,141.76
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,053.02	146.27	74.28	639.70	418.03
वर्ष के दौरान विलोपन	2,217.00	303.03	158.72	3,001.84*	165.60
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	19	17	16	6	7

(₹ करोड़ में)

* वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के रूप में दर्शाई गई थी।

चार्ट-2.25: 31 मार्च 2021 के अंत तक गारंटी प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)



2020-21 के दौरान गारंटी की कोई राशि नहीं मांगी गई। 31 मार्च 2021 तक वित्त लेखों के

अनुसार गारंटियों की बकाया राशि ₹ 2,141.76 करोड़ थी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चालू लेखे नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों के अंतर का मिलान नहीं किया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत (₹ 138 करोड़), सांविधिक निगम एवं बोर्ड (₹ 204 करोड़), एवं सहकारिता बैंक (₹ 75.85 करोड़) रहे (चार्ट-2.25)। 2020-21 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹ 2,142 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 एवं सरकार के दिशा-निर्देशानुसार (6 मार्च 1992) गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ता से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) एवं प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) उदग्रहित किया जाना है। राज्य सरकार को निकायों/इकाइयों से प्राप्तयोग्य गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों (2018-19 से) में राज्य सरकार ने गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की कोई राशि प्राप्त/उदग्रहित नहीं की। 2019-20 में ₹ 0.72 लाख एवं 2020-21 में ₹ 2.16 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने प्राप्त की।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाये रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक ₹ 715 करोड़ एवं 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ₹ 880 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय भी देती है।

2020-21 के दौरान राज्य सरकार 302 दिनों के लिए न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से कुल ₹ 7,744.47 करोड़ का अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (51 अवसरों पर ₹ 6,444.59 करोड़ का सामान्य/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 12 अवसरों पर ₹ 1,299.88 करोड़ का अधिविकर्ष) लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुका दिया गया। वर्ष

2020-21 की समाप्ति पर कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष नहीं था। तालिका-2.35 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इसमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका-2.35: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 तक अथ शेष	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	निरंक	निरंक	निरंक
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	निरंक	निरंक	निरंक
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	77.93	59.96	(-) 17.97
कुल	77.93	59.96	(-) 17.97
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	9,82.06	1,696.09	714.03
योग (क)	1,059.99	1,756.05	696.06
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	निरंक
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03	निरंक
निर्धारित निधियों का निवेश	निरंक	निरंक	निरंक
योग (ख)	0.19	0.19	निरंक
योग (क+ख)	1,060.18	1,756.24	696.06

वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष 2019-20 के ₹ 1,060.18 करोड़ से ₹ 696.06 करोड़ बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,756.24 करोड़ हो गया। नकद शेष से किए गए निवेश में भी वृद्धि हुई जो ₹ 982.06 करोड़ से ₹ 1,696.09 करोड़ हो गया।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका-2.36 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-2.36: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2016-17	556.80	759.43	202.63	53.30
2017-18	759.43	723.72	(-) 35.71	81.13
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88

स्रोत: वित्त लेखे


2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2018-19 के दौरान निवेशों में उल्लेखनीय गिरावट हुई। तदोपरांत 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान, क्रमशः ₹ 879.97 करोड़ व ₹ 714.03 करोड़ का निवेश हुआ। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में किए गए नकद शेष निवेशों से ₹ 31.88 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उसका लाभकारी उपयोग न करके बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा, यह खराब प्रबंधन का परिचायक है।

चार्ट-2.26 2016-21 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम ब्याज दरों पर किए गए थे।


चार्ट-2.26: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष

(₹ करोड़ में)



चार्ट-2.27, 2020-21 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट-2.27: 2020-21 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्रोत: मासिक सिविल लेखे

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उनका सृजनात्मक उपयोग न करते हुए बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 3,755 करोड़ लिए जबकि तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में नकद शेष उपलब्ध था तथा इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

- 2016-20 के दौरान वित्तायोग की संस्तुतियों पर केन्द्रित हस्तांतरण में वृद्धि के कारण राज्य में राजस्व अधिशेष हुआ। यद्यपि 2016-17 (₹ 920 करोड़) से 2019-20 (₹ 12 करोड़) में राजस्व अधिशेष में लगातार गिरावट हुई (2018-19 को छोड़कर)। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक विगत वर्ष का राजस्व अधिशेष ₹ 97 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।
- 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 5,700 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत था जो 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। घाटे को मुख्यतः बाजारी उधारों से पूरा किया गया।
- राजस्व प्राप्तियों का मात्र 31 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आए जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल थे, जबकि शेष 69 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों से आए, जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (14 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान

(55 प्रतिशत) शामिल थे, जो वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय हस्तांतरणों एवं उधार ली गई निधियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।

- 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.15 प्रतिशत (78.87 से 86.40 प्रतिशत के मध्य) था। 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 68 से 71 प्रतिशत था जबकि यह राजस्व प्राप्तियों का 65 से 70 प्रतिशत रहा।
- 2020-21 के दौरान विगत वर्ष 2019-20 (₹ 5,174 करोड़) की अपेक्षा पूंजीगत व्यय (₹ 5,310 करोड़) में ₹ 136 करोड़ (2.62 प्रतिशत) की आंशिक वृद्धि हुई, जो कुल व्यय का 14 प्रतिशत था।
- वर्ष की समाप्ति पर विगत वर्ष की अपेक्षा समग्र राजकोषीय देयताएं 7.96 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 67,165 करोड़ थी। 2020-21 में कुल राजकोषीय देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष के 38.21 प्रतिशत की तुलना में 42.91 प्रतिशत रहा। यह 2020-21 के दौरान 15वें वित्तायोग (36 प्रतिशत) एवं बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (33.62 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था। 2020-21 में सरकार के आंतरिक ऋण 2019-20 के ₹ 39,528 करोड़ से ₹ 42,918 करोड़ (8.58 प्रतिशत) तक बढ़ गए।
- 2020-21 के दौरान 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारिताओं पर उसके कुल निवेश (₹ 4,562.40 करोड़) पर 5.38 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया तथा उसके उधारों पर 7.44 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। एक कंपनी ने कुल प्रतिफल के 98 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की।
- विगत पांच वर्षों (मार्च 2021 तक) में विद्युत् परियोजनाओं एवं उद्योग व खनिज के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों की अदायगी नहीं की गई तथा मामूली अदायगी के बावजूद फसल पालन को अतिरिक्त ऋण दिए गए। वर्ष के दौरान समग्र बकाया शेष में वृद्धि हुई।
- 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार ने पांच आरक्षित निधियों का संचालन किया, जिसमें से दो सब्याज आरक्षित निधियां (₹ 1,882.54 करोड़ क्रेडिट) एवं तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां (₹ 834.66 करोड़ क्रेडिट) हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इनमें से कोई भी राशि निवेशित नहीं की।

2.9 सिफारिशें

- राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
- राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के तरीके खोजें ताकि विकासात्मक व्यय हेतु अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें;
- राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत पर लिए उधार को देखते हुए इनमें निवेश की गई पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के मार्ग खोजें;
- विभिन्न क्षेत्रों को अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों की वसूली करने में सरकार कमजोर रही, अतः राज्य सरकार ऋणों व अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा लेखाओं में उनकी सही स्थिति दर्शाने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करें;
- राज्य सरकार आगामी लागत-वृद्धि से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अध्याय-III
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, रखवाएगा। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों¹ को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट से सम्बन्धित जरूरी शब्दों की शब्दावली परिशिष्ट-3.1 में दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट चार्ट-3.1 में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनता है।


चार्ट-3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों तथा घटकों का विवरण



1 **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2020-21 के लिए बजट कार्यान्वयन का सारांश नीचे चार्ट-3.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट- 3.2: वर्ष 2020-21 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



स्रोत: बजट नियमावली व विनियोजन लेखे में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश

2020-21 में व्यय के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 61,597 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 53,139 करोड़ (86 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8,458 करोड़ (14 प्रतिशत) की बचत हुई। 2020-21 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: 2016-17 से 2020-21 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2016-17	31,253	7,423	31,312	7,396	59	-27
2017-18	33,869	7,399	30,440	7,371	-3,428	-28
2018-19	37,936	9,048	33,620	8,849	-4,316	-199
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741

स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसाकि तालिका-3.2 से स्पष्ट है, 2017-18 के बाद से दोनों प्रभागों (अर्थात दत्तमत एवं प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ बचत हुई। यह इंगित करता है कि राज्य सरकार को अपने बजट प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। परिच्छेद-3.3.7 में पर्याप्त एवं निरन्तर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं तथा इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन,

अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका-3.3 बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय के सारांश को दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका-3.3: बजट प्रावधान के बिना हुए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन संख्या	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
प्रभारित			
5	2053-00-093-01-S00N	0.72	सामान्य स्थापना
	3454-02-110-02-S00N	17.00	प्रबंधन प्रकोष्ठ
8	2202-04-200-03-S10N	17.39	पढ़ना लिखना अभियान
9	2211-00-200-05-S00N	371.26	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रावधान
10	5054-04-337-02-S00N	0.68	सड़कों का निर्माण
11	2401-00-800-14-S00N	33.63	फसल विविधीकरण परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)
	2401-00-001-01-S00N	5.30	निदेशालय
14	2405-00-101-10-C53N	50.45	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
	2405-00-101-10-S13N	12.61	
16	2406-01-01-02-S000N	4.90	संभागीय प्रतिष्ठान
21	2425-00-001-01-S00N	13.04	निदेशालय
28	2217-80-193-05-S00N	35.00	पार्किंग का निर्माण
30	4220-60-101-02-S00N	5.00	प्रेस क्लब भवन का निर्माण
31	2202-04-796-03-S10N	2.69	पढ़ना लिखना अभियान
	2235-02-796-19-C90N	0.25	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
32	2401-00-789-25-C90N	96.00	कृषि विकास योजना (कृषि)
	2401-00-789-25-S10N	10.67	
	कुल	580.59	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.3.2 विनियोजन अधिनियम द्वारा अंतरण (बैंक खातों में) अधिदेशित न करना

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों का आहरण एवं उन्हें बैंक खातों में जमा करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 183 (V) व नियम 184 (I) का उल्लंघन है। इसमें दुर्विनियोजन का जोखिम होता है क्योंकि निधियां बिना किसी निगरानी के सरकारी खाते से बाहर रहती हैं तथा अनधिकृत उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है।

लेनदेनों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2020-21 के दौरान ₹ 1,350.50 करोड़ की राशि कोषागार से आहरित कर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अंतरित की गई, जो हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2017 के नियम 183(V) व 184(I) का उल्लंघन था।

3.3.3 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय व प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाईयों को श्रेणीबद्ध करते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण का प्रावधान रखने के लिए विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में अथवा पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण, राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटा/ अधिशेष की अत्योक्ति/ न्यूनोक्ति में परिणत होता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान यह देखा गया कि ₹ 8.23 करोड़ का व्यय पूंजीगत वर्ग के बजाए राजस्व वर्ग के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया तथा ₹ 10.51 करोड़ गलत तरीके से राजस्व वर्ग की अपेक्षा पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत दर्ज किए गए, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के कारण राज्य के राजस्व घाटे में अधिकतम ₹ 2.28 करोड़ की न्यूनोक्ति रही।

3.3.4 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान


बजट में हुई संभावित अथवा वास्तविक बचत को व्यय की नई मदें प्रस्तुत करने के अवसर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए तथा उन्हें (ऐसे व्यय को) अगले वर्ष तक रोका जाना चाहिए। बजट में स्पष्ट रूप से हुई बचत को इस डर के बिना कि अगले वर्ष बजट आवंटन घट जाएगा, अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

एक उप शीर्ष से दूसरे में बहुत अधिक पुनर्विनियोजन करने से सदैव बचना चाहिए। वर्ष के दौरान नया व्यय प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण स्पष्टीकरण यह है कि वह नया व्यय, जिसे टाला नहीं जा सकता अथवा जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो अथवा वह जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्मित करेगा अथवा वह जो राजस्व या जनता को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, परन्तु ऐसी परिस्थिति में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यह आवश्यकताएं पहले से ज्ञात नहीं थी तथा बजट में इसका प्रावधान किया गया था। पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया मात्र त्रुटियां तथा दूरदर्शिता के अभाव को सुधारने हेतु नहीं बनाई गई है।

2020-21 के दौरान 10 अनुदानों (राजस्व/पूंजीगत- दत्तमत) के तहत 10 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 140.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका-3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। तीन मामलों (तालिका-3.5) में ₹ 349.83 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए

क्योंकि कुल ₹ 88.60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट-3.3)।

चार्ट-3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका-3.4: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
(₹ करोड़ में)					
राजस्व-दत्तमत					
1.	4-सामान्य प्रशासन	244.15	4.63	213.21	30.94
2.	6-आबकारी एवं कराधान	84.73	17.01	84.22	0.52
3.	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1,248.03	24.43	1,207.72	40.31
4.	21-सहकारिता	36.46	2.49	36.25	0.21
5.	27-श्रम रोजगार और प्रशिक्षण	362.38	11.14	257.14	105.25
पूंजीगत दत्तमत -					
6.	3-न्याय प्रशासन	7.05	1.23	5.15	1.90
7.	7-पुलिस और संबद्ध संगठन	62.64	10.79	43.05	19.59
8.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	174.50	5.53	68.97	105.53
9.	31-जनजातीय विकास	435.13	6.16	365.86	69.28
10.	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,390.21	56.81	1,297.27	92.94
कुल		4,045.30	140.23	3,578.84	466.46

स्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका-3.5: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत					
1	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	655.66	78.46	754.51	20.39
पूँजीगत - दत्तमत					
2	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	1,208.50	225.53	1,496.13	62.10
3	25-सड़क और जल परिवहन	102.67	45.84	154.62	6.11
कुल		1,966.83	349.83	2,405.26	88.60

यद्यपि राज्य सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांग सम्बन्धित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में होने वाले अतिरिक्त व्यय का हवाला देते हुए की, तथापि 10 मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से भी कम रहा, जैसाकि तालिका-3.4 दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 मामलों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधानों से अधिक था, जैसाकि तालिका-3.5 दर्शाया गया है। उपरोक्त दृष्टांत दर्शाते हैं कि प्रशासनिक विभाग, व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/अनुमान नहीं कर पाया था।

3.3.5 पुनर्विनियोजन हेतु पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता

‘पुनर्विनियोजन’ का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। इस प्रकार, सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरे इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, अतः निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के भीतर मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे के लिए बदला जाता है। एक निश्चित प्रयोजन हेतु विधानसभा की सम्मति से किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2020-21 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया। अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.6 अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी एक इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे कई मामले थे जहां पुनर्विनियोजन या तो अनावश्यक या अपर्याप्त सिद्ध हुए, जिनका विवरण परिशिष्ट-3.2 में दिखाया गया है। तालिका-3.6 (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत) एवं तालिका-3.7 क्रमशः अनावश्यक व अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के कुछ प्रमुख दृष्टांतों का विवरण दर्शाती है।

तालिका-3.6: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपुरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	बचत
1	7-पुलिस और	2055-00-109-01	660.03	0.09	6.32	666.45	551.82	-114.63
2	संबद्ध संगठन	2070-00-108-02	40.24	0	5.33	45.57	35.38	-10.19
3		2202-02-109-01	2,359.49	0	5.82	2,365.31	2,029.96	-335.35
4		2202-03-103-07	47.06	0	0.33	47.39	12.97	-34.42
5	9-स्वास्थ्य	2210-01-110-03	308.45	0	21.00	329.46	245.16	-84.30
6	और परिवार कल्याण	2211-00-200-05	334.42	0	9.71	344.13	250.82	-93.31
7	10- लोक	3054-04-105-19	184.44	0	0.13	184.57	134.94	-49.63
8	निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	5054-04-337-11	50.00	0	10.00	60.00	44.07	-15.93
9	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-02	149.59	0	0.42	150.01	97.61	-52.40
10	32-अनुसूचित	2235-02-789-01	77.72	0	4.47	82.19	60.44	-21.75
11	जाति उप	4215-02-789-02	38.43	0	0.90	39.33	13.90	-25.43
12	योजना	5054-04-789-01	175.07	0	4.95	180.01	167.39	-12.62
13		5054-04-789-04	61.50	0	0.20	61.70	40.48	-21.22

स्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका-3.7: अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के उदाहरण जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपुरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
1	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4210-03-105-01	13.98	78.01	0.05	92.04	118.08	26.03
2	10- लोक निर्माण	5054-04-101-01	5.00	0.75	13.78	19.53	25.56	6.03
3	कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	5054-04-337-09	394.86	117.70	66.12	578.68	724.20	145.52
4	13-सिंचाई,	2215-01-005-02	0.58	0	3.20	3.78	11.78	8.00
5	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-01	36.01	0	68.81	104.82	159.76	54.94

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
6	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2235-60-102-04	69.24	0	0.09	69.33	70.37	1.05
7	29- वित्त	2049-05-105-02	0	0	91.30	91.30	107.50	16.20
8		2071-01-104-02	732.45	0	0.06	732.51	572.83	42.42
9	31-जनजातीय विकास	2215-01-796-01	4.91	0	1.31	6.21	8.02	1.84
10		5054-04-796-01	45.69	0	8.07	53.76	55.98	2.22
11		5054-04-796-02	54.00	3.26	30.01	87.26	99.73	12.47
12	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2202-02-789-02	10.08	0	0.75	10.83	13.68	2.85
13		5054-04-789-08	151.14	36.55	40.84	228.53	284.23	55.70

उपरोक्त तालिका-3.6 व 3.7 में दर्शाए गए सभी मामलों में मार्च 2021 के महीने में पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे, जिसमें संबंधित योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को बताया गया था। तथापि, तालिका-3.6 में दर्शाए गए 13 मामलों में पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व उससे अधिक की बचत) अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। दूसरी ओर, तालिका-3.7 में दर्शाए गए 13 मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि इन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य बना हुआ था।

यद्यपि, 2020-21 के दौरान पूंजीगत से राजस्व में तथा राजस्व से पूंजीगत में एवं दत्तमत से प्रभारित या प्रभारित से दत्तमत में पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं देखा गया।

3.3.7 बचतें

पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजट में हर उस बात का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, व्यय पर खराब निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता / कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को प्रोत्साहित किया तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक

खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को बढ़ाया। अत्यधिक बचत ने अन्य विभागों को भी निधियों से वंचित किया जिसे उपयोग किया जा सकता था।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि 64 मामलों में, बचत कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ या 20 प्रतिशत से अधिक हुई, जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में वर्णित है। विभिन्न अनुदानों में ₹ 59,042 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति अप्रयुक्त ₹ 8,546 करोड़ बचत के रूप में शेष रहे। 15 अनुदानों (दत्तमत) में, ₹ 8,546 करोड़ की कुल बचत/अप्रयुक्त राशि में से 16 मामलों में ₹ 7,104 करोड़ (83 प्रतिशत) राशि की पर्याप्त बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) पाई गई जोकि तालिका-3.8 में दर्शाई गई है।


तालिका-3.8: वर्ष के दौरान बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से ऊपर) वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)								
क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़ कर बचत
राजस्व- (दत्तमत)								
1	5	1,363.11	0	1,363.11	1,246.68	-116.43	-14.64	-101.79
2	7	1,549.20	0	1,549.20	1,243.75	-305.45	-62.22	-243.23
3	8	7,068.14	0	7,068.14	5,706.05	-1,362.09	-745.32	-616.77
4	9	2,406.99	0	2,407.00	1,917.35	-489.64	-111.43	-378.22
5	10	3,752.85	0	3,752.85	2,789.83	-963.02	-27.78	-935.24
6	13	2,774.82	0	2,774.82	2,644.74	-130.08	-483.65	353.57
7	16	809.81	0.01	809.82	639.30	-170.51	-107.01	-63.50
8	20	1,409.77	0	1,409.77	1,246.30	-163.47	-106.55	-56.92
9	27	362.38	11.14	373.52	257.14	-116.39	-0.09	-116.30
10	29	7,382.45	0	7,382.45	6,179.79	-1,202.66	-1,250.46	47.80
11	31	1,504.70	0	1,504.71	1,089.02	-415.69	-132.22	-283.48
12	32	1,453.72	0	1,453.72	1,189.03	-264.69	-36.64	-228.06
पूँजीगत- (दत्तमत)								
13	15	444.54	0	444.54	226.47	-218.07	-207.89	-10.18
14	26	958.71	0	958.71	34.03	-924.68	-890.00	-34.68
15	28	174.50	5.53	180.03	68.97	-111.06	0	-111.06
16	32	1,390.21	56.81	1,447.02	1,297.27	-149.75	0	-149.75
कुल		34,805.90	73.49	34,879.41	27,775.72	-7,103.68	-4,175.90	-2,927.81

स्रोत: विनियोजन लेखे।

बचत के कारणों को न तो विनियोजन लेखों में दिया गया (सामान्य/नियमित प्रकृति के कारणों को छोड़कर) और न ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया (दिसम्बर 2021 तक)। इन अनुदानों के अंतर्गत हुई बड़ी बचत यह दर्शाती है कि राज्य सरकार ने आवश्यक निधियों का ठीक अनुमान किए बिना बजट प्रावधान बनाए थे।

चार्ट-3.4 में बजट आबंटन के प्रति हुई बचत के प्रतिशत को अनुदानों/विनियोजनों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

विगत पांच वर्षों के दौरान 23 अनुदानों में 31 मामलों में (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) निरंतर बचत हुई (विवरण परिशिष्ट-3.4 में), जिनमें से पांच मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे तालिका-3.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.9: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व-दत्तमत							
1	08	शिक्षा	864.96	665.02	955.16	1,110.61	1,362.09
2	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	295.90	211.66	330.83	377.72	489.64
3	20	ग्रामीण विकास	121.61	402.93	383.93	351.17	163.47
4	31	जनजातीय विकास	177.85	242.34	325.72	371.39	415.69
5	32	अनुसूचित जाति उप योजना	321.14	405.83	390.87	513.37	264.69

स्रोत: विनियोजन लेखे।

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे तथा निधियों के आबंटन के दौरान पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। इसे पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रत्येक मामले के दृष्टांत तालिका-3.10 में दिए गए हैं।

तालिका- 3.10: मार्च माह की समाप्ति तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1	03	265.62	1.23	266.86	211.84	-55.02	35.98
2	04	266.29	4.63	270.93	226.07	-44.86	29.02
3	05	1,373.96	1.64	1,375.60	1,259.16	-116.43	14.64
4	07	1,611.84	10.89	1,622.73	1,286.90	-335.82	62.22
5	08	7,179.64	19.69	7,199.33	5,837.22	-1,362.11	745.32
6	09	2,562.54	108.40	2,670.95	2,172.50	-498.45	111.43
7	10	4,961.35	243.58	5,204.93	4,298.60	-906.34	27.78
8	11	534.48	0.05	534.53	445.99	-88.55	51.10
9	13	3,726.30	3.04	3,729.34	3,567.71	-161.62	483.65
10	14	450.19	0.00	450.19	369.89	-80.30	40.34
11	15	521.55	0.00	521.55	281.59	-239.97	214.89
12	16	830.54	0.02	830.56	656.49	-174.07	107.99
13	18	254.71	0.23	254.93	206.21	-48.72	24.24
14	20	1,421.04	0.60	1,421.64	1,258.16	-163.48	106.55
15	22	305.72	0.09	305.81	275.84	-29.97	28.36
16	26	1,112.20	0.00	1,112.20	165.63	-946.57	909.82
17	29	15,725.66	8,002.63	23,728.29	21,803.35	-1,924.94	1,565.89
18	31	1,939.84	6.19	1,946.03	1,454.90	-491.13	132.22
19	32	2,843.93	56.81	2,900.74	2,486.30	-414.44	36.64
कुल		47,887.40	8,459.72	56,347.14	48,264.35	-8,082.79	4,728.08

स्रोत: विनियोजन लेखे।


जैसाकि तालिका में दिया है कि 19 मामलों में ₹ 4,728.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण (आवंटित मूल बजट का 9 प्रतिशत) माह मार्च 2021 में किया गया।

मार्च के समाप्ति पर निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्न स्तरीय निगरानी, कमज़ोर वित्तीय नियंत्रणों को दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु न किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.5 में दिया गया है।


चार्ट-3.5: उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या का वितरण



एक अनुदान (अनुदान संख्या 26-पर्यटन एवं नागरिक उड़डयन) में उपलब्ध निधियों का केवल 15 प्रतिशत उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 946.57 करोड़ की बचत हुई। इस बचत का मुख्य कारण अनुमान से कम परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति रहा।

चार्ट-3.6: वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व हुई बचत एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अभ्यर्पण आदेशों से देखा गया, सभी अभ्यर्पण (₹ 4,736 करोड़) मार्च, 2021 के महीने में किए गए थे। यह निधियों के कमज़ोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.8 व्यय आधिक्य तथा इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.8.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इस को टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्रावधान से व्यय आधिक्य के विवरण तालिका-3.11 दिए गए हैं।

तालिका-3.11: 2020-21 के दौरान अनुदान/ विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

		विभाग/अनुदान के नाम				
		13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	31- जनजातीय विकास	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	25- सड़क और जल परिवहन
दत्तमत	राजस्व	00	20,39,26,716	00	00	00
	पूंजीगत	00	00	00	62,10,40,558	6,11,05,979
प्रभारित	राजस्व	8,39,000	00	00	00	00
	पूंजीगत	00	00	453	00	00
कुल आधिक्य		88,69,12,706				

स्रोत: विनियोजन लेखे

2020-21 में पांच मामलों (पांच अनुदानों से संबंधित) में बजट प्रावधान से अधिक ₹ 88.69 करोड़ का व्यय आधिक्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपरोक्त में उल्लेखनीय योगदान देने वाली योजनाओं के तहत राज्य की समेकित निधि से प्राधिकरण पर अधिक संवितरण का विवरण तालिका- 3.12 में दिया गया है।

तालिका-3 21-2020 :12.के दौरान प्राधिकरण के सापेक्ष शीर्षवार संवितरण-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	आधिक्य
राजस्व दत्तमत								
1	28	2217-80-191-56	वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त ग्रेटर शिमला जलापूर्ति योजना	108.89	0	108.89	180.13	71.24
2		2217-80-191-57	अटल श्रेष्ठ शहर योजना	2.00	0	2.00	3.80	1.80
राजस्व दत्तमत								
3	13	2215-01-102-13	सामग्री व दैनिक वेतनभोगियों पर व्यय	0.0001	0	0.0001	0.084	0.084
पूंजीगत दत्तमत								
4	10	4059-80-051-03	विश्राम गृह/ सर्किट गृहों का निर्माण	9.64	0	9.64	13.14	3.50
5		5054-04-101-01	पुलों का निर्माण	5.75	13.78	19.53	25.56	6.03
6		5054-04-337-09	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के तहत कार्यक्रम निधि एवं प्रशासनिक व्यय निधि	512.56	66.12	578.68	724.20	145.52
7		5054-04-337-15	मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़कें और पुल)	6.78	0	6.78	12.08	5.30
8	25	5002-01-120-01	रेलवे लाइनों का निर्माण	80.33	0	80.33	87.50	7.17

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.3.8.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष व्यय आधिक्य देखा गया है। यह निरंतर व्यय आधिक्य परिचायक है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था तथा बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाए गए। बार-बार होने वाले ऐसे व्यय आधिक्य राज्य विधायिका की इच्छा की अवहेलना है। विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना कठोरता से एक भी रूपया खर्च न किया जा सके, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निरंतर आधिक्य बजट बनाते समय अनुपयुक्त प्राक्कलन बनाने के कारण हो सकते हैं।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान निरंतर आधिक्य का कोई मामला किसी भी अनुदान में नहीं देखा गया था।

3.3.8.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमज़ोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान 16 अनुदानों एवं 11 विनियोजनों के तहत हुआ ₹8,729.78 करोड़ का व्यय आधिक्य दिसम्बर 2021 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तीन अनुदानों एवं दो विनियोजनों में अनुमति के अतिरिक्त किए गए ₹ 88.69 करोड़ के व्यय आधिक्य का विनियमन भी अपेक्षित है।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका-3.13 में सारांशित की गई है:

तालिका - 3.13: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2014-20) से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूँजीगत) तथा 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत), 31	15,85,69,18,458	नियमित नहीं किए गए।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) तथा 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूँजीगत) तथा 1, 16 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) तथा 10 (पूँजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूँजीगत) तथा 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूँजीगत)	8,21,37,16,840	
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूँजीगत) तथा 05 (राजस्व), 13, 29 (पूँजीगत)	49,91,20,218	
कुल			87,29,78,17,311	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.3.9 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को

संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

2020-21 के दौरान पूंजीगत सम्पत्ति हेतु सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 1,039.67 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी तथा सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई। इसे भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में ही वर्गीकृत किया गया था।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

2020-21 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-3.14 में दी गई है।

तालिका- 3.14: 2020-21 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	शुद्ध बचत (-)	मार्च में अभ्यर्षण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	37,397.26	541.42	37,938.68	31,767.50	-6,171.18	-3,300.55	-8.70
	II. पूंजीगत	6,312.99	485.42	6,798.42	5,352.51	-1,445.91	-1,116.23	-16.42
	III. ऋण तथा अग्रिम	359.45	60.43	419.87	320.11	-99.76	-6.58	-1.57
	कुल	44,069.70	1,087.27	45,156.97	37,440.12	-7,716.85	-4,423.36	-26.69
प्रभारित	I. राजस्व	5,008.30	14.47	5,022.77	4,543.72	-479.05	-312.92	-6.23
	II. पूंजीगत	0.00	20.75	20.75	13.63	-7.12	0.00	0.00
	III. लोक ऋण चुकौती	3,393.51	8,002.63	11,396.14	11,141.04	-255.10	0.00	0.00
	कुल	8,401.81	8,037.85	16,439.66	15,698.39	-741.27	-312.92	-6.23
सकल योग	52,471.51	9,125.12	61,596.63	53,138.51	-8,458.12	-47,36.28	-32.92	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, तीन अनुदानों तथा दो विनियोजनों में ₹ 8,458.12 करोड़ की हुई समग्र बचत अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 8,546.81 करोड़ की बचत में से ₹ 88.69 करोड़ का आधिक्य समायोजित करने का शुद्ध परिणाम थी।

2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.15 में दर्शाया गया है।


तालिका-3.15: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	34,739	37,940	43,842	46,971	52,472
अनुपूरक बजट	3,937	3,327	3,143	6,737	9,125
संशोधित अनुमान	35,865	38,995	43,625	49,688	53,460
वास्तविक व्यय	38,708	37,811	42,469	45,528	53,139
बचत (-)/ आधिक्य (+)	32	-3,456	-4,516	-8,180	-8,458
बचत (-)/ आधिक्य (+) की प्रतिशतता	0.08	-8.37	-9.61	-15.23	-13.73

स्रोत: विनियोजन लेखे तथा संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-21 के दौरान बचत में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जो बजटीय परिव्यय का लगातार निम्नतर इष्टतम उपयोग किए जाने का परिचायक है। बजट आबंटन (मूल व अनुपूरक) की प्रवृत्ति एवं उसके प्रति उपयोग को चार्ट-3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.7: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट उपयोग



स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल आबंटन के प्रति बजट उपयोग के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

3.4.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु अंत में वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका कोई हिस्सा खर्च कर पाता है, न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। जबकि उसी दौरान अन्य योजनाएं निधियों की आवश्यकता के कारण अधूरी रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बड़े पैमाने पर जनता अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाती है अपितु परियोजना लागत में भी वृद्धि होती है।

'पूँजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.16 में नीचे दिया गया है:

तालिका-3.16: 'पूँजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
पूँजीगत- दत्तमत						
1	01- विधान सभा	3.05	0.05	3.10	1.77	1.33
2	03- न्याय प्रशासन	7.05	1.23	8.28	5.15	3.13
3	04- सामान्य प्रशासन	8.56	0.00	8.56	0.12	8.44
4	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	62.64	10.79	73.43	43.05	30.38
5	08- शिक्षा	111.50	18.96	130.46	130.44	0.02
6	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	155.55	108.00	263.55	254.75	8.80
7	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	951.48	0.00	951.48	921.64	29.83
8	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	23.41	0.23	23.64	14.54	9.09
9	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	12.03	0.00	12.03	7.09	4.94
10	20- ग्रामीण विकास	11.27	0.60	11.87	11.86	0.01
11	21- सहकारिता	0.02	58.55	58.57	58.56	0.01
12	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.05	0.09	0.14	0.14	0.00
13	23- ऊर्जा विकास	307.30	0.00	307.30	304.04	3.26
14	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	174.50	5.53	180.03	68.97	111.06
15	30- विविध सामान्य सेवाएं	37.51	0.85	38.36	36.81	1.55
16	31- जनजातीय विकास	435.13	6.16	441.29	365.86	75.44
17	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1390.21	56.81	1447.02	1297.27	149.75
	कुल:	3691.27	267.85	3959.12	3522.08	437.04

स्रोत: विनियोजन लेख।

राज्य सरकार से वर्ष के दौरान निधियों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकने वाली योजनाओं / परियोजनाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा

सका कि क्या 'पूँजीगत -दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत ₹ 437.04 करोड़ की बचत का उपयोग उन योजनाओं /परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता था।

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति) के लिए होती है।

बजट की कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं उसके प्रति हुआ वास्तविक व्यय तालिका-3.17 में दिया गया है।

तालिका-3.17: 2020-21 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1.	कृषि कोष	2401-00-115-02	20.00	0	-20.00
2	कृषि से सम्पन्नता योजना	2401-00-109-33	0.001	0.97	0.969
3	नादौन मध्यम सिंचाई योजना	4701-21-800-01	2.55	0	-2.55
4		4701-21-789-01	0.84	0	-0.84
5	कृषि उत्पाद संरक्षण योजना	2401-00-107-07	10.00	0.74	-9.26
6	पर्वत धारा	4702-00-101-12	0.001	2.88	2.879
7	हिम उद्यमी स्टार्टअप योजना-	2851-00-102-31	10.00	2.06	-7.94
8	बाल पोषाहार	2235-02-102-23	30.00	29.98	-0.02
9	स्वस्थ बचपन	2202-01-101-14	1.00	0	-1.00
कुल			74.39	36.63	-37.76

स्रोत: बजट भाषण तथा वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2020-21 के दौरान उपरोक्त योजनाओं हेतु किए गए ₹ 74.39 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के प्रति केवल ₹ 36.63 करोड़ (49.24 प्रतिशत) का व्यय किया गया। नौ योजनाओं में से चार में कोई व्यय नहीं किया गया, अतः लाभार्थी इच्छित लाभों से वंचित रहे।

3.4.4 योजनाएं तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनमें वास्तविक निधियन

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल, योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों पर मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता के चलते कार्य प्रारम्भ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि के कारण या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। ऐसी योजनाओं में हुई बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2020-21 के दौरान 114 योजनाएं जिनमें प्रावधान (लगभग ₹ एक करोड़ तथा अधिक) किया गया था परंतु कोई भी व्यय नहीं किया गया (विवरण परिशिष्ट-3.5 में दिया गया है) उनमें से कुछ बड़ी योजनाओं के विवरण तालिका-3.18 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.18: कुछ योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	व्यय	टिप्पणी
1.	वित्त	% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	385.75	0.00	
2.	ग्रामीण विकास	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	241.65	0.00	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की कमी का कोई कारण नहीं बताया गया।
3.	ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	173.00	0.00	
4.	पर्यटन और नागरिक उड्डयन	हवाई अड्डों/ हेलीपोर्टों का पुनर्वास और संचालन/रखरखाव	100.00	0.00	
5.	जनजातीय विकास/ अनुसूचित जाति उप योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	92.31	0.00	
6.	ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण	51.33	0.00	
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वित्त विभाग में पेंशनभोगियों की आरक्षित निधि	50.00	0.00	
8.	सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	37.50	0.00	
9.	सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास	35.54	0.00	
10.	अनुसूचित जाति उप योजना	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	34.28	0.00	

स्रोत: विनियोजन लेख।

आगे यह भी पाया गया कि 114 योजनाओं में, जहां बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ व अधिक का) किया गया था, परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, ऐसी 19 योजनाएं थीं जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान (₹ 10 करोड़ व उससे अधिक) या तो पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया या संशोधित परिव्यय द्वारा अभ्यर्पण कर दिया गया। इन 19 योजनाओं का विवरण तालिका-3.19 में दिया गया है:

तालिका-3.19: उन योजनाओं का विवरण जहां संपूर्ण बजट प्रावधान घटा दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	संशोधित परिव्यय
1	% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	385.75	-76.89	-308.86	0
2	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	27.78	-10.68	-17.10	0
3	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वान व उसकी सहायक नदियों (iv) का दौलतपुर से गगरेट ब्रिज तक चैनलाइजेशन	14.95	-14.95	0.00	0
4	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	12.50	-12.50	0.00	0
5	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	37.50	-37.50	0.00	0
6	कमान क्षेत्र विकास	13.60	-13.60	0.00	0
7	लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास	35.54	-35.54	0.00	0
8	अवसंरचना सुविधाओं पर व्यय	13.10	-4.24	-8.86	0
9	कृषि कोष	20.00	0.00	-20.00	0
10	मिड डे मील	11.00	0.00	-11.00	0
11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	12.59	-9.42	-3.17	0
12	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	92.31	-77.82	-14.49	0
13	वित्त विभाग के पास पेंशनभोगियों की आरक्षित निधि	50.00	-49.82	-0.18	0
14	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान	23.47	-9.09	-14.38	0
15	हवाई अड्डों/ हेलीपोर्टों का पुनर्वास और संचालन/रखरखाव	100.00	-80.21	-19.79	0
16	बीपीएल परिवारों को गेहूं व चावल पर सब्सिडी	24.24	0.00	-24.24	0
17	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	241.65	-129.42	-112.23	0
18	स्वर्ण जयंती आश्रय आवास योजना	25.00	-25.00	0.00	0
19	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	23.90	-2.50	-21.40	0
	योग	1164.88	-589.20	-575.69	0

संस्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना दर्शाता है कि राज्य सरकार के विभागों ने ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए या तो पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी। खराब योजना कार्यान्वयन क्षमताएं विभागों की बैंक खातों में सरकारी खाते के बाहर नकद शेष राशि को बनाए रखने की या निधियों को वर्ष के अंत में

अभ्यर्पण करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे जिनका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन तथा अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।


राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशत (पहली तिमाही-20 प्रतिशत; दूसरी तिमाही - 25 प्रतिशत; तीसरी तिमाही -30 प्रतिशत; चौथी तिमाही-25 प्रतिशत) निर्धारित किए हैं। मार्च 2021 में पर्याप्त व्यय (50 प्रतिशत से अधिक) किए गए मामलों का विवरण परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। कुछ मामले जहां मार्च में शीर्ष के तहत कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) का व्यय हुआ, वे नीचे तालिका-3.20 में विवर्णित हैं।

तालिका-3.20: अनुदान जहां मार्च माह में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया तथा कुल व्यय ₹ 100 करोड़ से अधिक था

क्र.सं.	अनुदान संख्या व नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	मार्च के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-03-105-01	118.08	72.49
2	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन	2059-80-799-03	277.50	67.83
3		3054-04-105-06	431.54	54.09
4		3054-04-105-20	182.90	54.24
5		2401-00-119-57	158.97	80.50
6		2215-01-102-12	255.15	63.55
7		2702-80-001-06	171.60	61.25
8		4215-01-102-01	159.76	67.06
9		23- ऊर्जा विकास	2801-80-101-07	520.45
10	2049-03-104-01		1,107.96	98.14
11	2049-05-105-02		107.50	100

इन प्राप्तियों के प्रति मासिक प्राप्तियों व व्यय का विवरण चार्ट-3.8 में दिया गया है।

चार्ट-3.8: वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियां एवं व्यय



अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 9- "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" तथा अनुदान संख्या 10-"लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन") के सन्दर्भ में 2018-19 से 2020-21 की अवधि में व्यय पर बजटीय प्रक्रिया एवं नियंत्रण की समीक्षा से निम्नवत उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) हेतु अनुदान के राजस्व व पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत आवंटित निधियां, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका-3.21 में दी गई है:

तालिका- 3.21: आवंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/ आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-)
2018-19	राजस्व प्रभाग	1,994.23	0.02	1,994.25	1,663.42	-330.83
	पूँजीगत प्रभाग	186.77	78.58	265.35	256.41	-8.94
2019-20	राजस्व प्रभाग	2,172.35	33.75	2,206.10	1,828.33	-377.77
	पूँजीगत प्रभाग	153.18	45.18	198.37	173.06	-25.30
2020-21	राजस्व प्रभाग	2,406.99	0.40	2,407.40	1,917.75	-489.64
	पूँजीगत प्रभाग	155.55	108.00	263.55	254.75	-8.80

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक अनुदान के तहत दोनों प्रभागों (राजस्व एवं पूँजीगत) के तहत बजट प्रावधान के प्रति निरंतर बचत हुई थी।

बजट प्रावधानों से हुई बचत

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने या तो अनुदान के तहत अत्यधिक बजट प्रावधान बनाए थे अथवा निर्धारित प्रक्रिया/नियमानुसार राशि संवितरित/अभ्यर्पित नहीं की थी। अनुदान के तहत 13 मामलों/उप-शीर्ष जिसमें बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) पर कुल ₹ 348.04 करोड़ की बड़ी बचत हुई थी, का विवरण नीचे तालिका-3.22 में दिया गया है:

तालिका- 3.22: बजट प्रावधान से हुई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	अंतिम अनुदान	व्यय	बचतें
1	2210-01-001-01-S00N	30.77	0.00	-10.00	20.77	16.74	-14.03
2	2210-01-110-03-S00N	243.06	0.00	-9.91	233.14	174.44	-58.71
3	2210-02-001-02-S00N	84.50	0.00	-0.29	84.21	62.72	-21.50
4	2210-03-110-01-S00N	437.86	0.00	-103.25	334.61	284.53	-50.09
5	2210-04-101-02-S00N	110.42	0.00	0.00	110.42	89.07	-21.34
6	2210-05-105-01-S00N	206.26	0.00	-37.12	169.15	157.43	-11.71
7	2210-05-105-06-S00N	107.77	0.00	-8.74	93.77	93.60	-14.17
8	2210-06-200-06-S00N	15.00	0.00	0.00	15.00	0.98	-14.02
9	2211-00-101-01-S00N	109.94	0.00	0.00	109.94	73.46	-36.48
10	2211-00-200-05-C90N	70.01	0.00	0.00	70.01	35.95	-34.06
11	2211-00-200-05-C90N	169.04	0.00	0.00	169.04	149.73	-19.32
12	2211-00-200-05-C90N	50.41	0.00	0.00	50.41	12.69	-37.72
13	4210-01-110-01-S00N	13.98	0.00	0.00	13.98	2.51	-11.47
14	4210-03-105-05-S00N	20.86	0.00	0.00	20.86	1.07	-19.79
15	4210-03-105-07-S00N	11.84	0.12	0.00	11.96	0.12	-11.84
योग		1,543.18	0.12	-150.57	1,392.73	1,044.68	-348.04

संबंधित सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (दिसंबर 2021) कि स्वीकृत कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार न करने, स्थानांतरण प्रविष्टियों की अस्वीकृति एवं कार्य के कम निष्पादन के कारण बचतें हुई।

व्यय का तीव्र प्रवाह

विगत तिमाही में जहां अनुदान के तहत पर्याप्त व्यय किया गया था, उन मामलों का विवरण नीचे तालिका-3.23 में दिया गया है:

तालिका-3.23: व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	जनवरी-मार्च में व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च के दौरान	मार्च में
1	4210-03-105-01	118.08	105.79	85.59	89.59	72.48
2	4210-03-105-03	37.09	37.09	28.94	100.00	78.03

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान अनुदान के तहत व्यय का तीव्र प्रवाह पाया गया, जो संबंधित विभाग (विभागों) द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने को दर्शाता है।

3.5.2 अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माण कार्य- सड़क, पुल और भवन

विगत तीन वर्षों (2018-19 से 2020-21) हेतु आवंटित निधियों, किए गए व्यय एवं राजस्व व पूंजीगत प्रभागों के तहत अनुदान में बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका-3.24 में दी गई है:

तालिका-3.24: आवंटित निधियों, किए गए व्यय और बचत/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-)
2018-19	राजस्व प्रभाग	3,308.06	0.20	3,308.26	3,039.07	-269.19
	पूंजीगत प्रभाग	1,216.28	230.11	1,446.39	1,496.32	49.93
2019-20	राजस्व प्रभाग	3,540.28	30.12	3,570.40	2,833.51	-736.89
	पूंजीगत प्रभाग	1,294.53	618.07	1,912.60	1,631.13	-281.48
2020-21	राजस्व प्रभाग	3,752.85	0.28	3,753.17	2,790.01	-963.12
	पूंजीगत प्रभाग	1,208.50	243.30	1,451.80	1,508.58	56.78

स्रोत: विनियोजन लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक अनुदान के राजस्व प्रभाग के बजट प्रावधान के अंतर्गत पर्याप्त बचत हुई थी। यह इंगित करता है कि विभागों में

बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे तथा वर्ष हेतु निधियों का आवंटन करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

अनावश्यक या अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

जिन मामलों में पुनर्विनियोजन के बाद अनुदान के तहत बचत/आधिक्य हुआ है, उन्हें तालिका-3.25 में दिया गया है।

तालिका-3.25: अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपुरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य(+)/ बचत (-)
1	5054-00-101-01	5.00	0.75	13.78	19.53	25.56	6.03
2	5054-04-337-09	394.86	117.7	66.12	578.68	724.20	145.52
3	3054-04-105-02	366.7	0.28	14.19	381.17	376.31	-4.86
4	3054-04-105-19	184.44	0	0.13	184.57	134.94	-49.63
5	4059-01-051-07	12.90	0	9.20	22.10	20.03	-2.07
6	5054-04-337-02	125.24	21.16	29.62	176.02	165.61	-10.41
7	5054-04-337-11	50.00	0	10.00	60.00	44.07	-15.93

दो मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय कुल प्रावधान से अधिक था, जबकि पांच मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ।

व्यय का तीव्र प्रवाह

वे मामले जहां पिछली तिमाही में पर्याप्त व्यय किया गया था, उनका विवरण नीचे तालिका-3.26 में दिया गया है:

तालिका-3.26: व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	जनवरी-मार्च में व्यय	मार्च में व्यय	प्रतिशत	
					जनवरी-मार्च के दौरान	मार्च में
1	2059-80-799-03	277.50	250.23	188.22	90.17	67.83
2	3054-04-105-06	431.54	287.74	233.41	66.68	54.09
3	3054-05-105-20	182.9	133.19	99.21	72.82	54.24
4	5054-06-101-01	25.56	23.45	16.96	91.74	66.35
5	5054-07-337-11	44.07	34.48	28.97	78.24	65.74
6	5054-08-337-21	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान अनुदान के तहत व्यय करने का प्रवाह तीव्र था, जो संबंधित विभाग (विभागों) द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने को दर्शाता है।

3.6 निष्कर्ष

- बजटीय प्रबंधन स्तरीय नहीं था क्योंकि 2020-21 के दौरान समग्र बजट उपयोग कुल अनुदान एवं विनियोजन का 86.27 प्रतिशत रहा। बजटीय आवंटन सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि कुल 32 अनुदानों में से 15 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई; एवं पांच अनुदानों में विगत पांच वर्षों से ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई। अनुपूरक प्रावधान भी सही ढंग से नहीं बनाए गए थे क्योंकि 11 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। 2020-21 के दौरान 20 शीर्षों के तहत आठ अनुदानों/विनियोजनों में कुल व्यय का 100 प्रतिशत मार्च, 2021 के महीने में व्यय किया गया था।
- तीन अनुदानों एवं दो विनियोजनों में किया गया, ₹ 88.69 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका द्वारा दिए गए प्राधिकरण से अधिक था। इस अधिक व्यय को 2014-15 से 2019-20 की अवधि से संबंधित ₹ 8,729.78 करोड़ के व्यय आधिक्य सहित राज्य विधायिका से नियमित किया जाना अपेक्षित है।
- 55 योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक के बजट प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 32 योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन या अभ्यर्पण द्वारा हटा दिया गया। यह राज्य सरकार के विभागों द्वारा कमज़ोर वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लाभों से वंचित रहना पड़ा तथा संसाधनों का भी अवरोधन हुआ।

3.7 सिफारिशें

- राज्य सरकार बजट प्राक्कलन बनाने हेतु उसके पूर्वानुमानों में और अधिक वैज्ञानिकता एवं सटीकता लाएं।
- राज्य सरकार को निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति का पता लगाने तथा बचत आधिक्य/के आंकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जा सके। विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय करने से बचा जाए तथा इसे शीघ्रतिशीघ्र विनियमित किया जाए।

अध्याय-IV

**लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग
प्रथाओं की गुणवत्ता**

अध्याय-IV

लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना साथ ही इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है।

इस अध्याय में वित्तीय रिपोर्टिंग की पूर्णता, पारदर्शिता, मापदण्ड एवं प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

लेखाओं की पूर्णता से सम्बंधित मुद्दे

4.1 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में प्रावधान है कि किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, उस सरकार द्वारा कोषागार बिल, ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उठाया गया समस्त ऋण तथा ऋण अदायगी से उस सरकार को प्राप्त समस्त धन राज्य की समेकित निधि का पात्र होने के लिए एक समेकित निधि का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि अन्य समस्त लोक धन जो राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से, प्राप्त किया जाता है, राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना के कुछ उल्लेखनीय दृष्टांतों पर नीचे चर्चा की गई है।

4.1.1 भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिकों की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों के विनियमन तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के उपाय उपलब्ध कराने के लिए भवन और अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। उपकर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) निरूपित किया। तदनुसार, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक नियम, 2008 बनाया गया। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन मार्च 2009 में किया गया।

उपकर अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य से सम्बंधित प्रत्येक नियोक्ता पर उपकर लगाया व संग्रहित किया जाए तथा इस उपकर की संग्रह-लागत काटने के पश्चात्, जो एकत्रित राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हो, इसे बोर्ड को चुकाया जाए। उपकर नियमों की धारा 5 के अनुसार संग्रहित उपकर की आय राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के तहत निर्धारित चालान के रूप में (एवं बोर्ड के लेखा शीर्ष में) बोर्ड को हस्तांतरित की जाए। बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा बोर्ड के लेखाओं की अलग से लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन किया जाता है।

यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रम उपकर के लेखांकन हेतु कोई नियम नहीं बनाए एवं श्रम उपकर की बुकिंग व संग्रहण के लिए सरकार द्वारा कोई निश्चित उप-शीर्ष प्रदान नहीं किया। लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग मण्डलों द्वारा निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर एकत्र किया जा रहा है तथा 8443-सिविल निक्षेप-108-लोक निर्माण जमा निक्षेप के तहत बुक किया जा रहा है। लोक निर्माण निक्षेप के अधीन इस उपकर को विशेष रूप से बुक करने के लिए कोई निश्चित उप-शीर्ष नहीं है, इसलिए उपकर की संग्रहित एवं श्रमिक कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित की गई तथा हस्तांतरण हेतु शेष राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इसमें ₹ 664.25 करोड़ का अथ शेष था एवं 2020-21 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज आदि के रूप में ₹ 105.71 करोड़ प्राप्त किए गए थे। वर्ष के दौरान बोर्ड ने ₹ 112.97 करोड़ खर्च किए, जिसमें से ₹ 110.72 करोड़ श्रम कल्याण गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च किए गए। वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च 2021 तक बोर्ड के पास ₹ 656.99 करोड़ की राशि थी (संभावित आंकड़े क्योंकि बोर्ड के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था (सितंबर 2021))। गत वर्ष अर्थात् 2019-20 के अंत शेष (₹ 655.87 करोड़) एवं चालू वर्ष अर्थात् 2020-21 के अथ शेष (₹ 664.25 करोड़) के आंकड़ों में ₹ 8.38 करोड़ का अंतर पाया गया। बोर्ड द्वारा लेखाओं¹ को अंतिम रूप न देने को अंतर का कारण बताया गया।

उपरोक्त जानकारी श्रम उपकर की बुकिंग हेतु निश्चित/विशेष लेखा शीर्ष उपलब्ध न होने के कारण लोक लेखा में उपलब्ध नहीं थी।

¹ लेखे 2019-20 से लंबित।

4.1.2 समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण

प्रदत्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बजट से बाहर (ऑफ-बजट) उधार का सहारा नहीं लिया। वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उपलब्ध वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे कोई उधार नहीं पाए गए।

4.1.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी जाने वाली समस्त सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी न करके राज्य सरकार को जारी करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद निधियां अभी भी भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित की जा रही थीं। ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से जारी न करने के कारण राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं थीं।

विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित सकल राशि का विवरण तालिका-4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1: राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां

राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण	2018-19	2019-20	2020-21
अंतरित निधियां (₹ करोड़ में)	962.08	1,372.69	1,866.98

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा (पीएफएमएस) पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 2020-21 के दौरान भारत सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 1,866.98 करोड़ (लेखापरीक्षित नहीं किए गए आंकड़े) सीधे जारी किए। 2020-21 में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण 2019-20 के ₹ 1,372.69 करोड़ से 36.01 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,866.98 करोड़ हो गया। यह राज्य के बजट के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में जारी राशि (₹ 4,221.29 करोड़) का 44 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान भारत सरकार से सीधे निधियां प्राप्त करने वाली कुछ प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम तालिका-4.2 में दिए गए हैं:

तालिका-4.2: भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष अंतरित की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	भारत सरकार की योजनाओं का नाम	2020-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां
1	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसायटी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	752.10
2	राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	503.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-ग्रिड इंटरएक्टिव	48.54
4	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	परिवहन/माल ढुलाई सब्सिडी योजना	30.00
5	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	सौर ऊर्जा-ग्रिड इंटरएक्टिव	20.63
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	19.97
7	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, शिमला	राष्ट्रीय एड्स व एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	11.01

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट-VI

4.2 नियामक

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एवं हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) नियामक नामक नियामकों की निधियों की प्राप्ति तालिका-4.3 में नीचे दी गई है:

तालिका-4.3: नियामक एवं उनके द्वारा संग्रहित निधियों के विवरण

क्र. सं.	नियामक प्राधिकरण का नाम	नियामक आयोग निधि का गठन	सरकार के प्रति बकाया राशि
1.	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	हिमाचल प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निधि (मई 2007 में गठित) किसी भी राष्ट्रीय बैंक एवं ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं के सहायक खातों में बनाई जाए। इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी अनुदान व ऋण, सभी शुल्क व शास्ति एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य सभी राशि सम्मिलित होती हैं।	सरकार को हिमाचल प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग से कोई बकाया राशि देय नहीं थी।

क्र. सं.	नियामक प्राधिकरण का नाम	नियामक आयोग निधि का गठन	सरकार के प्रति बकाया राशि
2.	हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग	<p>हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 8 के अनुसार एक निधि स्थापित की जाए जिसमें जमा किया जाए -</p> <p>क) निजी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष के कुल शुल्क का वह प्रतिशत जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो परन्तु वह कुल शुल्क के एक प्रतिशत से अधिक न हो।</p> <p>ख) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण जिन्हें तीन वर्षों के भीतर चुकाया जाना हो।</p> <p>ग) अन्य किसी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य अनुदान, तथा</p> <p>घ) शास्ति के माध्यम से प्राप्त समस्त राशि</p>	<p>2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान एक प्रतिशत शुल्क के रूप में ₹ 1.80 करोड़ राशि संग्रहित की गई। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रतिशत शुल्क के संग्रह के प्रावधान को स्थगित किया गया है तथा यह मामला समायोजन हेतु लंबित है।</p> <p>हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने अधिरोपित अर्थदंड/शास्ति पर ₹ 1.06 करोड़ राशि भी प्राप्त की थी। यह राशि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण सावधि जमा में रखी गयी।</p> <p>इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने 2011-12 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने ऋणों के रूप में ₹ 9.30 करोड़ भी प्राप्त किए थे। इसे हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने दिन-प्रतिदिन के व्यय हेतु प्रयुक्त किया। 31 मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने प्राप्त ऋणों के प्रति कोई वापिसी/भुगतान नहीं किया। 31 मार्च 2021 तक ब्याज सहित ₹ 9.30 करोड़ उपार्जित किए गए थे।</p>
3.	हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	<p>प्राधिकरण की आय में सहायता-अनुदान, पंजीयन प्रभार, प्रवर्तकों, एजेंटों एवं शिकायतकर्ताओं से शिकायत शुल्क एवं ई-प्रभार शामिल होंगे।</p>	<p>वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने ₹ 4.57 करोड़ राशि (राज्य सरकार से सहायता-अनुदान: ₹ 3.50 करोड़; पंजीयन शुल्क व अन्य प्रभार/ब्याज प्राप्तियां: ₹ 1.07 करोड़) प्राप्त किए। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने ये सारी निधियां भारतीय स्टेट बैंक में जमा की। सितम्बर 2021 तक हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने ₹ 4.57 करोड़ में से ₹ 2.55 करोड़</p>

क्र. सं.	नियामक प्राधिकरण का नाम	नियामक आयोग निधि का गठन	सरकार के प्रति बकाया राशि
			दिन-प्रतिदिन के व्यय पर उपयोग किए। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की पंजीयन शुल्क व अन्य प्रभारों के रूप में एवं उन पर उपार्जित ब्याज से प्राप्त ₹ 1.07 करोड़ भी सरकारी लेखा के प्रासंगिक शीर्ष में जमान करके बचत बैंक खातों में रखे गए।

4.3 सब्याज निक्षेपों के ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं का निर्वहन न करना

सरकार पर सब्याज निक्षेपों (लेखाओं का मुख्य शीर्ष 8338 से 8342) की राशि पर ब्याज भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी।

4.4 स्थानीय कोषों के निक्षेप

पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विधान में प्रावधान है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद् कोष, पंचायत समिति कोष एवं ग्राम पंचायत कोष बनाएंगे (मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधियों का निक्षेप-109-पंचायत निकाय की निधि के अंतर्गत)। इसमें अधिनियम (अधिनियमों) के अंतर्गत वसूली गई एवं वसूली योग्य समस्त राशि तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई राशि जैसे केन्द्रीय वित्तायोग एवं राज्य वित्तायोग से प्राप्त अनुदान एवं कर व कर-भिन्न प्राप्तियों सहित उसके स्व-राजस्व की समस्त राशि सम्मिलित होंगी। शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रित करने वाले विधान शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत, नगर परिषद् व नगर निगम) द्वारा नगरपालिका कोष बनाने की परिकल्पना करते हैं। इस अधिनियम (अधिनियमों) के तहत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूली गई अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि तथा इनके द्वारा इसके अतिरिक्त प्राप्त सभी धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों का निक्षेप-102-नगरपालिका कोष के अंतर्गत नगरपालिका कोष में रखा जाना है।

इन कोषों की प्रास्थिति तालिका-4.4 में नीचे विवर्णित है।

तालिका-4.4: स्थानीय कोषों के निक्षेप

वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पंचायत निकाय कोष (8448-109)	अथ शेष	5.34	1.18	0.66	0.13	0.07
	प्राप्ति	0	0.51	-0.51	0	0
	व्यय	4.16	1.03	0.02	0.06	0.04
	अंत शेष	1.18	0.66	0.13	0.07	0.03

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
नगरपालिका कोष (8448-102)	अथ शेष	0.29	0.29	0.19	0.28	0.12
	प्राप्ति	0	-0.02	0.09	0	0
	व्यय	0	0.08	0	0.16	0.08
	अंत शेष	0.29	0.19	0.28	0.12	0.04

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

जैसा की उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 31 मार्च 2021 तक पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के कोषों में क्रमशः ₹ 0.03 करोड़ एवं ₹ 0.04 करोड़ का संचित शेष था।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 157 की शर्तों के अनुसार जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वहां सम्बंधित विभागीय अधिकारी अनुदेयी से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसका सत्यापन करने के पश्चात् स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अग्रेषित करेंगे। सहायता-अनुदान का आहरण करने वाले विभागीय अधिकारी अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूर्ण करने का प्रमाणीकरण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से कराने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों के उपयोग का आश्वासन न मिलने का परिचायक है तथा इस प्रकार लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। 31 मार्च 2021 तक ₹ 3,557.83 करोड़ राशि के 2,799 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (परिशिष्ट-4.1)। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया तालिका-4.5 व तालिका-4.6 में सारांशित किए गए हैं।

तालिका-4.5: उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		प्रस्तुत किए गए		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिताप्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिताप्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2018-19 तक	1,083	1,062.58	510	478.16	573	584.42
2019-20	1,399	1,785.36	485	782.71	914	1,002.65
2020-21	25,394	3,486.85	24,082	1,516.09	1,312	1,970.76
योग:	27,876	6,334.79	25,077	2,776.96	2,799	3,557.83

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।


टिप्पणी: 2019-20 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र केवल 2020-21 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।

तालिका-4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	24	34.86
2016-17	152	139.08
2017-18	397	410.48
2018-19	914	1,002.65
2019-20	1,312	1,970.76
योग	2,799	3,557.83

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने का अर्थ है, वर्ष के दौरान खर्च की गई निधियों का प्राधिकारियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी आश्वासन नहीं मिला कि यह निधियां जिन अभीष्ट लक्ष्यों हेतु प्रदान की गई थी उन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करने से निधियों के दुरुपयोग का खतरा रहता है इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करें एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों के समयबद्ध प्रस्तुतीकरण हेतु जिम्मेदार सम्बंधित व्यक्तियों पर दबाव बनाएं।

चार्ट-4.1: 2019-20 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में चुकाए गए अनुदानों हेतु बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र



₹ 3,557.83 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 2,799 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,587.07 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,487 उपयोगिता प्रमाणपत्र 2015-16 से 2018-19 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 3,557.83 करोड़ की राशि में से 69.43 प्रतिशत तीन विभागों से सम्बंधित थे - पंचायती राज: 35.68 प्रतिशत (₹ 1,269.55 करोड़);

शहरी विकास: 20.96 प्रतिशत (₹ 745.69 करोड़); तथा ग्रामीण विकास: 12.79 प्रतिशत (₹ 454.98 करोड़)।

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज ने इस सम्बन्ध में बताया कि कोविड-19 महामारी एवं राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव होने के कारण ग्राम पंचायतों में कार्यों के निष्पादन की प्रगति प्रभावित हुई थी और इसीलिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त/प्रस्तुत नहीं किए जा सके। संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास ने कोविड-19 महामारी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिवर्तन के कारण कार्यों का निष्पादन न होने, वन विभाग से भूमि हेतु मंजूरी मिलने में विलम्ब, इत्यादि को इसका कारण बताया।

4.6 अनुदेयी संस्थान को “अन्य” के रूप में दर्ज करना

सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों को विशेष कोड प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस तरह से ये अनुदान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जा सकते हैं तथा प्रत्येक निकाय/प्राधिकरण की बकाया राशि पर उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी की जा सकती है। उचित कोड के अभाव में अनुदेयी की बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की निगरानी करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों/संस्थानों/प्राधिकरणों को कोड आवंटित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2020-21 हेतु वित्त लेखाओं की विवरणी-10 के अनुसार विभिन्न संस्थानों को सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 4,563.11 करोड़ की राशि दी गई थी जिसमें से ₹ 946.89 करोड़ (20.75 प्रतिशत) “अन्य” को दिए गए। विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान सरकार ने सहायता-अनुदान की उल्लेखनीय राशि लगातार “अन्य” के रूप में दर्ज की गई, जो 15.83 प्रतिशत से 28.85 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा की तालिका-4.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.7: ‘अन्य’ प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता-अनुदान की कुल राशि	‘अन्य’ प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को दी गई राशि	कुल सहायता अनुदान का प्रतिशत
2016-17	3,356.98	842.39	25.09
2017-18	2,895.45	784.69	27.10
2018-19	3,633.95	1,048.43	28.85
2019-20	3,506.49	555.22	15.83
2020-21	4,563.11	946.89	20.75

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

4.7 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक की उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिल के माध्यम से सेवा शीर्षों से डेबिट करते हुए धन का आहरण करने हेतु अधिकृत होते हैं। नियम 187 में आगे अप्रत्याशित परिस्थितियों हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए सार आकस्मिक बिलों से आहरण करने का प्रावधान है, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एक समय में जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा मात्र एक अग्रिम प्रदान/पारित किया जा सकता है। यह सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी होगी की अग्रिम को जिस वित्तीय वर्ष में आहरित किया गया है उसी वर्ष में समायोजित किया जाए। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी अग्रिमों को अलग-अलग अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वे इस बात की निगरानी भी करेंगे कि इनका प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लेखांकन किया गया है। अग्रिम भुगतान रजिस्टर लगातार संचालित किया जाना चाहिए तथा उनका अनुरक्षण तब तक किया जाना चाहिए जब तक सभी अग्रिम पूरी तरह से वसूली/समायोजित की श्रेणी में प्रविष्ट नहीं हो जाते।

राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिमों के आहरण एवं निगरानी तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों के द्वारा उनका समायोजन करने के लिए किसी तंत्र का निरूपण नहीं किया। इसके अतिरिक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार से आकस्मिक अग्रिम के आहरण हेतु दैनिक व्यय फॉर्म (HPTR-5) का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें कोषागार अथवा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अलग से पहचाना नहीं जा सका या निगरानी नहीं की जा सकी। यह मुद्दा लगातार तीन वर्षों से अधिक बार उल्लेखित किया गया तथापि राज्य सरकार द्वारा उचित तंत्र बनाना एवं उसे अपनाना शेष है।

आहरित किए एवं लेखांकित नहीं किए गए अग्रिम अपव्यय/दुर्विनियोजन की आशंका को बढ़ाते हैं तथापि विस्तृत आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक बिल अधिकतम सीमा तक प्राप्त न होने से वित्त लेखाओं में दर्शाए गए व्यय को सही अथवा अंतिम नहीं माना जा सकता।

4.8 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड-I, 1971 के नियम 12.7 के तहत व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन किसी विशिष्ट उद्देश्यार्थ समेकित निधि से राशि के हस्तांतरण द्वारा एवं सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्ष में बिना वास्तविक नकदी प्रवाह के अंतिम व्यय के रूप से बुक करके किया जाता है। व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में रखा अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समेकित निधि में वापस अंतरित किया जाना तथा आवश्यकतानुसार अगले वर्ष पुनः खोलना अपेक्षित है। विगत कई वर्षों से लगातार पत्राचार करने के बावजूद राज्य सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया।

2020-21 की समाप्ति पर 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में ₹ 2.18 करोड़ की राशि समेकित निधि में हस्तांतरित किए बिना अव्ययित शेष के रूप में रखी गई (परिशिष्ट-4.2)। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की प्रास्थिति तालिका-4.8 में दी गई है।

तालिका-4.8: 31 मार्च 2021 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं (मुख्य शीर्ष 8443-106) की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

01.04.2020 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे		वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष के दौरान समापन/आहरण		31.03.2021 तक अंत शेष		परिचालित लेखे		अपरिचालित लेखे	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	2.82	01	-0.13*	01	0.51	112	2.18	104	2.00	08	0.18

* ऋणात्मक राशि दर्शाती है कि 2020-21 के दौरान क्रेडिट हुई प्राप्तियों से व्ययगत हुई राशि अधिक है।

कुल 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में से 104 परिचालनाधीन थे (जिनमें से 38 लेखाओं में 'शून्य' शेष था) जबकि आठ व्यक्तिगत निक्षेप लेखे एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा प्रारंभ किया गया तथा एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा बंद किया गया।

निर्धारित प्रक्रियानुसार व्यक्तिगत निक्षेप लेखे प्राधिकृत लेखा शीर्षों के तहत यथा मुख्य शीर्ष-8443 -सिविल निक्षेप-106- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में खोले जाते हैं तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाधारकों एवं कोषागारों द्वारा आपूरित धन व ऋण ज्ञापनों के साथ मिलान किए जाते हैं। यद्यपि 10 ऐसे मामले पाए गए जहाँ व्यक्तिगत निक्षेप लेखे मुख्य शीर्ष-8448-109 के तहत खोले गए थे जो कि प्राधिकृत लेखा शीर्ष नहीं था।


व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष रखने का अर्थ है कि व्यय में शेष की सीमा तक अन्योक्ति हुई। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का आवधिक रूप से मिलान न करने एवं व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी अव्ययित राशि समेकित निधि में हस्तांतरित न करने से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग होने का खतरा उत्पन्न होता है।

4.9 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। यदि ऐसे दृष्टांत नियमित रूप से घटित होते हैं तब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से चर्चा कर उचित लघु शीर्ष खोलने की मंजूरी प्राप्त करें। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि प्राप्तियों व व्यय की लघु शीर्ष-800 के तहत अविवेकपूर्ण बुकिंग लेनदेन की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करती है तथा लेखाओं को अस्पष्ट बनाती है।

2016-17 से 2020-21 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 का अधिकतम परिचालन चार्ट-4.2 में दिया गया है।

चार्ट-4.2: 2016-21 के दौरान में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का परिचालन



2020-21 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 970 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 38,844 करोड़) का 2.50 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति 48 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,332 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 33,441 करोड़) का 3.98 प्रतिशत थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान वे दृष्टांत जहां प्राप्तियों व व्यय के उल्लेखनीय भाग (मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति/व्यय का 20 प्रतिशत या उससे अधिक तथा ₹ 5 करोड़ से ज्यादा) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, उन्हें तालिका-4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.9: 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष-‘800-अन्य प्राप्तियां/व्यय’ के तहत बुक की गई उल्लेखनीय राशि

(₹ करोड़ में)

“800-अन्य प्राप्तियां”				“800-अन्य व्यय”			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
0217- शहरी विकास	5.95	5.95	100.00	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	147.17	147.04	99.91
0801- विद्युत	749.12	749.12	100.00	2075-विविध सामान्य सेवाएं	33.68	33.43	99.26
1452-पर्यटन	6.45	6.42	99.53	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	29.99	28.03	92.46
0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.41	17.91	87.75	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	70.01	64.01	91.43
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	37.05	29.89	80.67	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.14	7.24	88.94
0045- माल व सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	264.26	205.07	77.60	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	56.92	40.68	71.47
0401- फसल पालन	11.92	9.12	76.51	4851- ग्राम एवं कुटीर उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	17.27	8.05	46.61
0425-सहकारिता	9.51	7.26	76.34	4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	15.53	7.24	46.62
0029- भू-राजस्व	6.95	5.26	75.68	2851-ग्राम एवं कुटीर उद्योग	190.26	79.36	41.71
0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	11.15	6.02	53.99	2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	138.87	56.34	40.57
1054 - सड़क एवं पुल	12.89	6.60	51.20	3454- जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	17.09	6.26	36.63
0406-वानिकी एवं वन्य जीव	49.56	18.95	38.24	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	193.58	55.21	28.52

"800-अन्य प्राप्तियां"				"800-अन्य व्यय"			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
0059- लोक निर्माण कार्य	58.28	21.06	36.13				
0853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	252.16	51.02	20.23				
योग:	1,495.66	1,139.65	76.20	योग:	918.51	532.89	58.02

उपरोक्त तालिका से प्रमाणित होता है कि 14 मुख्य शीर्षों में लगभग 76 प्रतिशत प्राप्तियां '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत तथा 12 मुख्य शीर्षों में लगभग 58 प्रतिशत राजस्व एवं पूंजीगत व्यय '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक की गई। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि के वर्गीकरण ने वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता एवं व्यय की गुणवत्ता/आवंटन प्राथमिकता की समझ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

राज्य सरकार/वित्त विभाग के साथ इस मामले पर चर्चा की गई (जून 2021)। राज्य सरकार ने बताया कि लघु शीर्ष-800 के तहत बुक राशि समाप्त करने/युक्तिसंगत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा इसके प्रभाव/परिवर्तन 2022-23 के बजट अनुमानों में देखे जा सकेंगे।

माप से सम्बंधित मुद्दे

4.10 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। उचंत एवं प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/कार्यों व वन मण्डलों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत विवरण पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों में मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की प्रास्थिति तालिका-4.10 में दी गई है।

तालिका-4.10: उचंत एवं प्रेषण शेष की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658 - उचंत लेखा						
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	96.21	35.55	124.62	56.33	138.83	66.53
निवल	60.66 डेबिट		68.29 डेबिट		72.30 डेबिट	

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-उचंत लेखा (सिविल)	149.77	131.53	1,551.08	164.34	1,854.36	223.31
निवल	18.24 डेबिट		1386.74 डेबिट		1,631.05 डेबिट	
110-रिज़र्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.57	---	3,755.23	3,755.23	2.24	2.26
निवल	0.57 डेबिट		निरंक		0.02 क्रेडिट	
112-स्रोत से कर कटौती उचंत	484.05	497.09	447.74	468.23	471.25	497.83
निवल	13.04 क्रेडिट		20.49 क्रेडिट		26.58 क्रेडिट	
129-सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	164.43	305.64	139.79	244.17	81.69	219.46
निवल	141.21 क्रेडिट		104.38 क्रेडिट		137.77 क्रेडिट	
8782 - एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन						
102- लोक लेखा प्रेषण	7,185.44	7,660.51	7,507.51	8,104.89	6,841.07	7,372.10
निवल	475.07 क्रेडिट		597.38 क्रेडिट		531.03 क्रेडिट	
103- वन प्रेषण	151.59	187.49	124.72	141.58	0.03	16.81
निवल	35.90 क्रेडिट		16.86 क्रेडिट		16.78 क्रेडिट	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत लघु शीर्ष 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102-उचंत लेखा (सिविल) एवं 110-रिज़र्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के तहत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्संरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। विगत वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 68.29 करोड़ के डेबिट शेष के प्रति बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2021) ₹ 72.31 करोड़ था। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है।

उचंत लेखा-सिविल (लघु शीर्ष 102): वे लेनदेन जो कुछ जानकारी/दस्तावेजों (चालान, वाउचर इत्यादि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के तहत बुक किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस लेखा में प्राप्तियां क्रेडिट की जाती हैं एवं व्यय डेबिट किए जाते हैं तथा अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति

पर ऋण क्रेडिट व ऋण डेबिट द्वारा समाशोधन किए जाते हैं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष दर्शाता है कि 'भुगतान किया गया' परन्तु कुछ वांछित विवरणों के अभाव में व्यय के अंतिम शीर्ष से डेबिट नहीं किया जा सका तथा बकाया क्रेडिट शेष दर्शाता है कि वे 'प्राप्तियां' जो वांछित विवरणों के अभाव में अंतिम प्राप्ति लेखा शीर्ष में क्रेडिट नहीं की जा सकी।

2020-21 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष विगत वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 244.32 करोड़ बढ़ गया, जिसका प्राथमिक कारण वास्तविक व्यय के साक्ष्य के रूप में वाउचर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने से 2020-21 के दौरान इस शीर्ष के तहत ₹ 227.65 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹ 81.77 करोड़ व पूंजीगत व्यय ₹ 145.88 करोड़) की राशि का बुक करना था। आपत्तिपूर्ण राशि को वर्ष 2020-21 हेतु बजट प्रावधानों के प्रति वित्त लेखाओं में राजस्व/पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा वास्तविक व्यय के रूप में लेखा में नहीं लिया गया।

4.11 विभागीय आंकड़ों का मिलान

विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को बजट अनुदानों के भीतर सीमित रखने के लिए खर्च को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाने एवं उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य के वित्तीय नियम निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी लेखा-बहियों में दर्ज प्राप्ति व व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की लेखा-बहियों की प्रविष्टियों से हर माह उनके द्वारा किया जाए।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 33,441.15 करोड़ की प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) एवं ₹ 38,844.14 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 100 प्रतिशत) को सम्मिलित करते हुए ऐसे मिलान पूर्ण किए गए। विगत चार वर्षों (2017-21) में मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों का पूर्ण मिलान किया गया।

4.12 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की लेखा-बहियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए शेष के मध्य दर्शाए गए राज्य के नकद शेष में अंतर नहीं होना चाहिए।

31 मार्च 2021 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के लेखा में दर्शाए गए आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों के मध्य नकद शेष में ₹ 1.50 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर पाया गया। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा ₹ 59.96 करोड़ (डेबिट) का नकद शेष परिकलित किया गया था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 61.46 करोड़ (क्रेडिट) की सूचना दी थी। अंतर का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा लेनदेनों की गलत रिपोर्टिंग तथा उनका मिलान न करना रहा।

प्रकटीकरण से सम्बंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखांकन प्रणालियों की परिवृद्धि हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक निरूपित करने हेतु 2002 में सरकारी लेखांकन मानक परामर्श बोर्ड की स्थापना की। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना का विवरण तालिका-4.11 में दिया गया है।

तालिका-4.11: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1	भारत सरकार लेखांकन मानक 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी	आंशिक अनुपालन	भारत सरकार लेखांकन मानक-1 में अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्र-वार एवं श्रेणी-वार डिस्कलोजर वित्त लेखाओं में दर्ज किया जाए। विवरणी 9 व 20 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उसके द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटी राशि पर ब्याज को दर्शाती है। यद्यपि राज्य के वित्त लेखाओं में क्षेत्र-वार विवरण का डिस्कलोजर दिया गया है तथापि श्रेणी-वार विवरण दर्ज नहीं किए गए।
2	भारत सरकार लेखांकन मानक 2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन	भारत सरकार लेखांकन मानक-2 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति के विशेष अनुमोदन के मामले को छोड़कर, सहायता-अनुदान से सम्बंधित व्यय का वर्गीकरण राजस्व व्यय के रूप में किया जाए, भले ही यह परिसंपत्ति सृजन से अंतर्विष्ट हो। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता-अनुदान के लेखांकन व वर्गीकरण से सम्बंधित आवश्यकताएं विवरणी 10 व परिशिष्ट-III में दर्शाई गई हैं, जो भारत सरकार लेखांकन मानक-2 की अपेक्षानुसार बनाई जाती है। इस प्रकार से दिए गए सहायता-अनुदान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अनुदेयी को अगली किश्त उपलब्ध कराने से पूर्व उपयोगिता

क्र.सं.	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
			प्रमाणपत्र प्राप्त करने के भारत सरकार लेखांकन मानक के निर्देश सुनिश्चित नहीं किए गए।
3	भारत सरकार लेखांकन मानक 3: सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	आंशिक अनुपालन	वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18 को भारत सरकार लेखांकन मानक 3 के तहत डिस्कलोजर सम्मिलित करके बनाया गया है। वित्त लेखाओं की इन विवरणियों में ऋणों व अग्रिमों के विवरण, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रदान किए गए लेखों के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण व अग्रिमों के सम्बन्ध में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं से तैयार किए गए लेखाओं पर आधारित है। 31 मार्च 2021 तक विवरणी 7 व 18 में दर्शाए गए अंत शेष का मिलान ऋणी इकाइयों/राज्य सरकार के साथ नहीं किया गया।

स्रोत: भारत सरकार के लेखा मानक एवं वित्त लेखे

4.14 लेखाओं/स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 18 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती हैं तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं (परिशिष्ट-4.3)। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण तालिका-4.12 में दिया गया है:

तालिका-4.12: निकायों अथवा प्राधिकरणों के बकाया लेखे

क्र.सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	जब से लेखे लंबित हैं	2020-21 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	2019-20	01
2.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	07
3.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2015-16	05
4.	हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन एवं बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण	2019-20	01

तालिका-4.12 से स्पष्ट है कि चार निकायों/प्राधिकरणों (18 में से) के लेखे एक से सात वर्षों की अवधि तक बकाया थे। इनमें से दो निकायों के लेखे केवल एक वर्ष (अर्थात् 2019-20) से बकाया थे। केवल दो निकायों यथा-हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के लेखे एक से अधिक वर्ष से बकाया थे। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है तथापि लेखाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करे।

4.15 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों/संस्थानों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी तथापि केवल चार² निकायों/प्राधिकरणों/ संस्थानों (जानकारी मांगी जाने वाले 35 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत की (परिशिष्ट-4.3)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत न करना लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, ऐसी जानकारी के अभाव

² (i) डॉ. वाय.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन, (ii) बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, बालूगंज, शिमला, (iii) पशुधन विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला, (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण परिषद्, कसुम्पटी, हिमाचल प्रदेश

में लेखापरीक्षा किए जाने वाले निकायों/प्राधिकरणों की पहचान नहीं हो सकी, साथ ही राज्य की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों एवं ऋणों से किए गए व्यय की शुद्धता, नियमितता/औचित्य की जांच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

4.16 लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता

2020-21 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को मासिक लेखे प्रस्तुत करने वाली समस्त इकाइयों (कोषागार, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई व जन-स्वास्थ्य विभाग तथा वेतन व लेखा कार्यालय, नई दिल्ली) ने उनके लेखे समय पर प्रस्तुत किए तथा छोड़ दिए जाने का कोई मामला नहीं देखा गया।

अन्य मुद्दे

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 के अनुसार किसी अधिकारी से जानबूझ कर अथवा अनजाने में हुई किसी चूक, कृत्य या उपेक्षा के कारण इन नियमों के नियम 21 में उल्लेखित कारणों से सरकार को हुई किसी हानि के लिए उसे व्यक्तिगत अथवा परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 145(5) के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल खराब हो जाता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। मार्च 2020 तक ₹ 90.12 लाख की सरकारी धनराशि से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 42 मामलों की राज्य सरकार ने सूचना दी, जिन पर अंतिम कार्रवाई शेष थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं लंबित होने का कारण तालिका-4.13 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.13: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/ चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	04	3.88	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	26	31.37
ग्रामीण विकास	02	4.68			
कृषि	02	9.46			
भू-राजस्व	01	2.57	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	2.57
बागवानी	03	2.89			
पुलिस	01	0.08			
नगर निगम, चम्बा	01	0.42	न्यायालयों में लंबित	04	26.36

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/ चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
गृह रक्षक	02	25.37			
जन-स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95			
वन	05	19.75	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटन हेतु प्रतीक्षित	09	29.00
लोक निर्माण	15	11.16			
जल शक्ति	05	8.91			
			अन्य	02	0.82
योग	42	90.12	योग	42	90.12

स्रोत: विभाग द्वारा सूचित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र खोजें।

लंबित मामलों की समयवार-रूपरेखा तथा प्रत्येक सरकारी सामग्रियों की चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि के श्रेणीवार लंबित मामलों की संख्या तालिका-4.14 में सारांशित की गई है।

तालिका-4.14: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की समयवार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
0-5	2	0.82	चोरी के मामले	8	7.20
5-10	6	8.79			
10-15	4	5.63	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	34	82.92
15-20	7	36.66			
20-25	9	16.66			
25 व अधिक	14	21.56			
योग	42	90.12	कुल लंबित मामले	42	90.12

हानि के कुल मामलों में से 80.95 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि से सम्बंधित हैं तथा शेष 19.05 प्रतिशत चोरी के मामले हैं। दुर्विनियोजन/चोरी के कुल 42 मामलों में से 61.90 प्रतिशत (26 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने में विलम्ब एवं आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि कुल 42 मामलों में से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे जिनमें 23 वे मामले भी हैं जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे। इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के उदासीन दृष्टीकोण से न केवल राज्य

के राजकोष को हानि हुई अपितु गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

चालू वर्ष (2020-21) के दौरान स्थिति यथावत् रही क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोई मामला सूचित/समायोजित नहीं किया गया था।

इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागीय कार्रवाई में कमी का अर्थ है कि गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई तो उसका पता नहीं लगाया जा सका। सरकार चोरी, दुर्विनियोजन आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु समयबद्ध ढांचा निर्मित करें।

4.18 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी तक चर्चा नहीं की।

4.19 निष्कर्ष

- उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना, अनुदेयी को विभाग द्वारा जारी अनुदानों के संदर्भ में निगरानी के अभाव की परिचायक थी एवं इससे विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्ययवर्तन का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने एवं अनुदानों व ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न करने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- अग्रिमों की पहचान/विशिष्टता जानने के किसी तंत्र के बिना आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सामान्य व्यय बिल फॉर्म (HPTR-5) का प्रयोग करते हुए अग्रिमों के आहरण एवं तत्पश्चात निगरानी के अभाव से दुर्विनियोजन/दुरुपयोग का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि, चोरी के मामले पाए गए जिनके सम्बन्ध में विभागीय कार्रवाई लंबित थी।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत व्यय व प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि बुक की गई जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग

की पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकता को अस्पष्ट किया। वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि उक्त शीर्ष से राशि को निकालने/युक्तिसंगत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

- राज्य सरकार ने अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक राज्य में अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किए।

4.20 सिफारिशें

- सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार सार आकस्मिक बिलों द्वारा अप्रत्याशित प्रकृति के अग्रिमों के आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करें।
- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि सम्बंधित स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम लेखापरीक्षा को उनके लेखे अविलम्ब प्रस्तुत करें।
- राज्य सरकार लेखा-बहियों में लेनदेन सही रूप से वर्गीकृत करने के लिए उचित लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बुक की गई राशि के उचित लेखांकन हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
- राज्य सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य में भारत सरकार लेखांकन मानक पूर्णतः लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय-V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखाओं से प्रकट हुए उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है। इसमें, वर्ष 2020-21 के दौरान (या गत वर्षों के, जिन्हें 01 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दिया गया था) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों/ निगमों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा तथा इसमें ऐसी कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो द्वारा, प्रदत्त पूंजी अंश कम से कम 51 प्रतिशत निवेशित हो।

इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केंद्र सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली किसी अन्य कंपनी¹ को सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत तथा उनके तहत बनाए गए विनियमन के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है तथा लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीकों के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करवाने का

¹ कॉरपोरेट मामले मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 द्वारा जारी कंपनी (कठिनाई का निराकरण) सातवां आदेश।

अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों के लिए उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी चाहिए।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए की गई हैं तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2021 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं 25 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 19 सरकारी कंपनियां, दो² सांविधिक निगम व चार³ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के नाम, निगमन का माह एवं वर्ष, उनका प्रशासनिक विभाग तथा उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) में से तीन⁴ सरकारी कंपनियां हैं तथा शेष एक⁵ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में से, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज पर ऋण में सूचीबद्ध⁶ सरकारी कंपनी है तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने अभी तक (31 दिसंबर 2021) अपना व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 19 सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियां⁷ व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में से एक⁸ कंपनी निष्क्रिय है। ये विगत तीन से 21 वर्षों से अकार्यशील हैं एवं इनमें पूंजीगत (₹ 17.75 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋण (₹ 60.15 करोड़) के रूप में ₹ 77.90 करोड़ का कुल निवेश है। यह एक

² हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल पथ परिवहन निगम।

³ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी)।

⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

⁵ हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

⁶ केवल शेयर बाजार के माध्यम से बांड जारी करता है।

⁷ एगो-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड।

⁸ हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।

चिंताजनक स्थिति है क्योंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों में किया गया निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के टर्नओवर व हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे तालिका-5.1 में दिया गया है।

तालिका-5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल टर्नओवर	8,342.66	8,814.81	9,725.96	9,912.71	10,603.36
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर)	1,25,634	1,38,351	1,49,442	1,62,816	1,56,522
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर का प्रतिशत	6.64	6.37	6.51	6.09	6.77

स्रोत: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के टर्नओवर के आंकड़ों व हिमाचल प्रदेश सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर वर्ष 2016-17 के 6.64 प्रतिशत से बढ़कर 6.77 प्रतिशत हो गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 6,548.60 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,127.79 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 1,359.11 करोड़) प्रमुख योगदानकर्ता थे।

5.4 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में धारण इक्विटी एवं ऋण

31 मार्च 2021 तक राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा दिया गया इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण तालिका-5.2 में नीचे दिया गया है।

तालिका-5.2: 31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश ⁹ (₹ करोड़ में)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार का ऋण	कुल इक्विटी व दीर्घावधि ऋण
पॉवर	3,814.19	2,087.57	11,636.20	7,223.06	15,450.39
वित्त	144.99	138.30	171.30	84.68	316.29
उद्योग एवं आधारभूत संरचना	62.99	62.87	2.97	2.97	65.96
कृषि एवं संबद्ध	69.33	59.80	72.05	71.65	141.38
सेवा	949.64	933.44	42.61	0.05	992.25
योग	5,041.14	3,281.98	11,925.13	7,382.41	16,966.27

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया गया। विद्युत क्षेत्र को ₹ 16,966.27 करोड़ के कुल निवेश का 91.07 प्रतिशत (₹ 15,450.39 करोड़) प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी व ऋण के रूप में निवेश का विवरण परिशिष्ट-5.2 में दर्शाया गया है।

5.4.2 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजटीय सहायता

हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न रूपों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों हेतु बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका-5.3 में दिया गया है:

तालिका-5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ¹⁰	2018-19		2019-20		2020-21	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	6	312.85	7	335.89	7	263.25
दिया गया ऋण	2	369.10	2	571.26	2	268.83
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	11	440.36	9	691.15	9	983.68
कुल व्यय		1,122.31		1,598.30		1,515.76

⁹ निवेश में इक्विटी व दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

¹⁰ राज्य के बजट से बाहर जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

विवरण ¹⁰	2018-19		2019-20		2020-21	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
ऋण चुकौती/ बड़े खाते में डालना					2	4.18 ¹¹
इक्विटी में परिवर्तित ऋण					-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटियां	5	115.60	7	673.60	8	491.44
गारंटी प्रतिबद्धता/ बकाया	1	0.60	8	1,447.15	4	93.74

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों¹² (₹ 196.98 करोड़) एवं विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उद्यम (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 62.02 करोड़) में मुख्य रूप से इक्विटी का निवेश किया। राज्य सरकार ने राज्य के एक विद्युत क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 266.00 करोड़) को ऋण भी प्रदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी का बड़ा हिस्सा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 529.20 करोड़¹³) एवं शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (₹ 195.24 करोड़¹⁴) को प्रदान किया गया।

5.4.3 ऋण देयताओं को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्ति के सापेक्ष कुल कर्ज/ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने की विधियों में से एक है कि क्या कंपनी ऋण चुकाने में समर्थ है (सॉल्वेंट) अथवा नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के कुल परिसंपत्ति मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज अनुपात तालिका-5.4 में दिया गया है।

¹¹ हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹ 1.93 करोड़ और ₹ 2.25 करोड़ ऋण का पुर्नभुगतान।

¹² हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 50.77 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 62.21 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 84.00 करोड़) ।

¹³ हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमत मुफ्त/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान।

¹⁴ परिचालन एवं प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए।

तालिका-5.4: 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋण का कवरेज

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्षेत्र	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्ति	दीर्घावधि ऋण		परिसंपत्ति से दीर्घावधि ऋण अनुपात
			(₹ करोड़ में)		
सरकारी कंपनियां	12	22,588.41	10,447.68		2.16:1
सांविधिक निगम	2	1,193.23	177.63		6.72:1
योग	14	23,781.64	10,625.31		2.24:1

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य उनके सकल ऋण/कर्ज से अधिक था।

5.4.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड राज्य की एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी थी। यद्यपि 1976 से इसके शेयरों में व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं हुआ। वर्तमान में यह कंपनी सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। इसलिए कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कंपनी का बाजार पूंजीकरण, कंपनी पर लागू नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड भी स्टॉक एक्सचेंज में ऋण की श्रेणी¹⁵ में सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है।

5.4.5 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम के निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिफल

5.5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से 11 कार्यशील उद्यमों ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा 2019-20 में अर्जित ₹ 36.24 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 28.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया। राज्य के

¹⁵ केवल शेयर बाजार के माध्यम से बांड जारी करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सात¹⁶ उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए थे या उनके पास दर्ज करने योग्य लाभ व हानि नहीं थी (व्यवसायिक परिचालन शुरू नहीं हुआ था या आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई)।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों क्रमशः हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 9.69 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 5.06 करोड़) ने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभ अर्जित किया। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की वित्तीय स्थिति का सारांश परिशिष्ट-5.3 में दर्शाया गया है।

5.5.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

राज्य सरकार ने नीति बनाई थी (अप्रैल 2011) कि सभी लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त पूंजी के अंश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत की सीमा तक, करेंगे। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों (निष्क्रिय उद्यम-हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड को छोड़कर) ने कुल ₹ 28.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा राज्य सरकार की नीति के अनुसार इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात¹⁷ उद्यम लाभांश घोषित करने के योग्य थे।

यद्यपि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन उद्यमों ने ₹ 2.25 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: ₹ 1.54 करोड़ व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़)। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक

¹⁶ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने अपने पहले खातों को अघोषित नहीं किया है: (i) शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड और (ii) श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की जाती है जिन्होंने अपने लाभ और हानि खाते तैयार नहीं किए हैं: (i) धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, (ii) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (iv) रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड और (v) ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

¹⁷ (i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, (v) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, (vi) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड और (vii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.58 करोड़¹⁸ का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया /प्रदान किया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष चार उद्यम¹⁹ राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने हेतु योग्य/अपेक्षित नहीं थे।

5.6 ऋण अदायगी

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कंपनी के उपार्जन लाभ को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान अधिकतम ब्याज वाले राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं सांविधिक निगमों के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-5.5 में दिया गया है।

तालिका-5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2018-19			2019-20			2020-21		
	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
विद्युत क्षेत्र के उद्यम									
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	503.35	459.14	0.91	457.06	460.72	1.01	476.22	290.90	0.61
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	(-) 32.35	-	96.23	17.11	0.18	11.04	(-) 44.27	(-) 4.01

¹⁸ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (₹ 1.33 करोड़), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (₹ 0.61 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड (₹ 0.46 करोड़) और हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.18 करोड़)

¹⁹ हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2018-19			2019-20			2020-21		
	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात	ब्याज लागत	ब्याज व कर से पूर्व उपार्जन	ब्याज कवरेज अनुपात
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	(-) 8.02	-	9.13	(-) 31.79	(-) 3.48	129.80	23.82	0.18
सांविधिक निगम									
हिमाचल पथ परिवहन निगम	-	(-) 118.57	-	19.90	(-) 134.90	(-) 6.78	15.24	(-) 131.19	(-) 8.61
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम ²⁰	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28	7.62	2.12	0.28

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र) व सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

टिप्पणी: गैर-विद्युत क्षेत्र में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (कंपनियों) के ब्याज कवरेज अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऋण/देयताएं नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार केवल 30 नवंबर 2021 तक उनके ₹ 10,685.46 करोड़ में से ₹ 123.39 करोड़ थी।

यह देखा गया कि विद्युत् क्षेत्र के किसी भी राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व सांविधिक निगम का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम उनके ब्याज के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

5.6.2 राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण पर ₹ 2,219.57 करोड़ की ब्याज देयता उत्पन्न थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) (सात) का विश्लेषण राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किए गए ऋण की नगण्य राशि के कारण नहीं किया गया। राज्य के विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के ऋण पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका-5.6 में दिया गया है:

²⁰ वर्ष 2018-19 के बाद राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी लेखा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण वर्ष 2018-21 के आंकड़े समान हैं।

तालिका-5.6: राज्य सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राज्य सरकार के ऋणों पर ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	23.91	23.91	-
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,717.34	242.96	1,474.38
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	478.32	152.19	326.13
	योग	2,219.57	419.06	1,800.51

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2021 तक ₹ 2,219.57 करोड़ का ब्याज भुगतान हेतु लंबित था तथा जिसमें से ₹ 1,800.51 करोड़ का ब्याज एक वर्ष से अधिक के लिए देय था।

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पूर्व कंपनी की अर्जित आय को नियोजित पूंजी²¹ से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की कुल नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका-5.7 में दिया गया है।

तालिका-5.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व कर से पूर्व अर्जित आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
	(₹ करोड़ में)		(प्रतिशत)
2018-19	334.08	9,083.53	3.68
2019-20	342.93	9,678.45	3.54
2020-21	178.87	11,450.50	1.56

स्रोत: 30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार जानकारी

यह देखा गया कि 2020-21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2018-19 के 3.68 प्रतिशत से घटकर 1.56 प्रतिशत हो गया, जो नियोजित पूंजी

²¹ नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

(मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में) में वृद्धि व ब्याज व कर से पूर्व अर्जित आय में गिरावट के कारण हुआ।

5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है, जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् कर पश्चात् निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना हर उस कंपनी के लिए की जा सकती है जिसकी निवल आय एवं शेयरधारक निधि दोनों धनात्मक संख्या हो।

किसी कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी व मुक्त आरक्षित निधियों, निवल संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह उजागर करती है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेच दी जाए एवं सभी ऋण चुका दिए जाए तब कंपनी के शेयरधारकों हेतु कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कंपनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

30 नवंबर 2021 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 17.51 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 26 कार्यशील उद्यम, जिसमें घाटे में चल रहे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उद्यम भी सम्मिलित हैं, का इक्विटी पर प्रतिफल²² ऋणात्मक रहा।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका-5.8 में दिया गया है।

तालिका-5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2018-19	(-) 183.49	360.11	-
2019-20	(-) 280.23	856.81	-
2020-21	(-) 490.37	819.58	-

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

²² राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों को छोड़कर जिन्होंने या तो अपना प्रथम लेखा/लाभ-हानि लेखा अभी तक तैयार नहीं किया था अथवा जिनमें व्यय आधिक्य की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

2018-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक होने के कारण इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।

5.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2021 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित पूर्ववर्ती निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयुक्त किया जाता है तथा ब्याज की यह वर्ष-वार औसत दर सम्बंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत पर ली जाती हैं। अतः जहां कहीं भी परिचालन एवं प्रबंधन खर्च हेतु इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों के प्रारंभ होने से 31 मार्च 2021 तक हुए विनिवेशों को शामिल नहीं किया गया। वर्ष 1999-2000 से 2020-21 की अवधि हेतु ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश की कंपनी-वार स्थिति परिशिष्ट-5.4 में इंगित की गई है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से घटा दिया गया है एवं उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर²³ को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वो वर्ष हेतु निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटाया गया है।

²³ भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)/2] *100.

तालिका-5.9: राज्य सरकार द्वारा किए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं वर्ष 1999-2000 से 2020-21 तक सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए निवल ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	प्रचालनात्मक एवं प्रशासनिक-व्यवसायिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान/सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अंकित मूल्य पर विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच = सी + डी-ई + एफ-जी	आई = बी + एच		के=आई*(1+जे/100)	एल = में * जे / 100		एन = एम / के * 100
1999-2000 तक	-	300.04	0.49	-	-	-	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	-	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	-	-	-	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	-	-	-	-	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	-	-	-	-	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	-	-	-	-	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	-	-	-	-	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	-	-	-	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	-	-	-	-	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	-	-	-	120.67	974.23	9.09	1062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1062.78	306.29	-0.10	-	-	-	306.19	1368.97	9.19	1494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1494.78	405.27	-	-	-	-	405.27	1900.05	8.59	2063.27	163.21	-55.92	-
2010-11	2063.27	566.89	-	-	-	-	566.89	2630.16	7.78	2834.78	204.63	-190.77	-
2011-12	2834.78	124.99	9.50	-	-	645.85	-511.36	2323.42	7.80	2504.65	181.23	-224.68	-
2012-13	2504.65	303.72	5.00	-	-	-	308.72	2813.37	8.08	3040.69	227.32	-404.4	-
2013-14	3040.69	287.24	2.54	-	-	-	289.78	3330.47	7.71	3587.25	256.78	-625.17	-
2014-15	3587.25	339.20	-	-	-	550.00	-210.8	3376.45	7.91	3643.53	267.08	-455.69	-
2015-16	3643.53	217.31	14.54	-	-	-	231.85	3875.38	8.37	4199.75	324.37	-332.71	-
2016-17	4199.75	250.82	10.07	-	-	-	260.89	4460.64	8.13	4823.29	362.65	-105.47	-
2017-18	4823.29	232.91	8.00	-	-	-	240.91	5064.20	8.41	5490.10	425.90	-123.81	-
2018-19	5490.10	312.85	10.00	-	-	-	322.85	5812.95	8.32	6296.58	483.64	-183.99	-
2019-20	6296.58	335.91	-	-	114.89	-	450.80	6747.38	7.97	7285.15	537.77	-270.79	-
2020-21	7285.15	263.25	-1.35	-	236.84	-	498.74	7783.89	7.59	8374.69	590.80	-480.93	-
		4495.58	62.60	-	351.73	1195.85	3714.06						

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार का इन कम्पनियों में कुल निवेश ₹ 3,714.06 करोड़ था, जो कि राज्य सरकार द्वारा किए गए विनिवेश के ₹ 1195.85 करोड़ के समायोजन (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 537.15 करोड़ एवं 2014-15 में ₹ 550.00 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड: 2011-12 में ₹ 108.70 करोड़) के पश्चात् था। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 8,374.69 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निवल आय (-) ₹ 480.93 करोड़ थी। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के लिए वास्तविक प्रतिफल की दर (-) 5.74 प्रतिशत थी। अतः यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2000-01 के बाद से कंपनियों का कुल अर्जन ऋणात्मक रहा, जो यह दर्शाता है कि निवेशित निधि पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय ये कंपनियां पूंजी की लागत की वसूली करने में भी सक्षम नहीं थीं।

5.8 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.8.1 हानि

31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाई हानियों का विवरण तालिका-5.10 में दिया गया है।

तालिका-5.10: 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हुई हानि

वर्ष	हानि उठाने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ ²⁴
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम (क)				
2018-19	2	124.07	1,399.04	(-) 578.98
2019-20	2	160.30	1,553.84	(-) 674.78
2020-21	2	151.93	1,700.26	(-) 741.82
सरकारी कंपनियां (ख)				
2018-19	5	14.38	231.72	(-) 162.42
2019-20	7	156.22	436.91	1,804.39
2020-21	8	366.67	2,253.44	1,009.34
कुल (क+ख)				
2018-19	7	138.45	1,630.76	(-) 741.40
2019-20	9	316.52	1,990.75	1,129.61
2020-21	10	518.60	3,953.70	267.52

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

²⁴ नेट वर्थ का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी तथा मुक्त भंडार और अधिशेष का कुल योग कम (-) संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय। मुक्त भंडार का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 518.60 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 146.43 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार उन्हें हुई क्रमशः ₹ 185.32 करोड़ एवं ₹ 105.98 करोड़ की हानि भी कारण रही।

5.8.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यमों में ₹ 4,074.85 करोड़ की संचित हानि पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों को, नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, ₹ 518.60 करोड़ की हानि हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 में से नौ उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ या तो शून्य या ऋणात्मक था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 1,856.34 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति उनका नेटवर्थ (-) ₹ 1,868.68 करोड़ था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ में से तीन²⁵ उद्यम, जिनकी पूंजी का क्षरण हो चुका था, ने ₹ 5.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नौ में से चार उद्यमों के बकाया सरकारी ऋण ₹ 3,176.52 करोड़²⁶ थे।

5.9 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम योजना का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

5.9.1 वित्तीय बदलाव

2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय योजना एवं त्रिपक्षीय समझौता जापन प्रावधानों के अनुसार 15 सितम्बर 2015 को राज्य डिस्कॉम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,854.00 करोड़) में से कुल ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण अधिग्रहण किया। उदय योजना के अंतर्गत सब्याज ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि को वर्ष 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत को इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। यद्यपि उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अभी तक अनुदान व इक्विटी में परिवर्तित नहीं

²⁵ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम।

²⁶ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: ₹ 2,971.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड: ₹ 60.09 करोड़, एगो-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड: ₹ 60.15 करोड़ और हिमाचल प्रदेश वित्त निगम: ₹ 84.61 करोड़।

किया गया (दिसंबर 2021)। डिस्कॉम ने उदय योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर फरवरी 2017 से मार्च 2021 की अवधि हेतु ₹ 912.00 करोड़ का ब्याज चुकाया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7.49 प्रतिशत से 8.19 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिए गए थे।

5.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा या टिप्पणियां जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

5.11 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं। सितंबर 2020 व फरवरी 2021 के मध्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियम में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना

चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी विचारार्थ उक्त आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के प्रावधानों की अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है। उपरोक्त के बावजूद 30 नवंबर 2021 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित है।

5.12.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 26 कंपनियां (हिमाचल वस्टेड मिल्स लिमिटेड, जो 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया में है को छोड़कर, 22 सरकारी कंपनियां व चार²⁷ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां) थीं। इनमें से तीन²⁸ कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के लेखे एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 23 उद्यमों के वर्ष 2019-20 या पूर्व के वर्षों के लेखे प्रस्तुत किए। 30 नवंबर 2021²⁹ तक या इससे पूर्व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 18 उद्यमों³⁰ के 23³¹ वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया गया। 30 नवंबर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) के 62 वार्षिक लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सरकारी कंपनियां: 20 व सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: तीन) के सम्बन्ध में बकाया वार्षिक लेखाओं का विवरण तालिका-5.11 में दिया गया है:

²⁷ हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

²⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

²⁹ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की तिथि को भारत सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आदेश दिनांक 23 सितंबर 2021 के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, पंजाब और चंडीगढ़ द्वारा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

³⁰ सरकारी कंपनियां: 14 और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां: चार।

³¹ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड: तीन; ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम: प्रत्येक के दो और अन्य 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से: प्रत्येक का एक।

तालिका-5.11: 30 नवंबर 2021 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं व बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियां	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां	कुल
1.	2.	3.	4.
31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	22	4	26
1 जनवरी 2021 को बकाया लेखाओं की संख्या	52	7	59
कंपनियों की संख्या, जिनके लेखे वर्ष 2020-21 हेतु बकाया थे	22	4	26
अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए बकाया लेखाओं की कुल संख्या	74	11	85
1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक के लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	14	4	18
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	18	05	23
30 नवंबर 2021 को बकाया लेखाओं की संख्या	56	06	62
बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या (30 नवंबर 2021 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखे)		
एक वर्ष	7 (7)	1(1)	8 (8)
दो वर्ष व तीन वर्ष	7(16)	2(5)	9 (21)
तीन वर्ष से अधिक	6(33)	-	6(33)
योग	20 (56)	3 (6)	23 (62)

30 नवंबर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या एवं कंपनियों के नाम परिशिष्ट-5.5 में दर्शाए गए हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के अभाव में संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का सही आंकलन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई।

बकाया लेखाओं के मामले को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग/कंपनियों के प्रमुखों के साथ उठाया गया (सितंबर 2021)। यद्यपि,

30 नवंबर 2021 तक अभी भी ऐसी छः कंपनियां थीं जिनके लेखे तीन साल से अधिक समय से बकाया थे।

5.12.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों³² में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संचालित की जाती है एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। 30 नवंबर 2021 तक दो सांविधिक निगमों के चार लेखे (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम: तीन एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम: एक) लेखापरीक्षा के लिए बकाया थे।

5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके, एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

³² हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।

5.13.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

किसी कंपनी के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी, कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उप-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत प्रतिवेदित की जाती है तो उन्हें आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

5.14 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

5.14.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 18 कंपनियों³³ के 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 23 लेखाओं की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई। कुल मिलाकर, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 18³⁴ कंपनियों के, 23³⁵ लेखाओं की वर्ष के दौरान समीक्षा की गई, जो कि 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त/अंतिम रूप दिए गए थे। समीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

5.14.2 वित्तीय विवरणियों का संशोधन

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों पर उनकी वित्तीय विवरणियों में संशोधन करने का कोई मामला नहीं पाया गया। तथापि सांविधिक लेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड से 01 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि हेतु वित्तीय विवरणियां

³³ सरकारी कंपनियां: 14 और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां: चार।

³⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: तीन; ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधननिगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम: प्रत्येक के दो; व अन्य 14 कंपनियों से: प्रत्येक का एक।

³⁵ 2014-15: एक; 2015-16: एक; 2017-18: दो; 2018-19: पांच; 2019-20: 11 और 2020-21: तीन।

प्राप्त की गई (नवंबर 2021), परन्तु निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने से उन्हें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निदेशक मंडल के अनुमोदन एवं तदोपरांत सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार करने हेतु वापस कर दिया गया (नवंबर 2021)।


5.14.3 लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण

वर्ष 2020-21 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जनवरी 2021 व नवंबर 2021 के मध्य संचालित वर्ष 2020-21 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों की वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पुनरीक्षण का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.14.4 अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों में की गई अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में, जैसा कि परिशिष्ट-5.6 दर्शाया गया है, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं साथ ही गुणात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों में संचालित अनूपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षित लेखाओं में हुए मूल्यवर्धन (लाभप्रदता पर ₹ 189.67³⁶ करोड़ व परिसंपत्ति/देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़) को चार्ट-5.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-5.1- जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दी गई वित्तीय विवरणियों की अनूपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का विवरण



³⁶ अत्योक्ति: {लाभ (₹ 17.36 करोड़) व हानि (₹ 47.88 करोड़)} व न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 124.20 करोड़) व लाभ (₹ 0.23 करोड़)}।

5.14.5 सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक के रूप में जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2020-21 एवं पूर्ववर्ती वर्षों की वित्तीय विवरणियों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के पश्चात् राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उद्यमों की 23 वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के प्रबंधन (हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड को छोड़कर, जिसे वर्ष 2019-20 हेतु 'शून्य' टिप्पणियां जारी की गई थी) को टिप्पणियां जारी की गईं, जिन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी। सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां नीचे तालिका-5.12 में दी गई हैं:

तालिका-5.12: वित्तीय विवरणों पर जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए बनाला (कुल्लू) में 400/200 केवी सब-स्टेशन के बे शुल्क के संबंध में ₹ 28.37 करोड़ के विलंबित भुगतान के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुकाने योग्य सरचार्ज पर ₹ 5.28 करोड़ की देयता सृजित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देयताएं-अन्य वित्तीय देयताएं' व 'हानि' पर ₹ 5.28 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। कंपनी ने काशांग-भाबा ट्रांसमिशन लाइन के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में वसूले गए ट्रांसमिशन शुल्क के प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को देय ₹ 3.71 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वित्तीय देयताएं-वर्तमान' व 'हानि' पर इतनी राशि की न्यूनोक्ति हुई। व्यापार प्राप्तियों पर न्यूनोक्ति व 'हानि' पर ₹ 38.24 करोड़ की अत्योक्ति हुई, जो कि 220 केवी डी/सी काशांग-भाबा ट्रांसमिशन लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से 220/66 केवी भोक्डू पूर्णिग सब-स्टेशन के लिए वर्ष 2016-2020 की अवधि हेतु वसूली योग्य शेष ट्रांसमिशन शुल्क था।
2	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2018-19)	निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मांगे गए ₹ 15.59 करोड़ के प्रति समूह ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए केवल ₹ 4.25 करोड़ का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.34 करोड़ से 'अन्य चालू देनदारियां-अन्य देय' पर न्यूनोक्ति एवं 'लाभ' की अत्योक्ति हुई।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	वन विभाग को देय के साथ-साथ 'हानि' पर, क्रमशः ब्याज का प्रावधान (₹ 11.62 करोड़) न करने, विस्तार शुल्क (₹ 0.87 करोड़) न करने एवं रेज़िन व लकड़ी पर रॉयल्टी (₹ 3.17 करोड़) का समायोजन न करने के कारण ₹ 15.66 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
		<p>वन विभाग को देय के साथ-साथ 'हानि' पर, गत 21 वर्षों से वन विभाग को देय ₹ 2.83 करोड़ को प्रतिलेखित न करने, वन कार्य मंडल (चौपाल: ₹ 2.40 करोड़ व सुंदरनगर: ₹ 0.23 करोड़) द्वारा किए गए रॉयल्टी के अतिरिक्त प्रावधान पर ₹ 2.63 करोड़ को प्रतिलेखित न करने तथा क्रमशः वन कार्य मंडल चौपाल (₹ 0.30 करोड़) एवं हमीरपुर (₹ 0.83 करोड़) के सम्बन्ध में ₹ 1.13 करोड़ की रेज़ीन रॉयल्टी का समायोजन न करने के कारण ₹ 6.59 करोड़ की अत्योक्ति हुई।</p> <p>लेखा मानक-15 के उल्लंघन में निगम ने 31 मार्च 2018 तक 397 कर्मचारियों के खाते में जमा हुए अर्जित अवकाश के ₹ 14.72 करोड़ के सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'अल्पकालिक प्रावधान' व 'हानि' पर उतनी राशि की न्यूनोक्ति हुई।</p>
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2020-21)	'संपत्ति संयंत्र व उपकरण' एवं 'अन्य गैर-वर्तमान देयताएं-पूंजी की लागत पर उपभोक्ता योगदान' पर ₹ 5.38 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई, विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं निष्पादित कार्यों का मूल्य होने के नाते, जो उस विशेष उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करते समय कंपनी की संपत्ति बन गई।
2	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	भारतीय लेखांकन मानक-37 के उल्लंघन में, कंपनी ने ₹ 6.56 करोड़ को आकस्मिक संपत्ति के रूप में दिखाने के बजाय, ठेकेदार से 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए वसूली योग्य ब्याज के रूप में दिखाया था, मामला अभी मध्यस्थता में है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - अन्य अग्रिम' की अत्योक्ति हुई और 'निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय' की ₹ 6.56 करोड़ से न्यूनोक्ति हुई।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2018-19)	कंपनी ने भारतीय खाद्य निगम से ₹ 109.56 करोड़ का गेहूं खरीदा था, जो मिल मालिकों को कस्टम ग्राइंडिंग के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मिलिंग की लागत को दर्ज करने के बजाय, मिल मालिकों को बिक्री के रूप में आवंटन दर्ज किया और मिल मालिकों से कस्टम ग्राइंडिंग के बाद गेहूं/दलिया की प्राप्ति को खरीद के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार, गेहूं की लागत को दो बार खरीद में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'खरीद' व 'बिक्री' पर ₹ 109.56 करोड़ की अत्योक्ति हुई।
		'अन्य चालू देयता' एवं 'चालू संपत्ति' को 'चालू संपत्ति' (जीएसटी/वैट वसूली योग्य) के बजाय जीएसटी/वैट देय शीर्ष के तहत डेबिट बैलेंस में दर्शाने के कारण ₹ 2.39 करोड़ (मुख्यालय: ₹ 0.48 करोड़ व एरिया ऑफिस, धर्मशाला: ₹ 1.91 करोड़) से न्यूनोक्ति हुई।
4	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	धर्मशाला में दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के दौरान निर्दिष्ट स्थानों पर आधुनिक भूमिगत कचरा संग्रहण प्रणाली की आपूर्ति, वितरण व स्थापना के लिए एक पार्टी द्वारा उठाए गए चालान के खर्च का प्रावधान न करने के कारण

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
		<p>'अन्य वर्तमान देनदारियों' एवं 'स्थायी संपत्ति-पूँजीगत कार्य-प्रगति' पर ₹ 4.68 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।</p> <p>वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा प्रस्तुत चालानों के कारण उत्पन्न देनदारियों के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप 'विभिन्न लेनदारों' की न्यूनोक्ति एवं 'अन्य वर्तमान देयताएं - अप्रयुक्त अनुदान' पर ₹ 0.78 करोड़ की अत्योक्ति हुई।</p>
प्रकटीकरण पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2018-19)	<p>कंपनी ने टिप्पणी संख्या 37 के माध्यम से 31 मार्च 2017 को विभिन्न न्यायालयों में निर्णय के लिए लंबित 1,823 मामलों का विवरण बताया एवं ₹ 7.78 करोड़ की देयता निर्धारित थी, परन्तु प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि 31 मार्च 2019 तक, विभिन्न न्यायालयों में कुल 1,998 मामले लंबित थे। इसलिए लेखाओं पर टिप्पणियों में कमियां थी।</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ₹ 1.67 करोड़ (मूल लागत) मूल्य की सुरंग की विद्युत प्रणाली के साथ-साथ थलौत, जिला मंडी के पास बगीतर में ₹ 66.30 करोड़ (मूल लागत) मूल्य की ऑटो ट्रेफिक टनल का अधिग्रहण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आवासीय अभियंता लारजी, पीएचडी, थलौट की भूमि व कार्यालय भवन का भी अधिग्रहण किया, जिसका मूल्य ₹ 0.32 करोड़ (भूमि- ₹ 0.10 करोड़ व भवन- ₹ 0.22 करोड़ (मूल लागत)) है तथा इसके लिए कंपनी को ₹ 4.13 करोड़ के मुआवजे का भुगतान किया। यह एक भौतिक तथ्य होने के कारण लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।</p>
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2020-21)	<p>ऊर्जा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुफ्त बिजली के अंश में अंतर के कारण ₹ 9.53 करोड़ (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा ₹ 3.13 करोड़ का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त बिजली चालानों को कम पारित के कारण एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के ₹ 6.40 करोड़ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अभी चालानों को पारित करना शेष) की मांग उठाई, जो कि कंपनी द्वारा आई.पी.पी से प्राप्त किया गया। कंपनी ने न तो देयता को मान्यता दी और न ही देयता की पुष्टि हेतु कोई मिलान किया। अतएव मिलान होने तक इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।</p> <p>ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट -ऊहल स्टेज- III के लिए पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड से ₹ 933.40 करोड़ का ऋण लिया। यह ऋण ऊहल -III की परियोजना भूमि की अचल संपत्ति एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की गारंटी पर प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी</p>

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
		34 वीं बैठक में अनुमोदित किया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना होने के कारण लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	राज्य सरकार ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹ 300 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ करने के लिए (07 मार्च 2019 व 22 दिसंबर 2020) मंजूरी दी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन के अभाव में अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि लंबित थी। कंपनी के "सक्रिय-गैर-अनुपालन" होने के कारण कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से अनुमोदन लंबित था क्योंकि कंपनी ने कंपनी सचिव अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी को राज्य सरकार से प्राप्त ₹ 85.74 करोड़ के इक्विटी योगदान को शेयर एप्लीकेशन मनी के रूप में दिखाना पड़ा। यह भौतिक तथ्य होने के कारण लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।
3	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (2019-20)	निगम द्वारा सतलुज नदी से शिमला को थोक जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए ₹ 322.54 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई एवं इसकी प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति 22 अक्टूबर 2018 को निदेशक मंडल द्वारा प्रदान की गई। हालांकि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित किया गया एवं निदेशक मंडल द्वारा 20 मई 2020 को ₹ 430.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दी गई। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य होने के कारण लेखाओं की टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाना चाहिए था।
4	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	कंपनी अधिनियम की धारा 137 के अनुसार, कंपनी वार्षिक आम बैठक के बाद कंपनी के पंजीयक के पास वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरणी दाखिल करने में विफल रही।
स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक एंड्रिज़ हाइड्रो पावर लिमिटेड को ₹ 54.03 करोड़ की कुल तीन प्रगतिशील भुगतान अग्रिम प्रकृति के थे एवं भविष्य में आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले चालानों के साथ समायोजित किया जाना था। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता को दिए जाने वाले अग्रिम की न्यूनोक्ति और निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य की अत्योक्ति हुई। सांविधिक लेखापरीक्षकों का अवलोकन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा होने और प्रमाणन के बाद किया गया था।
2	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अपनाए गए नकदी प्रवाह का विवरण कंपनी द्वारा तैयार नहीं किया गया था। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष के वित्तीय विवरण (नकदी प्रवाह विवरण सहित) पर सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया है। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	टिप्पणियां
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बताया कि जीवन बीमा कारपोरेशन ने ₹ 81.28 करोड़ की मांग उठाई, जिसमें से ₹ 6.03 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार, ₹ 75.25 करोड़ की गिरावट पाई गई। यह कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है। जीवन बीमा निगम ने (7 सितंबर 2017) ₹ 84.07 करोड़ की मांग उठाई एवं इसके प्रति निगम ने केवल ₹ 3.50 करोड़ का भुगतान किया, इस प्रकार 31 मार्च 2018 तक ₹ 80.57 करोड़ की गिरावट हुई। तथापि सांविधिक लेखापरीक्षकों की गणना में ₹ 5.32 करोड़ की कमी थी।

स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप एवं जारी की गई टिप्पणियां

5.14.6 सांविधिक निगम, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है

वे सांविधिक निगम, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है, उनके लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

तालिका-5.13: वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम (2019-20)	निगम की 'वर्तमान देयताएं - यात्री व माल कर - हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर' एवं 'हानि' पर ₹ 22.84 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई, जिसका कारण था: <ul style="list-style-type: none"> हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर पर ₹ 4.15 करोड़ का अल्प प्रावधान; क्षेत्रीय कार्यालय, हिमाचल पथ परिवहन निगम, पठानकोट द्वारा परिकल्पित हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 6.52 करोड़ की शास्ति का प्रावधान न करना; तथा 31 मार्च 2020 तक निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ₹ 12.17 करोड़ के पेंशन बकाया का अल्प प्रावधान।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी		
		निगम की 'वर्तमान देयताएं - ब्याज देय-सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट' और 'संचित हानि' कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के विलंबित भुगतान पर सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट को देय ब्याज के अधिक प्रावधान के कारण ₹ 0.53 करोड़ की अत्योक्ति हुई।
लेखाओं पर नोट्स		
		निगम ने बताया (लेखा नीतियों का परिच्छेद 11) कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण/कर्मचारियों की मृत्यु के प्रावधान वास्तविक आधार पर किए जाते हैं। लेखा नीति सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के तहत निर्धारित लेखांकन मानक-15 के अनुरूप नहीं है।

स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप एवं जारी की गई टिप्पणियां

5.15 लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों की अनुपालना न करना

कंपनी अधिनियम की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 एवं 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 व 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 के माध्यम से 39 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि आठ कंपनियों ने परिशिष्ट-5.7 में विवर्णित अनिवार्य लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालना नहीं की।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने देखा कि निम्नलिखित कंपनियों ने भी लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की थी, जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया, जैसा कि तालिका-5.14 में विवर्णित है:

तालिका-5.14: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखा मानकों/ भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना न करना

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	विचलन
लेखांकन मानक-9: राजस्व मान्यता	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2019-20)	वसूली योग्य किराए को आय के रूप में मान्यता देना, जो कि किराया नियंत्रक, सोलन के समक्ष विचाराधीन है
भारतीय लेखांकन मानक-7: नकदी प्रवाह विवरण	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	नकदी प्रवाह विवरण को संलग्न न करना।
भारतीय लेखांकन मानक-37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां	ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	एक ठेकेदार से वसूली योग्य ब्याज दर्शाना जो कि आकस्मिक परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाना चाहिए क्योंकि यह मध्यस्थता के अधीन है।
लेखांकन मानक-15	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान न करना।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक एवं निगम इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गई। ये कमियां सामान्यतः निम्न से सम्बंधित थीं:

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; एवं
- कुछ जानकारियों की अपर्याप्तता या उन्हें उजागर न करना जिन पर सम्बंधित सांविधिक निगम ने आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

वर्ष के दौरान एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उद्यमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे जिनका विवरण परिशिष्ट-5.8 में दिया गया है।


5.17 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 तक दो सांविधिक निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों में से तीन अकार्यशील उद्यम हैं।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 कार्यशील उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 28.18 करोड़ के कुल लाभ में से 52.34 प्रतिशत योगदान सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: ₹ 9.69 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 5.06 करोड़) का था।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उद्यमों द्वारा ₹ 518.60 करोड़ की कुल उठाई गई हानि में से ₹ 493.04 करोड़ की हानि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड: ₹ 185.32 करोड़, हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 146.43 करोड़, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 105.98 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 55.31 करोड़) की थी।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उनकी वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया। 30 नवंबर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों के 66 लेखे बकाया थे।
- 2020-21 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 189.67 करोड़ एवं परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़ था।

5.18 सिफारिशें

- राज्य सरकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें, क्योंकि लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में किए गए सरकारी निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहते हैं।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यम न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने/पूर्ण करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकार लाभांश नीति के निर्देशों की अनुपालना हेतु लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश घोषित/अदायगी करना सुनिश्चित करें।

शिमला
दिनांक: 01 जुलाई 2022


(ऋतु ढिल्लों)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1)

राज्य रूपरेखा

क्र.सं.	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग किलोमीटर
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना के अनुसार (2011) 2021 (अनुमानित)	0.69 करोड़ 0.74 करोड़
3.	(क) जनसंख्या का घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत)	109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत)	8.10% (21.90 %)
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत)	76.50% (64.84%) 82.80% (73%)
6.	(क) शिशु मृत्यु दर (2017) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2013-17) (अखिल भारतीय औसत)	22 (33) 72.9 (69.4)
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 (₹ करोड़ में)	1,56,522
8.	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2020-21)	हिमाचल प्रदेश 2,12,262 विशेष श्रेणी राज्य 1,45,680
9.	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2020-21)	हिमाचल प्रदेश 8.89 विशेष श्रेणी राज्य 9.76
10.	मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2020-21)	हिमाचल प्रदेश 8.03 विशेष श्रेणी राज्य 10.04
11.	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)	हिमाचल प्रदेश 7.48 विशेष श्रेणी राज्य 10.95

स्रोत: वित्त लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की जानकारी (2011), हिमाचल प्रदेश के अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट-2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1 व 2.4.1)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	26,264	27,367	30,950	30,742	33,438
(i) कर राजस्व	7,039 (27)	7,108(26)	7,573(24)	7,624(25)	8,083(24)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	1,833(26)	3,343(44)	3,550(47)	3,467 (43)
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	4,382 (63)	2,526(36)	1,185(16)	1,170(15)	1,630 (20)
राज्य आबकारी	1,308 (19)	1,311(18)	1,482(20)	1,660(22)	1,600 (20)
वाहन कर	280 (4)	367(5)	408(5)	466(6)	380 (5)
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	209 (3)	229(3)	251(3)	260(4)	253 (3)
विद्युत पर कर व शुल्क	372(5)	361(5)	487(7)	101(1)	402 (5)
भू-राजस्व	8(-)	17(-)	8(-)	5(-)	7 (-)
वस्तु व यात्री कर	121(2)	112(2)	104(1)	104(1)	84 (1)
अन्य कर	359(4)	352(5)	305(4)	308(4)	261 (3)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,717 (6)	2,364(9)	2,830(9)	2,501(8)	2,188 (7)
(iii) संघ करों व शुल्क में राज्यांश	4,344 (17)	4,801(17)	5,430(18)	4,678(15)	4,754 (14)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	13,164 (50)	13,094(48)	15,117(49)	15,939(52)	18,413(55)
2. विविध पूंजी प्राप्ति	-	35	9	2	3
3. ऋण व अग्रिम की वसूली	30	40	22	21	23
4. कुल राजस्व व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	26,294	27,442	30,981	30,765	33,464
5. लोक ऋण प्राप्तियां	8,603	5,600	6,427	10,847	16,749
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	6,831 [#] (79)	5,118(91)	4,864(76)	7,333(67)	6,693 (40)
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	1,671 (20)	400(7)	1,496(23)	3,444(32)	7,744 (46)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	101 (1)	82(2)	67(1)	70(1)	2,312 (14)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	34,897	33,042	37,408	41,612	50,213
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियां	13,630	14,680	16,121	22,569	15,445
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	48,527	47,722	53,529	64,181	65,658
10. राजस्व व्यय	25,344	27,053	29,442	30,730	33,535
आयोजनागत	4,520(18)	3,772(14)	4,263(14)	4,028(13)	4,983 (15)
आयोजनेत्तर	20,824(82)	23,281(86)	25,179(86)	26,702(87)	28,552(85)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	9,728 (38)	11,009(41)	11,438(39)	12,335(40)	13,454 (40)
सामाजिक सेवाएं	9,610 (38)	10,337(38)	11,482(39)	12,047(39)	12,844 (38)
आर्थिक सेवाएं	5,996 (24)	5,697(21)	6,512(22)	6,338(21)	7,227 (22)
सहायता अनुदान व अंशदान	10 (-)	10(-)	10(-)	10(-)	9 (-)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
11. पूंजीगत व्यय	3,499	3,756	4,583	5,174	5,309
आयोजनागत	3,115(89)	3416(91)	4,102(90)	4,820(93)	5,033 (95)
आयोजनेत्तर	384(11)	340(9)	481(10)	354(7)	276 (5)
सामान्य सेवाएं	208 (6)	192(5)	227(5)	204(4)	170 (3)
सामाजिक सेवाएं	1,041 (30)	1,135(30)	1,187(26)	1,258(24)	1,736 (33)
आर्थिक सेवाएं	2,250 (64)	2,429(65)	3,169(69)	3,712(72)	3,403 (64)
12. ऋण व अग्रिम का संवितरण	3,290[@]	503	468	458	320
13. कुल (10+11+12)	32,133	31,312	34,493	36,362	39,164
14. लोक ऋण की अदायगी	3,943	3,500	4,673	6,701	11,141
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़कर)	2,198	3,021	3,092	3,169	3,302
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	1,671	400	1,496	3,444	7,744
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	74	79	85	88	94
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	36,076	34,812	39,166	43,063	49,210
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	12,351	13,043	14,493	20,111	14,657
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	48,427	47,855	53,659	63,174	63,867
भाग-ग: घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	920	314	1,508	12	(-) 97
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,948[#]	(-) 3,870	(-)3,512	(-)5,597	(-) 5,700
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	411[#]	(-) 82	510	(-)1,363	(-) 1,228
भाग-घ: अन्य डेटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3,359	3,788	4,022	4,234	4,472
24. स्थानीय निकाय, आदि को वित्तीय सहायता	3,357	2,895	3,634	3,506	4,061
25. अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष प्राप्त किया (दिवस)	23	2	19	38	63
प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	23	2	19	25	51
प्राप्त अधिविकर्ष (दिवस)	-	-	-	13	12
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	16.17	-	- (0.96)	3.61	6.12
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,25,634	1,38,551	1,49,442	1,62,816	1,56,522
	(9.97)	(10.28)	(7.86)	(8.95)	(-3.87)

28. बकाया राजकोषीय देयता (वर्षांत)	47,244 ^{##}	51,030	54,299	62,212	68,882 ^{\$}
29. बकाया गारंटियां (वर्षांत) (ब्याज सहित)	4,550	4,394	4,309	1,947	2,142
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत)	12,320	8,848	5,181	640	2,299
31. अपूर्ण परियोजना की संख्या	12	11	10	13	78
32. अपूर्ण परियोजना में अवरूध पूंजी	188	176	181	268	1,014

@ उदय योजना के अंतर्गत ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

उदय योजना के अंतर्गत ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय योजना के अंतर्गत ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

* राजस्व अधिशेष इसलिए, आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ सम्मिलित है।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **'वर्ष के लेखे या वास्तविक'**- यह, 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की प्राप्ति एवं संवितरण की वह राशि होती है, जो लेखांकन प्राधिकारी की बहियों में अंततः दर्ज की गई हो (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा)। अनंतिम खातों का तात्पर्य अलेखापरीक्षित खातों से है।
2. **"योजना, प्रस्ताव अथवा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति"**- यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के उद्देश्य से उसकी औपचारिक स्वीकृति होती है। यह उस वर्ष विशेष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य हेतु बजट में निधियों के प्रावधान के साथ ली गई वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।
3. **"वार्षिक वित्तीय विवरण"**- यह बजट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का विवरण, जिसे संसद/राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
4. **"विनियोजन"**- इसका अर्थ है विनियोजन की किसी पृथक इकाई या भाग के तहत व्यय हेतु संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि जो संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखी गई है।
5. **"आहरित व्यय"**- इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधायिका की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होता।
6. **"भारत/राज्य की समेकित निधि"**- संघ/ राज्य सरकार का समस्त राजस्व, उनके द्वारा उठाए गए ऋण व ऋण की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि भारत/राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि से संविधान द्वारा प्रदत्त पद्धति में किसी उद्देश्य हेतु कानून के अनुरूप हो धन का विनियोजन किया जा सकता है।
7. **"आकस्मिक निधि"** अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य वर्ष के दौरान उत्पन्न अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका/सरकार को वह अग्रिम प्रदान करना है जिसका संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकरण लम्बित है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/ राज्य विधायिका से अनुमोदित होने के पश्चात् की जाती है।
8. **"नियंत्रक अधिकारी (बजट)"** - इसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे व्यय करने पर नियंत्रण अथवा राजस्व के संग्रहण की जिम्मेदारी विभाग द्वारा सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है।
9. **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी"** इसका तात्पर्य कार्यालय प्रमुख तथा कोई भी उस अन्य अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिलों के आहरण एवं भुगतान करने हेतु नियुक्त (पदोन्नत) किया गया है। इस शब्द में इस प्रकार के कार्य का स्वयं निर्वहन करने वाले विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित है।
10. **"अतिरिक्त अनुदान"**- अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान के ऊपर एवं अधिक व्यय की वह राशि जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 से अंतर्गत संसद

/ राज्य विधायिका से अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया है तथा जिसका विनियमन अपेक्षित है।

11. **"नई सेवा"**- जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1) (क)/250(1) (क) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ उस व्यय से है जो नई नीति निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ तथा संसद/राज्य विधायिका के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था तथा इसमें निवेश के नए रूप अथवा नई गतिविधि भी शामिल हैं।
12. **"सेवा के नए विलेख"**- इससे तात्पर्य है अपेक्षाकृत वह बड़ा व्यय जो मौजूदा गतिविधि के आगे बढ़ जाने से उत्पन्न होता है।
13. **"लोक लेखा"**- इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में संदर्भित लोक लेखा से है। निक्षेप, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जैसा प्राप्तियां व संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं बनते, वे लोक लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा से संवितरण हेतु संसद/राज्य विधायिका की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई धनराशि नहीं होती।
14. **"पुनर्विनियोजन"**- इससे तात्पर्य उस अन्तरण से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से बचत का अन्तरण उसी अनुदान अथवा प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है।
15. **"संशोधित प्राक्कलन"** यह एक वित्तीय वर्ष हेतु संभावित प्राप्तियों अथवा व्यय का प्राक्कलन है जो पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष हेतु पहले से दर्ज तथा प्रत्याशित लेनदेन के संदर्भ में तैयार किया जाता है।
16. **"अनुदानों की अनुपूरक मांग"**- यह वह अनुपूरक मांगों का विवरण है, जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया हो। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी अथवा वास्तविक नकद हो सकती है।

(क) **"नकद अनुपूरक"** मूल बजट प्रावधानों से अधिक व ऊपर लिए जाने वाले अनुदान होते हैं तथा इनके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आंबटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में तथा उचित उद्यम के पश्चात् प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग हैं अर्थात् दत्तमत राजस्व, प्रभारित राजस्व, दत्तमत पूंजीगत एवं प्रभारित पूंजीगत तकनीकी अनुपूरक, राज्य विधायिका का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी एक प्रभाग की बचतों को किसी अन्य प्रभाग में उपयोग करने की अनुमति देता है।

(ग) सांकेतिक (टोकन) अनुपूरक अनुदान के समान प्रभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
17. **"मुख्य शीर्ष"** - इससे तात्पर्य है राज्य के प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्ज करने एवं वर्गीकरण करने के उद्देश्य के लिए लेखाओं का मुख्य शीर्ष। मुख्य शीर्ष विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आता है जो सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के समान है।
18. **"उप-मुख्य शीर्ष"**- इसका अर्थ उस मध्यावर्ती लेखा शीर्ष से है जो मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब लघु शीर्षों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उन्हें सरलीकृत करते हुए ऐसे मध्यावर्ती शीर्ष के तहत समूहबद्ध किया जा सकता है।

19. **"लघु शीर्ष"-** इसका अर्थ मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। किसी मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले 'कार्यक्रम' की पहचान करता है।
20. **"उप शीर्ष" -** इसका अर्थ है लघु शीर्ष के अधीनस्थ एक लेखा इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष अथवा कार्यक्रम के तहत योजना अथवा संगठन को दर्शाता है।
21. **"मुख्य कार्य"-** इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर बढ़ जाती है।
22. **"लघु कार्य"-** इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभारों को छोड़कर, समय-समय पर नहीं बढ़ती।
23. **"रूपांतरित अनुदान अथवा विनियोजन"-** यह किसी विनियोजन उप-शीर्ष को आवंटित वह राशि है जो सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन अथवा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संस्वीकृती के पश्चात दी गई है।
24. **'अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन'-** इसका अर्थ विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित उस प्रावधान से है जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति की जाती है।
25. **"नए व्यय की अनुसूची"-** इसका अर्थ आगामी वर्ष हेतु बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण है।
26. **"संकेतिक (टोकन) मांग"-** इसका तात्पर्य अत्यन्त कम अथवा संकेतिक राशि के लिए विधान सभा में की गई मांग से है, उदाहरणार्थ इसे संस्वीकृत बजट अनुदान से हुई बचत से किसी नई सेवा के पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6)

अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
1	1	विधानसभा	2011-02-103-01	18.24	0	0.65	18.89	15.72	-3.16
2	3	न्याय प्रशासन	2014-00-102-05	0	0	2.07	2.07	0.52	-1.55
			2014-00-114-02	23.48	0	0.48	23.96	18.75	-5.21
			2030-02-101-01	2.27	0	11	13.27	11.69	-1.58
			2053-00-094-01	22.82	0	0.01	22.83	17.52	-5.31
			2245-02-111-02	0	0	40.5	40.5	38.75	-1.75
			2702-80-800-07	0.01	0	2.83	2.84	0.28	-2.55
3	7	पुलिस व संबद्ध संगठन	2055-00-003-01	19.67	0	0.39	20.06	16.25	-1.65
			2055-00-101-01	52.8	0	1.7	54.51	45.87	-7.68
			2055-00-108-02	46.26	0	0.07	46.33	29.97	-8.46
			2055-00-109-01	660.03	0.09	6.32	666.45	551.82	-103.4
			2055-00-109-03	65.21	0	1.48	66.69	63.03	-3.66
			2055-00-114-01	28.35	0	0.11	28.46	22.07	-6.4
			2070-00-108-02	40.24	0	5.33	45.57	35.38	-10.13
			2202-01-104-01	21.92	0	0.4	22.32	17.11	-1.29
			2202-01-104-02	61.64	0	0.92	62.56	55.11	-1.43
			2202-01-800-01	100.58	0	0.51	101.09	87.16	-2.94
			2202-02-101-01	17.65	0	0.08	17.73	16.58	-1.15
			2202-02-109-01	2,359.49	0	5.82	2,365.31	2,029.96	-188.4
			2202-03-103-07	47.06	0	0.33	47.39	12.97	-34.43
			2205-00-105-01	5.89	0	0.92	6.81	5.39	-1.41
4	9	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	4210-03-105-01	13.98	78.01	0.05	92.04	118.08	26.03
			2210-01-110-03	308.45	0	21	329.46	245.16	-38.43
			2210-01-200-01	46.74	0	0.32	47.06	44.26	-2.8
			2210-05-105-13	30.17	0	14.74	44.91	38.82	-6.08
			2210-05-105-15	50.96	0	19.44	70.41	69.34	-1.07
			2210-06-200-09	12	0	24	36	23.75	-12.25
			2210-06-200-11	0	0	2.1	2.1	0	-2.1
			2211-00-200-05	334.42	0	9.71	344.13	250.82	-93.31
5	10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	5054-04-101-01	5	0.75	13.78	19.53	25.56	6.03
			5054-04-337-09	394.86	117.7	66.12	578.68	724.2	145.52
			3054-04-105-02	366.7	0.28	14.19	381.17	376.31	-4.86
			3054-04-105-19	184.44	0	0.13	184.57	134.94	-49.63
			4059-01-051-07	12.9	0	9.2	22.1	20.03	-2.07
			5054-04-337-02	125.24	21.16	29.62	176.02	165.61	-10.41
			5054-04-337-11	50	0	10	60	44.07	-15.93
			2401-00-800-24	2.75	0	4.45	7.2	2.75	-4.45

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
6	13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2215-01-005-02	0.58	0	3.2	3.78	11.78	8
			4215-01-102-01	36.01	0	68.81	104.82	159.76	54.94
			2215-01-001-02	149.59	0	0.42	150.01	97.61	-11.94
			4215-01-102-16	110.56	0	6.64	117.2	112.92	-4.27
			4702-00-101-06	53.99	0	3.02	57.02	55.98	-1.04
			4702-00-101-12	0	0	5	5	2.87	-2.13
7	16	वन व वन्य जीवन	2402-00-102-12	22.04	0	2.19	24.22	18.57	-1.62
			2406-01-102-42	0	0	1.33	1.33	0	-1.33
			2015-00-109-01	3.78	9.03	0.42	13.24	8.85	-4.39
8	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-13	18.77	0	0.64	19.41	16.14	-1.79
			2851-00-107-01	7.98	0	0.05	8.02	6.73	-1.04
9	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2235-60-102-04	69.24	0	0.09	69.33	70.37	1.05
			2235-02-102-11	60.07	14.19	4.97	79.23	76.4	-2.83
			2235-02-103-22	10.89	0	15.75	26.64	20.05	-6.59
			4235-02-800-01	4.07	0	1.12	5.19	2.37	-2.82
			2505-02-101-01	236.92	0	35.18	272.1	264.51	-7.6
			2515-00-101-01	29.11	0	0.05	29.16	23.06	-6.1
			2515-00-196-04	103.77	0	68.6	172.36	163.94	-8.42
10	23	विद्युत विकास	2801-80-001-01	7.85	0	0.16	8.01	4.1	-3.92
			3055-00-001-01	12.97	0.68	0.25	13.89	11.75	-2.15
			5055-00-190-03	0	0.99	0.05	1.04	0	-1.04
			2230-01-101-01	5.66	0.04	0.15	5.85	4.45	-1.4
			2230-02-101-01	11.2	0.05	0.1	11.35	8.86	-2.49
11	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन तथा आवासीय	2217-80-191-45	62.14	0	7.73	69.88	66.63	-3.25
12	29	वित्त	2049-05-105-02	0	0	91.3	91.3	107.5	16.2
			2071-01-104-02	732.45	0	0.06	732.51	572.83	42.42
			2049-01-200-05	15	0	1.44	16.44	15.2	-1.24
			2054-00-095-04	10	0	27.5	37.5	28.69	-8.81
			2054-00-097-01	35.29	0	0.16	35.45	28.16	-7.29
			2071-01-104-03	0	0	5	5	0.89	-4.11
			2071-01-117-01	469.21	0	82.58	551.79	544.6	-7.18
13	31	जनजातीय विकास	2215-01-796-01	4.91	0	1.31	6.21	8.02	1.84
			5054-04-796-01	45.69	0	8.07	53.76	55.98	2.22
			5054-04-796-02	54	3.26	30.01	87.26	99.73	12.47

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम अतिरिक्त/ बचत (-)
			2202-02-796-02	54.87	0	0.01	54.88	45.15	-1.37
			2202-02-796-18	1.51	0	0.03	1.54	0.03	-1.02
			2210-03-796-02	16.39	0	0.36	16.75	13.67	-3.08
			2210-03-796-03	19.62	0	0.23	19.85	16.39	-3.45
			2401-00-796-05	9.74	0	0.02	9.76	6.29	-2.29
			2403-00-796-02	26.34	0	0.02	26.36	20.59	-5.76
			2406-01-796-02	6.22	0	0.05	6.27	3.91	-2.36
			2515-00-796-01	14.02	0	1.44	15.47	14.21	-1.25
			2515-00-796-02	7.72	0	8.27	15.98	13.56	-2.43
			4059-01-796-02	6.91	0	0.34	7.25	5.91	-1.34
			4402-00-796-01	1.8	0	0.4	2.2	0.27	-1.93
			4702-00-796-06	6	0	0.88	6.88	2.62	-4.26
			5054-80-796-03	1.02	0	0.51	1.53	0	-1.53
14	32	अनुसूचित जाति उप योजना	2202-02-789-02	10.08	0	0.75	10.83	13.68	2.85
			5054-04-789-08	151.14	36.55	40.84	228.53	284.23	55.7
			2235-02-789-01	77.72	0	4.47	82.19	60.44	-21.75
			4055-00-789-04	12.09	0	0.35	12.44	6.74	-5.7
15	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4215-01-789-02	57.25	0	2.73	59.98	55.87	-4.11
			4215-01-789-04	42.32	0	7.22	49.54	43.8	-5.73
			4215-02-789-02	38.43	0	0.9	39.33	13.9	-25.43
			5054-04-789-01	175.07	0	4.95	180.01	167.39	-12.63
			5054-04-789-02	10.05	0	1.31	11.36	9.93	-1.44
			5054-04-789-04	61.5	0	0.2	61.7	40.48	-21.22

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7(i))

अनुदानों की सूची जहां बचत ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत (20% से अधिक)
पूँजी-प्रभारित					
1	10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	17.77	-5.32	29.95
2	13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2.95	-1.8	60.87
3	29	वित्त	11,396.14	-255.1	
पूँजीगत-दत्तमत					
4	1	विधानसभा	3.1	-1.33	42.81
5	3	न्यायिक प्रशासन	8.28	-3.13	37.80
6	4	सामान्य प्रशासन	8.56	-8.44	98.55
7	6	उत्पाद शुल्क व कराधान	8	-2	25.04
8	7	पुलिस व संबद्ध संगठन	73.43	-30.38	41.37
9	9	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	263.55	-8.8	--
10	11	कृषि	86.01	-9.52	--
11	12	बागवानी	16.85	-3	--
12	13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	951.48	-29.83	--
13	14	पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	19.19	-1.46	--
14	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	444.54	-218.07	49.06
15	16	वन व वन्य जीवन	20.73	-3.55	--
16	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	23.64	-9.09	38.47
17	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	12.03	-4.94	41.08
18	23	विद्युत विकास	307.3	-3.26	--
19	26	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	958.71	-924.68	96.45
20	27	श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	85.93	-6.83	--
21	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	180.03	-111.06	61.69
22	29	वित्त	17.78	-7.74	43.53
23	30	विविध सामान्य सेवाएं	38.36	-1.55	--
24	31	जनजातीय विकास	441.29	-75.44	--
25	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1,447.02	-149.75	--
राजस्व- प्रभारित					
26	2	राज्यपाल व मंत्रिपरिषद	8.31	-1.06	--
27	3	न्याय का प्रशासन	53.75	-7.33	--
28	10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	0.28	-0.1	34.56
29	11	कृषि	0.05	-0.05	100
30	16	वन व वन्य जीवन	0.01	-0.01	100
31	21	सहकारिता	0.13	-0.13	100
32	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन व आवासीय	10	-10	100
33	29	वित्त	4,931.93	-459.44	--

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	प्रतिशत (20% से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
34	1	विधानसभा	41.94	-4.05	--
35	2	राज्यपाल व मंत्रिपरिषद	16.73	-2.96	--
36	3	न्यायिक प्रशासन	204.83	-44.56	21.76
37	4	सामान्य प्रशासन	248.78	-35.58	--
38	5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	1,363.11	-116.43	--
39	6	उत्पाद शुल्क व कराधान	101.74	-17.53	--
40	7	पुलिस व संबद्ध संगठन	1549.2	-305.45	--
41	8	शिक्षा	7,068.14	-1,362.09	--
42	9	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2407	-489.64	20.34
43	10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	3,752.85	-963.02	25.66
44	11	कृषि	448.47	-78.98	--
45	12	बागवानी	493.46	-15.34	--
46	13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2,774.82	-130.08	--
47	14	पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	431	-78.84	--
48	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	77.01	-21.9	28.43
49	16	वन व वन्य जीवन	809.82	-170.51	21.06
50	17	चुनाव	43.79	-5.99	--
51	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	231.3	-39.63	--
52	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	1,272.46	-64.74	--
53	20	ग्रामीण विकास	1,409.77	-163.47	--
54	21	सहकारिता	38.95	-2.7	--
55	22	खाद्य व नागरिक आपूर्ति	305.67	-29.97	--
56	23	विद्युत विकास	539.13	-4.01	--
57	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.52	-2.91	--
58	25	सड़क व जल परिवहन	574.68	-11.79	--
59	26	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	153.49	-21.89	--
60	27	श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	373.52	-116.39	31.16
61	29	वित्त	7,382.45	-1,202.66	--
62	30	विविध सामान्य सेवाएं	101.51	-8.07	--
63	31	जनजातीय विकास	1,504.71	-415.69	27.63
64	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1,453.72	-264.69	--
योग			59,041.7	-8,545.75	

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7(ii))

निरंतर बचत वाले मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व - दत्तमत							
1	03	न्यायिक प्रशासन	9.82	10.14	25.20	34.57	44.56
2	04	सामान्य प्रशासन	11.62	13.13	18.83	54.07	35.58
3	06	उत्पाद शुल्क व कराधान	1.84	7.65	13.79	14.32	17.53
4	07	पुलिस व संबद्ध संगठन	37.08	81.89	143.83	212.47	305.45
5	08	शिक्षा	864.96	665.02	955.16	1110.61	1,362.09
6	09	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	295.90	211.66	330.83	377.72	489.64
7	11	कृषि	27.04	11.30	72.67	33.44	78.98
8	12	बागवानी	17.22	102.97	19.09	78.64	15.34
9	14	पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	35.18	43.67	68.34	69.81	78.84
10	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	28.40	16.81	30.57	22.69	21.90
11	16	वन व वन्य जीवन	57.50	85.36	130.31	145.25	170.51
12	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	8.46	11.45	96.03	100.52	39.63
13	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	20.78	55.55	28.84	99.25	64.74
14	20	ग्रामीण विकास	121.61	402.93	383.93	351.17	163.47
15	21	सहकारिता	10.23	3.54	3.61	4.79	2.70
16	23	विद्युत विकास	146.35	131.18	53.45	128.76	4.01
17	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6.02	2.81	1.19	2.14	2.91
18	25	सड़क व जल परिवहन	1.06	2.10	2.25	12.92	11.79
19	27	श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	71.98	199.27	39.93	39.28	116.39
20	29	वित्त	97.70	266.88	939.93	1,212.96	1,202.66
21	30	विविध सामान्य सेवाएं	13.00	7.38	8.97	11.32	8.07
22	31	जनजातीय विकास	177.85	242.34	325.72	371.39	415.69
23	32	अनुसूचित जाति उप योजना	321.14	405.83	390.87	513.37	264.69
राजस्व - प्रभारित							
24	03	न्यायिक प्रशासन	5.95	1.73	7.94	11.36	7.33
25	29	वित्त	41.09	29.20	238.48	315.99	459.44
पूंजीगत दत्तमत							
26	09	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	2.93	4.77	8.94	25.30	8.80
27	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	18.95	12.84	1.33	115.34	218.07
28	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	4.45	4.26	3.48	14.48	4.94
29	29	वित्त	1.51	7.98	6.27	6.35	7.74
30	31	जनजातीय विकास	20.88	58.21	82.25	94.04	75.44
31	32	अनुसूचित जाति उप योजना	99.31	132.87	154.08	231.62	149.75

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4)

उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान तो किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	385.75	0.00	0
2	अटल स्कूल वर्दी योजना	1.35	0.00	0
3	बालिका गौरव पुरस्कार योजना	1.50	0.00	0
4	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	27.78	0.00	0
5	सीवी रमन सरकारी महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षा		0.00	0
6	पब्लर नदी का चैनलाइजेशन , जिला शिमला	1.43	0.00	0
7	मंडी व हमीरपुर जिले में बरशावद से जाहू तक सीर खड्ड का चैनलाइजेशन (एफएमपी)	1.54	0.00	0
8	दौलतपुर से गगरेट बांध स्वेम व उसकी सहायक नदियों का चैनलाइजेशन	5.72	0.00	0
9	जिले में पब्लर नदी का चैनलाइजेशन शिमला	3.74	0.00	0
10	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सीर खड्ड का बरशावद से जाहू तक (एमडीआई व एचएमआर में) चैनलाइजेशन ।	4.00	0.00	0
11	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अवस्था -III में स्वान अनुप्रवाह को पंजाब सीमा तक चैनलाइजेशन	1.87	0.00	0
12	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत दौलतपुर से गगरेट बांध स्वान व उसकी सहायक नदियों (IV) का चैनलाइजेशन	14.95	0.00	0
13	मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राष्ट्रीय विकास बैंक	12.50	0.00	0
14	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)	37.50	0.00	0
15	कमांड क्षेत्र विकास	13.60	0.00	0
16	लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास	35.54	0.00	0
17	चंबा में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	3.35	0.00	0
18	अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक/बालिका के छात्रावासों का निर्माण	2.49	0.00	0
19	चयनित सरकारी भवनों का निर्माण	7.90	0.00	0
20	सामान्य प्रशासन विभाग के चयनित शासकीय आवासीय भवन का निर्माण	3.02	0.00	0
21	केन्द्रीय पथ निधि के तहत सड़कों का निर्माण	9.90	0.00	0
22	सड़कों व पुलों के डिजाइन / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्शी	1.01	0.00	0
23	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	5.06	0.00	0

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
24	जिला उद्योग केंद्र भवन	1.50	0.00	0
25	जिला कर्मचारी	5.00	0.00	0
26	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	1.52	0.00	0
27	डॉ. वाई.एस. परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नाहन	3.71	0.00	0
28	एक बूटा बेट्टी के नाम	1.00	0.00	0
29	अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय	2.20	0.00	0
30	कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएं (अस्पताल व औषधालय)	2.71	0.00	0
31	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य का विस्तार	2.52	0.00	0
32	औद्योगिक क्षेत्र / संपदा के विकास पर व्यय	16.80	0.00	0
33	अवसंरचना सुविधाओं पर व्यय	13.10	0.00	0
34	कमांड क्षेत्र के विकास पर व्यय	4.41	0.00	0
35	बाढ़ नियंत्रण कार्य पर व्यय	3.65	0.00	0
36	चारे की आपूर्ति पर व्यय	1.00	0.00	0
37	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत व्यय	1.29	0.00	0
38	बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के तहत छौंच खड़ तह०.इंदौरा में बाढ़ सुरक्षा कार्य	1.91	0.00	0
39	स्वच्छ भारत मिशन को सहायता-अनुदान	3.00	0.00	0
40	हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण व प्रजनन समिति को अनुदान-सहायता	2.35	0.00	0
41	ज्ञानोदय अध्ययन एवं पथन गुणवत्ता योजना	5.00	0.00	0
42	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना	1.00	0.00	0
43	हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एजेंसी	1.00	0.00	0
44	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	20.83	0.00	0
45	शहद उत्पादन व प्रसंस्करण योजना	6.67	0.00	0
46	सभी सरदार पटेल शहरी आवास योजना के लिए आवास	6.00	0.00	0
47	मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना के तहत प्रोत्साहन	2.00	0.00	0
48	माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण जांच उड़न दस्ते	1.00	0.00	0
49	सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस	1.00	0.00	0
50	एकीकृत बाल कल्याण सेवाएं	1.10	0.00	0
51	समेकित बाल विकास योजना	1.00	0.00	0
52	स्रोत स्थिरता व जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना	2.85	0.00	0
53	इंट्रा-म्यूरल रिसर्च फंड	1.00	0.00	0
54	निवेश प्रोत्साहन योजना	1.67	0.00	0
55	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	0.30	1.02	0

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
56	खेल से स्वास्थ्य योजना	5.00	0.00	0
57	किडनी प्रत्यारोपण	1.00	0.00	0
58	कृषि कोश	20.00	0.00	0
59	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजनाओं के लिए ऋण	7.02	0.00	0
60	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	51.33	0.00	0
61	हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण	173.00	0.00	0
62	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	19.65	0.00	0
63	महक योजना	5.00	0.00	0
64	रखरखाव व मरम्मत	0.00	10.00	0
65	मुख्य जिला सड़कें	2.00	0.00	0
66	महिला मंडल को प्रोत्साहन अनुदान का मिलान (उत्पाद-अधिनियम)	1.09	0.00	0
67	चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा	5.82	0.00	0
68	चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	7.99	0.00	0
69	चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा	1.62	0.00	0
70	चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	2.85	0.00	0
71	मध्यांतर भोजन	11.00	0.00	0
72	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	4.74	0.00	0
73	मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना	2.00	0.00	0
74	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	2.30	0.00	0
75	राष्ट्रीय रोगी वाहन सेवा	2.40	0.00	0
76	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	12.59	0.00	0
77	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति कानून	92.31	0.00	0
78	राष्ट्रीय शहरी व ग्रामीण मिशन	9.32	0.00	0
79	नील क्रांति एकीकृत मत्स्य पालन व विकास	1.60	0.00	0
80	अन्य व्यय	7.79	0.00	0
81	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	50.00	0.00	0
82	फिनासिंह परियोजना	2.64	0.00	0
83	पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	8.50	0.00	0
84	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	34.28	0.00	0
85	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	4.55	0.00	0
86	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	7.15	0.00	0
87	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	4.62	0.00	0
88	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान	23.47	0.00	0
89	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति	1.39	0.00	0
90	प्रमुख जिला एवं अन्य अंतर्गत यंत्र एवं उपकरणों की खरीद।	1.30	0.00	0
91	पीडब्ल्यू विविध अग्रिम	1.60	0.00	0

क्र. सं.	उप शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
92	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.38	0.00	0
93	हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का पुनर्वास व संचालन/रखरखाव	100.00	0.00	0
94	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0
95	संपूर्ण स्वास्थ्य योजना	5.00	0.00	0
96	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2.45	0.00	0
97	बाहरी स्रोत से कार्य गारंटी के साथ कौशल उन्नयन	1.21	0.00	0
98	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	6.30	0.00	0
99	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना	18.70	0.00	0
100	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1.29	0.00	0
101	राज्य नवीकरण कोष	2.20	0.00	0
102	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राज्य मिशन	1.26	0.00	0
103	स्वच्छता योजना के तहत राज्य पुरस्कार	1.00	0.00	0
104	भण्डार	4.09	0.00	0
105	कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन	11.12	0.00	0
106	सहायक वन संवर्धन संचालन	1.76	0.00	0
107	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को गेहूं व चावल पर छूट	24.24	0.00	0
108	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	241.65	0.00	0
109	स्वर्ण जयंती आश्रय आवास योजना	25.00	0.00	0
110	स्वस्थ बचपन	1.00	0.00	0
111	उपकरण व संयंत्र मशीनरी व उपकरण पर व्यय	1.02	0.00	0
112	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	23.90	0.00	0
113	न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का उन्नयन	2.50	0.00	0
114	पंचायती राज विभाग / पंचायती राज विभाग का उन्नयन	3.00	0.00	0
योग		1,779.57	11.02	0

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5)

अनुदान जहां 50 प्रतिशत से अधिक व्यय केवल मार्च में किया गया था,
(प्रतिशत का अवरोही क्रम)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	व्यय (जनवरी-मार्च)	व्यय (मार्च में)	कुल	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
										जनवरी-मार्च	मार्च
1	5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2030	2	101	1	11.69	11.67	11.69	100	99.88
			2245	2	101	1	30.53	30.34	59.62	51.2	50.89
			2245	2	106	1	76.52	69.73	97.45	78.52	71.55
			2245	2	109	1	25.00	25.00	40.00	62.5	62.5
			2245	2	111	1	24.84	24.84	31.75	78.24	78.24
			2245	2	111	2	38.75	21.90	38.75	100.00	56.52
			2245	2	193	1	32.67	32.55	45.2	72.27	72.01
			2245	80	102	1	61.92	61.92	62.21	99.53	99.53
			2245	80	102	5	45.40	45.40	45.40	100	100
2	8	शिक्षा	2202	2	109	32	28.09	28.09	28.09	100	100
3	9	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	4210	3	105	1	105.79	85.59	118.08	89.59	72.49
			4210	3	105	3	37.09	28.94	37.09	100	78.02
4	10	लोक निर्माण - सड़कें, पुल व भवन	2059	80	799	3	250.23	188.22	277.50	90.17	67.83
			3054	4	105	6	287.74	233.41	431.54	66.68	54.09
			3054	4	105	20	133.19	99.21	182.90	72.82	54.24
			5054	4	101	1	23.45	16.96	25.56	91.74	66.36
			5054	4	337	11	34.48	28.97	44.07	78.24	65.73
			5054	4	337	21	45.00	45.00	45.00	100	100
5	11	कृषि	2401	0	109	31	17.40	17.40	28.26	61.58	61.58
6	12	बागवानी	2401	0	119	51	13.42	13.42	16.45	81.61	81.61
			2401	0	119	57	127.97	127.97	158.97	80.5	80.5
			2401	0	119	77	23.80	14.80	24.55	96.95	60.29
			2401	0	119	79	20.00	20.00	20.00	100	100
7	13	सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2215	1	5	2	11.65	11.65	11.78	98.88	98.88
			2215	1	102	12	194.03	162.14	255.15	76.05	63.55
			2702	80	1	6	130.23	105.11	171.60	75.89	61.25
			4215	1	102	1	133.17	107.13	159.76	83.35	67.06
			4701	20	800	2	62.90	47.73	64.01	98.26	74.57
			4702	0	101	3	23.43	20.76	39.99	58.59	51.92
			4705	0	313	1	21.20	19.54	23.8	89.08	82.09
8	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	5475	0	800	2	24.54	23.03	33.19	73.96	69.4
			5475	0	800	3	11.98	11.37	19.26	62.24	59.07
9	16	वन व वन्य जीवन	2406	4	103	2	17.03	14.07	24.74	68.83	56.85

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	व्यय (जनवरी-मार्च)	व्यय (मार्च में)	कुल	के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
										जनवरी-मार्च	मार्च
10	19	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	2235	2	102	23	17.61	17.33	29.98	58.76	57.81
			2236	2	101	5	30.00	29.10	39.46	76.03	73.75
11	20	ग्रामीण विकास	2505	1	702	6	19.25	19.25	29.61	65	65
			2515	0	101	2	10.98	10.75	11.01	99.68	97.55
12	23	विद्युत विकास	2801	80	101	7	301.6	301.6	520.45	57.95	57.95
			4801	1	190	6	54.12	54.12	58.45	92.59	92.59
13	26	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	3452	80	1	3	47.07	41.55	69.07	68.15	60.15
			5452	1	800	3	16.16	16.06	24.13	66.99	66.55
14	27	श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	2230	3	800	1	14.16	14.16	14.16	100	100
15	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण नियोजन व आवास	2217	80	193	13	13.13	13.13	21.79	60.26	60.26
			4215	2	106	2	38.04	26.12	46.91	81.09	55.67
16	29	वित्त	2049	1	101	19	17.82	17.82	17.82	100	100
			2049	1	101	28	16.32	16.32	16.32	100	100
			2049	1	101	49	42.15	42.15	42.15	100	100
			2049	1	101	67	28.50	28.50	28.50	100	100
			2049	1	101	76	34.75	34.75	34.75	100	100
			2049	1	101	77	34.75	34.75	34.75	100	100
			2049	1	101	78	41.51	41.51	41.51	100	100
			2049	1	101	79	34.75	34.75	34.75	100	100
			2049	1	101	80	30.66	30.66	30.66	100	100
			2049	1	101	81	15.90	15.90	15.90	100	100
			2049	1	200	5	15.20	15.20	15.20	100	100
			2049	3	104	1	1,087.33	1,087.33	1,107.96	98.14	98.14
			2049	5	105	2	107.50	107.50	107.50	100	100
			6003	0	108	2	14.67	14.67	14.67	100	100
17	31	जनजातीय विकास	2059	1	796	9	16.95	14.83	19.23	88.13	77.14
			2215	1	796	9	15.40	15.40	15.40	100	100
			3054	4	796	5	18.08	17.93	27.34	66.14	65.57
18	32	अनुसूचित जाति उप योजना	2225	1	789	5	33.05	28.23	43.28	76.35	65.23
			5054	4	789	4	29.21	22.13	40.48	72.18	54.67
			5054	4	789	11	15.00	15.00	15.00	100	100
			5055	1	789	1	11.72	11.72	15.62	75.03	75.03
कुल योग							4,348.47	3,984.08	5,257.22		

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5)

31 मार्च 2021 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

(₹ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	
ग्रामीण विकास						
1	2216-आवास	2017-18	4	3,477,500	-	-
		2018-19	116	630,649,000	40	300,067,264
		2019-20	-	-	33	49,320,000
		योग	120	634,126,500	73	349,387,264
	2505- ग्रामीण रोजगार	2015-16	4	77,367,000	4	77,367,000
		2016-17	6	55,502,000	5	47,810,000
		2018-19	34	1,137,254,000	34	1,137,254,000
		2019-20	-	-	26	2,307,238,750
		योग	44	1,270,123,000	69	3,569,669,750
	2501- विशेष कार्यक्रम	2018-19	30	626,877,400	9	365,914,998
		2019-20	-	-	118	264,815,764
		योग	30	626,877,400	127	630,730,762
	योग		194	2,531,126,900	269	4,549,787,776
	पंचायती राज					
2	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	2,807,900	1	1,307,900
		कुल योग	1	2,807,900	1	1,307,900
	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2011-12	18	45,168,010	-	-
		2012-13	7	8,252,000	-	-
		2013-14	8	151,958,171	-	-
		2014-15	7	563,698,506	-	-
		2015-16	42	854,784,826	19	270,960,912
		2016-17	254	1,874,893,098	74	591,320,394
		2017-18	259	3,758,479,407	170	2,613,740,595
		2018-19	360	4,458,955,305	304	3,325,098,368
		2019-20	-	-	212	5,893,052,626
	कुल	955	11,716,189,323	779	12,694,172,895	
	योग		956	11,718,997,223	780	12,695,480,795
	शिक्षा					
3	2202- सामान्य शिक्षा	2015-16	1	10,000,000	-	-
		2017-18	1	3,121,220	1	3,121,220
		2018-19	44	1,130,375,000	28	1,004,375,000
		2019-20	-	-	70	2,402,393,822
	योग	46	1,143,496,220	99	3,409,890,042	

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6
4	युवा सेवाएं व खेल					
	2204- खेल व युवा सेवाएं	2018-19	12	3,534,912	-	-
		2019-20	-	-	7	2,290,419
	योग		12	3,534,912	7	2,290,419
5	तकनीकी शिक्षा					
	2203- तकनीकी शिक्षा	2018-19	1	498,000	-	-
	योग		1	498,000	-	-
6	भाषा कला व संस्कृति					
	2205- कला व संस्कृति	2018-19	97	781,273,141	-	-
		2019-20	-	-	103	70,278,389
	योग		97	781,273,141	103	70,278,389
	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2018-19	1	30,000,000	1	30,000,000
		2019-20	-	-	1	53,820
		योग		1	30,000,000	2
योग		98	8,11,273,141	105	100,332,209	
7	शहरी विकास					
	2217- शहरी विकास	2015-16	12	17,607,800	-	-
		2016-17	33	701,405,643	27	611,617,821
		2017-18	45	731,169,704	33	658,569,632
		2018-19	73	3,251,028,994	49	1,684,010,015
		2019-20	-	-	74	4,442,004,612
	योग		163	4,701,212,141	183	7,396,202,080
	3054- सड़क व पुल	2016-17	1	9,479,789	1	9,479,789
		2017-18	1	23,819,902	1	23,819,902
		2018-19	1	27,438,070	1	27,438,070
		योग		3	60,737,761	3
योग		166	4,761,949,902	186	7,456,939,841	
8	पशुपालन					
	2403- सड़क व पुल	2015-16	1	100,000,000	-	-
		2017-18	28	82,544,000	15	16,194,000
		2018-19	46	390,128,300	22	91,376,600
		2019-20	-	-	31	236,529,700
		योग		75	572,672,300	68
	2404- सड़क व पुल	2018-19	24	298,338,979	16	213,338,979
		2019-20	-	-	7	9,622,807
		योग		24	298,338,979	23
	कुल योग		99	871,011,279	91	567,062,086
9	सहकारिता					
	2408- खाद्य भंडारण व भांडागार	2017-18	2	275,000	-	-
		2018-19	2	177,000	1	150,000

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6
		2019-20	-	-	6	1,120,000
		योग	4	452,000	7	1,270,000
	2425- सहकारिता	2017-18	6	1,420,000	-	-
		2018-19	10	1,540,000	-	-
		2019-20	-	-	6	440,000
		योग	16	2,960,000	6	440,000
कुल योग		20	3,412,000	13	1,710,000	
10	पर्यटन					
	3452- पर्यटन	2014-15	1	75,000	-	-
		2015-16	1	290,000	1	290,000
		2016-17	1	500,000	1	500,000
		2017-18	3	10,740,000	2	740,000
		2018-19	10	975,300,000	3	300,000
		2019-20	-	-	3	850,000
		कुल योग	16	986,905,000	10	2,680,000
	3053- पर्यटन व नागरिक उड्डयन	2019-20	-	-	2	32,638,000
		योग	-	-	2	32,638,000
योग		16	986,905,000	12	35,318,000	
11	उद्योग					
	2851- ग्रामीण व लघु उद्योग	2012-13	1	721,000	-	-
		2014-15	2	2,409,000	-	-
		2015-16	2	2,076,500	-	-
		2016-17	32	132,555,975	25	103,136,140
		2017-18	62	155,167,634	48	84,643,634
		2018-19	33	513,028,983	13	50,337,421
		2019-20	-	-	23	173,484,668
योग	132	805,959,092	109	411,601,863		
12&13	कृषि व बागवानी					
	2401- फसल पालन	2017-18	5	368,000,000	5	368,000,000
		2018-19	15	1,014,200,000	14	1,004,200,000
		2019-20	-	-	2	23,000,000
		योग	20	1,382,200,000	21	1,395,200,000
	2402- मृदा संरक्षण	2017-18	5	6,050,000	5	6,050,000
		2019-20	-	-	-	-
		योग	5	6,050,000	5	6,050,000
	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2017-18	2	36,106,000	-	-
		2018-19	1	20,000,000	1	20,000,000
2019-20		-	-	3	53,802,500	
योग		3	56,106,000	4	73,802,500	
	2018-19	3	122,800,000	3	122,800,000	

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6
	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	2019-20	-	-	6	89,100,000
	योग		3	122,800,000	9	211,900,000
	योग		31	1,567,156,000	39	1,686,952,500
14	वन					
	2406- वानिकी व वन्य जीवन	2017-18	1	2,920,000	-	-
		2018-19	18	69,947,264	9	20,867,767
		2019-20	-	-	62	200,007,455
योग		19	72,867,264	71	220,875,222	
15	आयुर्वेद (आयुष)					
	2210- चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	2016-17	13	20,184,806	13	20,184,806
		2017-18	20	238,981,300	20	238,981,300
		2018-19	49	967,975,774	15	240,004,000
		2019-20	-	-	64	802,664,500
		योग		82	1,227,141,880	112
	2211- पारिवारिक स्वास्थ्य	2019-20	-	-	62	2,197,317,651
योग		82	1,227,141,880	174	3,499,152,257	
16 व 17	महिला एवं बाल विकास व अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक					
	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2012-13	7	25,426,395	-	-
		2013-14	3	860,000	-	-
		2016-17	2	20,000,000	-	-
		2017-18	3	20,300,000	1	300,000
		2018-19	2	20,000,000	-	-
		2019-20	-	-	2	2,796,895
		योग		17	86,586,395	3
	2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	2015-16	2	25,000	-	-
		2016-17	5	7,719,205	1	3,410,040
		2017-18	100	91,274,196	71	61,788,086
		2018-19	307	172,763,326	302	172,583,326
		2019-20	-	-	331	184,651,922
	योग		414	271,781,727	705	422,433,374
योग		431	358,368,122	708	425,530,269	
18	मत्स्य पालन					
	2405- मत्स्य पालन	2017-18	2	420,000	-	-
		2019-20	-	-	-	-
योग		2	420,000	-	-	
19	नियोजन					
	3451- सचिवालय अर्थशास्त्र सेवाएं	2017-18	8	290,307,972	1	8,424,396
		2018-19	14	191,129,560	-	-
योग		22	481,437,532	1	8,424,396	

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6
सैनिक कल्याण						
20	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2018-19	18	25,974,405	6	2,500,818
		2019-20	-	-	25	39,808,241
	योग		18	25,974,405	31	42,309,059
राजस्व विभाग						
21	2029- भू राजस्व	2016-17	7	3,500,000	1	500,000
		2017-18	23	14,602,000	18	10,031,000
		2018-19	29	25,602,000	22	20,546,000
		2019-20	-	-	-	-
	योग		59	43,704,000	41	31,077,000
यातायात						
22	3055-सड़क परिवहन	2019-20	-	-	1	1,500,000
	5055-परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2017-18	1	3,600,000	-	-
	योग		1	3,600,000	1	1,500,000
श्रम व रोजगार						
23	2230- श्रम व रोजगार	2017-18	1	500,000	-	-
		2018-19	4	703,500,000	-	-
		2019-20	-	-	1	4,800,000
	योग		5	704,000,000	1	4,800,000
जल शक्ति विभाग						
24	2215- जल आपूर्ति व स्वच्छता	2017-18	7	68,308,000	-	-
		2018-19	4	92,687,000	4	92,687,000
		2019-20	-	-	4	70,626,000
	योग		11	160,995,000	8	163,313,000
जनजातीय विकास						
25	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2016-17	4	2,350,000	3	1,550,000
		2017-18	3	2,302,783	1	1,400,000
		2018-19	6	10,830,000	4	10,520,000
		2019-20	-	-	5	9,410,121
	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	2016-17	1	4,900,000	-	-
	योग		14	2,03,82,783	13	22,880,121
ऊर्जा विभाग						
26	2810- ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	2017-18	3	1,600,000	3	1,600,000
		2018-19	4	2,000,000	4	2,000,000
	योग		7	3,600,000	7	3,600,000

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र/अंत शेष राशि	
			मदों की संख्या	राशि	मदों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	
आबकारी एवं कराधान विभाग						
27	2040- अन्य कर व शुल्क	2019-20	-	-	1	79,530,599
	योग		-	-	1	79,530,599
	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व कार्यभार	2017-18	7	6,457,275	-	-
		2018-19	11	11,469,153	-	-
	योग		18	17,926,428	1	79,530,599
पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी						
28	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2019-20	-	-	1	1,000,000
			-	-	1	1,000,000
	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2017-18	2	7,323,400	2	7,323,400
		2018-19	2	6,954,000	2	6,954,000
		2019-20	-	-	8	12,700,000
कुल योग		4	14,277,400	13	2,79,77,400	
हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान						
29	2070- अन्य प्रशासनिक सेवा	2018-19	17	120,900,000	6	70,400,000
		2019-20	-	-	12	48,788,770
	योग		17	120,900,000	18	119,188,770
पुलिस						
30	2055-पुलिस	2018-19	1	18,505,000	1	10,737,891
	योग		1	18,505,000	1	10,737,891
सकल योग			2,482	28,479,419,483	2,799	35,578,261,515

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8)

31 मार्च 2021 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	8443	106	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), बिलासपुर	51,827.17
2	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ न्यायालय संख्या 1), घुमारवीं	257,017.45
3	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ न्यायालय संख्या 2), घुमारवीं	223,880.00
4	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ न्यायालय संख्या 3), घुमारवीं	108,680.00
5	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), बिलासपुर	155,355.00
6	8443	106	ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	313,061.00
7	8443	106	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चंबा	499,356.62
8	8443	106	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डलहौजी	79,915.00
9	8443	106	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला (शिमला राजधानी)	2,374,709.00
10	8443	106	इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला (शिमला राजधानी)	1,539,049.00
11	8443	106	इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर, शिमला (शिमला राजधानी)	4,394,854.00
12	8443	106	उप न्यायाधीश, हमीरपुर	653,065.00
13	8443	106	उप न्यायाधीश, बड़सर	179,070.00
14	8443	106	उप न्यायाधीश, नादौन	99,520.00
15	8443	106	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कुल्हू	537,588.00
16	8443	106	उप न्यायाधीश बंजार	36,260.00
17	8443	106	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जज आनी	70,064.00
18	8443	106	उप न्यायाधीश, मनाली	165,323.00
19	8443	106	उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कांगड़ा	116,029.00
20	8443	106	उप न्यायाधीश, नूरपुर	226,128.00
21	8443	106	उप न्यायाधीश, पालमपुर	237,605.00
22	8443	106	उप न्यायाधीश, देहरा	224,327.60
23	8443	106	ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला	81,265.00
24	8443	106	उप न्यायाधीश, जवाली	89,850.00
25	8443	106	उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा	106,731.00
26	8443	106	उप न्यायाधीश, देहरा-II	86,186.00
27	8443	106	उप न्यायाधीश, बैजनाथ	117,150.00
28	8443	106	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), धर्मशाला	504,670.00
29	8443	106	उप न्यायाधीश, इंदौरा	68,625.00
30	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, कल्पा	179,884.00
31	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सुंदरनगर	252,593.00
32	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, मंडी	923,235.00
33	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सरकाघाट	267,016.00
34	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, जोगिन्द्रनगर	144,605.20
35	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, करसोग	99,234.00

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
36	8443	106	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर	5,000.00
37	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, गोहर	126,710.00
38	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला	524,603.00
39	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर, रामपुर	67,031.00
40	8443	106	उप न्यायाधीश, रामपुर	200,765.00
41	8443	106	उप न्यायाधीश, ठियोग	156,785.00
42	8443	106	अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), डोडरा क्वार	0.10
43	8443	106	उप न्यायाधीश, रोहडू	365,959.00
44	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, शिमला	733,966.00
45	8443	106	उप न्यायाधीश, चौपाल	35,571.00
46	8443	106	उप न्यायाधीश जुब्बल, शिमला	76,245.00
47	8443	106	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किन्नौर, रामपुर	54,050.86
48	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नाहन	85,887.00
49	8443	106	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाहन	165,374.00
50	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), नाहन	319,845.00
51	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), पौंटा साहिब	199,159.00
52	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), राजगढ़	53,962.00
53	8443	106	सिविल न्यायाधीश, शिलाई	8,840.00
54	8443	106	सिविल न्यायाधीश, कंडाघाट	58,101.00
55	8443	106	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	156,860.00
56	8443	106	सिविल न्यायाधीश, नालागढ़	380,885.00
57	8443	106	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) सोलन	197,225.00
58	8443	106	सिविल न्यायाधीश, अर्की	116,824.00
59	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), सोलन	284,998.00
60	8443	106	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन	99,528.00
61	8443	106	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), कसौली	102,340.00
62	8443	106	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), कसौली	127,332.00
63	8443	106	वरिष्ठ उप न्यायाधीश, ऊना	828,728.00
64	8443	106	कनिष्ठ उप न्यायाधीश, अंब	498,377.00
65	8448	109	पंचायत समिति, कल्पा	0.33
66	8448	109	पंचायत समिति, रोहडू	16,514.00
67	8448	109	पंचायत समिति, डोडरा क्वार	9,500.10
68	8448	109	पंचायत समिति, सोलन	0.14
69	8448	109	पंचायत समिति, कंडाघाट	231,578.00
70	8448	109	पंचायत समिति, गगरेट	0.96
71	8448	109	पंचायत समिति, कुनिहार	0.30
72	8448	109	नगर पंचायत, मेहतपुर	481.00
73	8448	109	नगर पंचायत, संतोषगढ़	5,506.17
74	8448	109	पंचायत समिति समिति, नादौन	41,264.00
75	8443	106	एसी से डीसी धर्मशाला	
76	8448	106	आईसीएआर की निधि	

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष	
77	8448	109	पंचायत समिति, सदर, बिलासपुर	शून्य	
78	8448	109	पंचायत समिति घूमरवीं		
79	8448	109	पंचायत समिति चंबा		
80	8448	109	पंचायत समिति भरमौर		
81	8448	109	पंचायत समिति तिरसा		
82	8448	109	पंचायत समिति सलूनी		
83	8448	109	पंचायत समिति भट्टियात		
84	8448	109	पंचायत समिति कांगड़ा		
85	8448	109	पंचायत समिति नगरोटा बागवान		
86	8448	109	पी.एस. नूरपुर		
87	8448	109	पंचायत समिति रैत		
88	8448	109	पंचायत समिति इंदौरा		
89	8448	109	पंचायत समिति देहरा		
90	8448	109	पंचायत समिति प्रागपुर		
91	8448	109	पंचायत समिति भवरना		
92	8448	109	पंचायत समिति लम्बागांव		
93	8448	109	पंचायत समिति पंचरुखी		
94	8448	109	पंचायत समिति बैजनाथ		
95	8448	109	पंचायत समिति नगरोटा सुरियान		
96	8448	109	पंचायत समिति मंडी		
97	8448	109	पंचायत समिति सुंदरनगर		
98	8448	109	पंचायत समिति जंजैहली		
99	8448	109	पंचायत समिति करसोग		
100	8448	109	पंचायत समिति गोपालपुर		
101	8448	109	पंचायत समिति गौहर		
102	8448	109	पंचायत समिति बल्ह		
103	8448	109	पंचायत समिति चौपाल		
104	8448	109	पंचायत समिति जुब्बल		
105	8448	109	पंचायत समिति चिडगांव		
106	8448	109	पंचायत समिति मशोबरा		
107	8448	109	पंचायत समिति कुल्हू		
108	8448	109	पंचायत समिति नगर		
109	8448	109	पंचायत समिति बंजार		
110	8448	109	पंचायत समिति झंडुता:		
111	8448	109	पंचायत समिति चौतरा		
112	8448	109	पंचायत समिति द्रंग		
योग					2,17,99,524.00

परिशिष्ट-4.3

स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण/संस्थाओं की सूची

(संदर्भ: परिच्छेद 4.15)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम		अनुभाग जिसमें लेखापरीक्षा की गई है
1	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	--	धारा 19(3) के तहत लेखापरीक्षा की गई व पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया।
2	हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड	--	
3	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण	--	
4	हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट एंड बस स्टैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी	--	
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग	हां	
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	हां	
7	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	हां	
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	हां	
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	हां	
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन	हां	
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	हां	
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	हां	
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर, रामपुर	हां	
14	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डी	हां	
15	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	हां	
16	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा	हां	
17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन	हां	
18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा	हां	
19	नियंत्रक, सीएसके, हिमाचल प्रदेश केवीवी, पालमपुर	--	
20	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलान	हां	
21	बीज व जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, बालूगंज, शिमला	हां	
22	पशुधन विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला	हां	
23	हिमाचल प्रदेश स्टेट मिल्कफेड को-ऑपरेटिव, टोटू, शिमला	--	
24	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ लिमिटेड (हिमफेड)	--	
25	हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद, कुसुम्पटी, शिमला	हां	
26	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	--	
27	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर	--	
28	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन	--	
29	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना	--	
30	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला	--	
31	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर	--	

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम		अनुभाग जिसमें लेखापरीक्षा की गई है
32	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मण्डी	--	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई व निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार व जारी किए गए।
33	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्दू	--	
34	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, धर्मशाला, कांगड़ा	--	
35	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन	--	
36	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चंबा	--	
37	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग	--	
38	एड्स नियंत्रण सोसायटी	--	
39	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग क्षेत्रीय परिषद	--	
40	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शिमला	--	
41	भाषा, कला व संस्कृति अकादमी	--	
42	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, सोलन	--	
43	समाज कल्याण बोर्ड, शिमला	--	
44	बाल कल्याण परिषद, शिमला	--	
45	सर्व शिक्षा अभियान, शिमला	--	
46	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	--	
47	रिन चैन जेन पो सोसायटी, कांगड़ा	--	
48	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (हिमाचल प्रदेश)	--	
49	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	--	
50	कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी, शिमला	--	
51	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	--	
52	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	--	
53	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सक बोर्ड	--	

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ परिच्छेद 5.3)

31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के नाम, निगमन का माह व वर्ष (उनके संक्षिप्त विवरण सहित) दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व क्षेत्र का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)				
कृषि व संबद्ध				
1	हिमाचल प्रदेश एगो कारपोरेशन लिमिटेड	बागवानी	सितंबर 1970	कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों को आपूर्ति के लिए कृषि वस्तुओं व अन्य आदानों के निर्माण / व्यापार, सीमेंट, लोहा व इस्पात, बिटुमेन, टायर व ट्यूब आदि के व्यापार में लगी हुई है।
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण सीमित	बागवानी	जून 1974	राज्य के फल उत्पादकों को कटाई उपरांत सुविधाएं प्रदान करना व उन्हें बाजार से अपनी उपज का सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त करने में सहायता करना। यह उत्पादकों को सेब की श्रेणीकरण/पुलिन्दकर्ण व भंडारण सुविधाओं के अतिरिक्त बागवानी आदानों, उपकरणों व उपकरणों की आपूर्ति प्रदान करता है। कंपनी खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण में लगी हुई है; व सभी प्रकार के अधिशेष फलों का विपणन।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	वन	मार्च 1974	कंपनी राज्य के भीतर लकड़ी के दोहन व विपणन में लगी हुई है; राल में राल का शोषण व प्रसंस्करण; तारपीन का तेल व सहायक उत्पाद; व उसके विपणन आदि।
वित्त				
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	जनवरी 1994	कंपनी राज्य में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है।
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	अप्रैल 1989	कंपनी राज्य में महिला उद्यमियों व महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है।
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	सितंबर 1996	राज्य में अल्पसंख्यकों में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों व अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक उत्थान का कार्य करना; पूर्वोक्त वर्गों व वर्गों की साक्षरता, शिक्षा व व्यावसायिक कौशल के संवर्धन व सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ताकि उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके; उपरोक्त वर्गों व अनुभागों के लिए संबंधित डेटा एकत्र, संकलित व प्रकाशित करना; व उपरोक्त वर्गों व वर्गों को वित्तीय सहायता व पेशेवर जानकारी प्रदान करना व व्यवस्थित करना।
अव संरचना				
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम सीमित	लोक निर्माण	जून 1999	कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 10.06.1999 को हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़कों, पुलों व अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ शामिल किया गया था व राज्य सरकार की ओर से सभी बनियाती ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जटाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में कार्य करना व राज्य सरकार की ओर से दम तराह की परियोजनाओं से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली अन्य

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व क्षेत्र का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
				पाप्तियों से राज्य सरकार की ओर से दायित्वों का निर्वहन करना।
8	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जुलाई 2016	धर्मशाला में उन्नत नगर (स्मार्ट सिटी) परियोजनाओं को लागू करना।
1	2	3	4	5
9	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	जनवरी 2018	शिमला में उन्नत नगर (स्मार्ट सिटी) परियोजनाओं को लागू करने के लिए.
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	उद्योग	नवंबर, 1966	कंपनी संयंत्र व मशीनरी, उपकरण, उपकरण, रसायन व पदार्थों के निर्माण व उत्पादन के लिए औद्योगिक परियोजनाओं या उद्यमों को बढ़ावा देने, स्थापित करने व प्रशासित करने में लगी हुई है, जो हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने या आगे बढ़ाने की संभावना है। यह किसी भी औद्योगिक उद्यम, परियोजना या उद्यमों की सहायता, सहायता व वित्त पोषण करता है, लीज होल्ड आधार पर औद्योगिक विकास के लिए भूखंड प्रदान करता है। साथ ही, कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों व निगम आदि की ओर से जमा कार्यों के आधार पर सिविल कार्य करती है।
विनिर्माण				
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवंबर 1972	कंपनी देशी शराब, फर्नीचर व फिक्सचर व रेशम उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी के कारोबार का अधिकतम हिस्सा देशी शराब की बिक्री से है।
सेवाएं				
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	खाद्य व नागरिक आपूर्ति	सितंबर 1980	कंपनी अपने थोक गोदामों के माध्यम से नियंत्रित वस्तुओं (गेहूं, चावल, चीनी, दालें, खाद्य तेल, नमक व मिट्टी के तेल) की आपूर्ति के लिए उचित मूल्य की दुकानों/खुदरा दुकानों (स्वयं/अन्य) को राशन के वितरण के लिए मुख्य अभिकरण (नोडल एजेंसी) है। केंद्र/राज्य सब्सिडी वाली योजनाओं के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कार्ड धारक (बीपीएल, एपीएल व अंत्योदय)। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) व अटल वर्दी योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय व राज्य योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी भी है।
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	सूचना प्रौद्योगिकी	अक्टूबर 1984	कंपनी के मुख्य कार्य में राज्य में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देना शामिल है (विशेषकर राज्य सरकार के विभागों व इसके उद्यमों में); सॉफ्टवेयर का विकास व कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद व आपूर्ति; व कार्यालय स्वचालन।
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	उद्योग	मार्च 1974	राज्य के गरीब बुनकरों व दस्तकारों के हितों की सहायता करना व उन्हें बढ़ावा देना। निगम राज्य के भीतर व बाहर स्थित एम्पोरिया की अपनी श्रृंखला के माध्यम से प्रशिक्षण, डिजाइन इनपुट, कच्चा माल, सुस्त शिल्प को पुनर्जीवित करके व उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान करके कारीगरों व बुनकरों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है।

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व क्षेत्र का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	सितंबर 1972	पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य व राज्य के बाहर गुणवत्तापूर्ण पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के अपने मिशन के साथ आवास, खानपान, परिवहन सुविधाओं व खेल गतिविधियों सहित पर्यटन सेवाएं प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, कंपनी का इंजीनियरिंग विंग सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों व निगमों आदि के लिए जमा कार्य भी करता है।
16	हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड		फरवरी 1977	हिम्कोन एक तकनीकी परामर्श संगठन है व कंपनी अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी है व नियंत्रक महालेखाकार द्वारा इसका लेखा परीक्षा की जाती है। हिम्कोन को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ प्रशिक्षण भागीदार स्वीकृत किया गया है। हिम्कोन को अखिल भारतीय आधार पर इसके प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
17	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	तकनीकी शिक्षा	सितंबर 2015	कंपनी का मुख्य कार्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण व पेशेवर ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रणाली की क्षमता व क्षमता में वृद्धि करना है ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके व कुशल जनशक्ति की बाजार में चल रही मांग को पूरा करने की दृष्टि से कौशल की कमी को पूरा किया जा सके। कंपनी की आय के मुख्य स्रोत केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्चों का हिस्सा व सावधि जमा रसीदों/बचत खाते पर अर्जित ब्याज थे।
18	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	शहरी विकास	जून 2018	शिमला योजना क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं की योजना एवं क्रियान्वयन करना। इसका उद्देश्य हर घर में पानी व सीवरेज का सार्वभौमिक कवरेज, 24 x 7 निरंतर दबाव वाली पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य व पर्यावरण को बढ़ावा देना, नागरिकों के प्रति जवाबदेही व जवाबदेही व स्वायत्त व पेशेवर संस्थानों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत सेवा वितरण है।
19	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे लिमिटेड	पर्यटन व नागरिक उड्डयन	अप्रैल 2019	डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन व हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से "श्री आनंदपुर साहिब जी से श्री नैना देवी जी के बीच रज्जुमार्ग सेवा का विकास" के विकास व संचालन / रखरखाव का कार्य करना।
20	रोप वे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	यातायात	जुलाई 2019	राज्य के दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों को रोपवे के माध्यम से संयोजकता प्रदान करना; नवीन परिवहन समाधानों के माध्यम से राज्य के विभिन्न गंतव्यों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करना; वैकल्पिक परिवहन समाधानों के माध्यम से राज्य में भीड़भाड़ कम करना; व राज्य की विकास गाथा में योगदान देने वाली गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास करना।

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व क्षेत्र का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
सांविधिक निगम				
21	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	अप्रैल 1967	लघु एवं मध्यम उद्योगों को सावधि ऋण उपलब्ध कराकर राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। 18 अगस्त 2008 को लिए गए राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आगे निगम ने वर्ष 2010 से अपनी उधार गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया है।
22	हिमाचल पथ परिवहन निगम	यातायात	सितंबर, 1974	निगम की प्रमुख गतिविधियों में हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों में बसों का संचालन शामिल है। निगम की अन्य गतिविधियों में बसों, स्पेयर पार्ट्स आदि की खरीद, यात्री करों का संग्रह व हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड व हरियाणा राज्य के विशेष सड़क कर/यात्री कर जमा करना शामिल है।
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के निष्क्रिय उद्यम				
23	एगो इंडस्ट्रियल पैकिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी 1987	यह कागज व कागज उत्पादों के निर्माण में शामिल था।
24	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	अक्टूबर 1974	यह वस्त्रों की कटाई, बुनाई व परिष्करण में शामिल था व 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में है।
25	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	उत्पाद शुल्क व कराधान	अप्रैल 2016	राज्य में शराब की बिक्री को चैनलाइजेशन करने के उद्देश्य से आबकारी घोषणा के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सीमित कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार (17 जनवरी 2018) के निर्णय के परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2018 से अपना परिचालन बंद कर दिया।
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)				
26	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	एमपीपी व विद्युत	दिसंबर 2009	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के रूप में पुनर्गठित किया गया है जो 14.06.2010 से प्रभावी है। हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश एसईबीएल जिम्मेदार है। राज्य में बिछाई गई संचरण, उप-संचरण व वितरण मार्ग के संजाल के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
27	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमपीपी व पावर	दिसंबर 2006	कंपनी का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विद्युत उत्पादन के विकास की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना व संगठित करना है।
28	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमपीपी व पावर	मार्च 2003	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सभी तकनीकी व संगठनात्मक क्षमताओं के साथ एक विद्युत पैदा करने वाली उपयोगिता है व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूएचएल स्टेज-III हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (100 मेगावाट) को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी का योगदान HPSEBL द्वारा किया गया है।

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व क्षेत्र का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का माह व वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का संक्षिप्त विवरण
29	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	एमपीपी व पावर	अगस्त 2008	कंपनी 27 अगस्त 2008 को तत्कालीन हिमाचल प्रदेश एसईबी को अलग करने के एक हिस्से के रूप में अस्तित्व में आई थी व इसे वर्ष 2010 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी का दर्जा दिया गया था। इसे राज्य के ट्रांसमिशन मास्टर प्लान के निर्माण/अद्यतन व निष्पादन का काम सौंपा गया है। आगामी जल विद्युत परियोजनाओं से पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने व विद्युत की निकासी के लिए।

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ परिच्छेद 5.4.1)

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार/अन्य द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में किए गए इक्विटी व दीर्घावधि ऋण के निवेश को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	कुल (इक्विटी + ऋण)	कुल इक्विटी	कुल ऋण
		इक्विटी					दीर्घावधि ऋण									
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल	हिमाचल प्रदेश सरकार	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अन्य	कुल					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)																
कृषि व संबद्ध																
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	16.89	1.96	0.00	0.00	18.85	11.56	0.40	0.00	0.00	11.96	28.45	2.36	30.81	18.85	11.96
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	31.20	1.50	6.07	0.00	38.77	60.09	0.00	0.00	0.00	60.09	91.29	7.57	98.86	38.77	60.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	11.71	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	11.71	11.71	0.00
4	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	0.00	0.00	0.97	17.72	60.15	0.00	0.00	0.00	60.15	76.90	0.97	77.87	17.72	60.15
	कुल	76.55	3.46	6.07	0.97	87.05	131.80	0.40	0.00	0.00	132.20	208.35	10.90	219.25	87.05	132.20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
वित्त पोषण																
1	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	15.97	0.00	0.00	0.00	15.97	0.07	0.00	20.98	0.00	21.05	16.04	20.98	37.02	15.97	21.05
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	14.51	0.10	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.10	13.86	14.61	0.00
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84	0.00	0.00	37.37	0.00	37.37	14.84	37.37	52.21	14.84	37.37
4	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	92.98	0.00	0.00	6.59	99.57	84.61	0.00	28.27	0.00	112.88	177.59	34.86	212.45	99.57	112.88
कुल		138.30	0.10	0.00	6.59	144.99	84.68	0.00	86.62	0.00	171.30	222.98	93.31	316.29	144.99	171.30
अव संरचना																
1	हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास सहकारिता सीमित	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	30.82	30.82	0.00
3	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00001	0.00	0.00033	0.00	0.00034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00001	0.00	0.00034	0.00034	0.00
4	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.0035	0.00	0.00	0.0035	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0035	0.00	0.007	0.007	0.00
कुल		55.82351	0.00	0.00033	0.0035	55.82734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.82351	0.00	55.82734	55.82734	0.00
विनिर्माण																
1	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.04	0.00	0.08	0.04	7.16	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	0.12	10.13	7.16	2.97
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.00
कुल		7.04	0.00	0.08	0.96	8.08	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	1.04	11.05	8.08	2.97
सेवाएं																
1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00
2	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड	9.22	0.03	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.03	9.25	9.25	0.00
3	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	12.30	12.30	0.00
4	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.007	0.007	0.00
5	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	0.05	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.00

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
6	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.03	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	
7	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहब जी रोपवे लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00	
8	रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.005	0.005	0.00	
9	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72	0.05	0.00	0.00	0.05	3.77	0.00	3.77	3.72	0.05	
10	हिमाचल पथ परिवहन निगम	904.12	15.44	0.00	0.00	919.56	0.00	0.00	0.00	42.56	42.56	904.12	58.00	962.12	919.56	42.56
11	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
कुल क्षेत्र		934.442	15.47	0.03	0.07	950.642	0.05	0.00	0.00	42.56	42.61	934.492	58.76	993.252	950.642	42.61
कुल (सरकारी कंपनियां - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)		1,212.16	19.03	6.18	9.22	1,246.59	219.50	0.40	86.62	42.56	349.08	1,431.66	164.01	1,595.67	1,246.59	349.08
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)																
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	807.23	0.00	0.00	0.00	807.23	2,971.67	0.00	0.00	2,574.85	5,546.52	3,778.90	2,574.85	6,353.75	807.23	5,546.52
2	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,589.17	0.00	1,589.17	0.00	1,889.17	1,889.17	300.00	1,589.17
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	924.84	0.00	130.78	1,187.14	2,242.76	2,534.91	0.00	0.00	158.91	2,693.82	3,459.75	1,476.83	4,936.58	2,242.76	2,693.82
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	355.50	0.00	0.00	108.70	464.20	1,716.48	0.00	0.00	90.21	1,806.69	2,071.98	198.91	2,270.89	464.20	1,806.69
कुल क्षेत्र		2,087.58	0.00	430.78	1,295.84	3,814.19	7,223.06	0.00	1,589.17	2,823.97	11,636.20	9,310.63	6,139.76	15,450.39	3,814.19	11,636.20
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग		3,299.73	19.03	436.96	1,305.06	5,060.78	7,442.56	0.40	1,675.79	2,866.53	11,985.28	10,742.29	6,303.770	17,046.06	5,060.78	11,985.28

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ परिच्छेद 5.5.1)

30 नवंबर 2021 तक अंतिम रूप दिए लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्तमान वर्ष हेतु संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	अंतिम रूप दिया गया वर्ष	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	कुल परिसंपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	नेट वर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
क कार्यशील सरकारी कंपनियां															
कृषि व संबद्ध															
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	18.85	11.56	38.80	69.09	(-) 14.03	(-)2.74	0.07	0.00	(-)2.67	4.82	16.38	26
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित	2019-20	2021-22	38.77	60.09	152.60	88.50	(-) 85.10	2.67	1.71	0.00	4.38	(-)46.33	13.76	200
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2017-18	2021-22	11.71	13.13	179.75	181.13	(-)114.02	(-)16.58	2.51	0.00	(-)14.07	(-)102.31	(-)89.18	1,321
कुल				69.33	84.78	371.15	338.72	(-) 213.15	(-) 16.65	4.29	0.00	(-)12.36	(-)143.82	(-)59.04	1,547
वित्त व्यवस्था															
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2017-18	11.00	15.00	34.58	2.73	7.36	1.07	0.35	0.00	1.42	18.36	33.36	16
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2015-16	2020-21	9.19	0	11.83	0.74	2.00	0.50	0	0.00	0.50	11.19	11.19	7
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2014-15	2021-22	9.92	17.74	31.21	0.88	(-)4.75	0.03	0.52	0.00	0.55	5.17	22.91	17
		2015-16		10.59	20.40	32.77	1.11	(-)5.44	(-)0.69	0.67	0.00	(-)0.02	5.15	25.55	
कुल				30.78	35.40	79.18	4.58	3.92	0.88	1.02	0.00	1.90	34.70	70.10	40
अव संरचना															
7	हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास कारपोरेशन सीमित	2019-20	2021-22	25.00	0.00	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	30
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2018-19	2021-22	30.82	0.00	397.55	88.34	58.52	9.69	0.00	4.39	14.08	89.34	89.34	131
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2021-22	0.00034	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	39
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ		0.007	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	19
कुल				55.83	0.00	984.41	88.34	58.52	9.69	0.00	4.39	14.08	114.35	114.35	219

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विनिर्माण															
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2019-20	2021-22	7.16	2.97	62.04	61.32	37.45	5.06	0.21	2.07	7.34	44.61	47.58	102
कुल				7.16	2.97	62.04	61.32	37.45	5.06	0.21	2.07	7.34	44.61	47.58	102
सेवाएं															
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2018-19	2020-21	3.51	0.00	521.94	1,359.11	35.13	1.18	0.83	0.65	2.66	38.64	38.64	779
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	2019-20	2020-21	3.72	0.05	74.29	73.62	9.87	1.93	0.00	0.73	2.66	13.59	13.64	38
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	2018-19	2020-21	9.25	0.00	22.95	27.27	(-)13.97	1.28	0.06	0.20	1.54	(-)4.72	(-)4.72	28
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	13	14	15	16
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2015-16	2016-17	12.30	0.00	73.99	90.89	(-)22.08	1.40	0.31	0.34	2.05	(-)9.78	(-)9.78	1,703
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2018-19	2020-21	0.007	0.00	93.92	0.00	4.19	2.70	0.00	0.00	2.70	4.197	4.197	33
17	हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.18	0.00	3.79	5.95	1.64	0.70	0.00	0.00	0.70	1.82	1.82	32
18	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित	2019-20	2021-22	0.10	0.00	374.08	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	330
		2020-21	2021-22	0.10	0.00	357.00	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	
19	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.01	0.20	9.23	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	31
20	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ		1.00							0.00		1.00	1.00	5
क्षेत्र योग				30.077	0.24	1,157.11	1,677.66	14.78	9.19	1.20	1.92	12.31	44.85	45.09	2,979
कुल योग अ				193.17434	123.39	2,653.89	2,170.62	(-) 98.48	8.17	6.72	8.38	23.27	94.68934	218.0793	4,887
ख	सांविधिक निगम														
वित्त पोषण															
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	2018-19	99.57	102.16	319.94	2.55	(-)166.56	(-)5.50	7.62	0.00	2.12	(-)66.99	35.17	14
क्षेत्र योग				99.57	102.16	319.94	2.55	(-)166.56	(-)5.50	7.62	0.00	2.12	(-)66.99	35.17	14
सेवाएं															
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2019-20	2021-22	858.87	75.47	873.29	1,127.79	(-)1,533.70	(-)146.43	15.24	0.00	(-)131.19	(-)674.83	(-)599.36	9,890
क्षेत्र योग				858.87	75.47	873.29	1,127.79	(-)1,533.70	(-)146.43	15.24	0.00	(-)131.19	(-)674.83	(-)599.36	9,890
कुल ख				958.44	177.63	1,193.23	1,130.34	(-)1,700.26	(-)151.93	22.86	0.00	(-)129.07	(-)741.82	(-)564.19	9,904
कुल योग क + ख				1,151.6143	301.02	3,847.12	3,300.96	(-)1,798.74	(-)143.76	29.58	8.38	(-)105.80	(-)647.13	(-)346.11	14,791

ग	निष्क्रिय सरकारी कंपनियां														
कृषि व संबद्ध															
1	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
	कुल			17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
उत्पादन															
2	हिमाचल वस्टरंड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-
	कुल			0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-
सेवारं															
3	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड	2016-17	2018-19	1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	0.00	4.78	14.27	10.49	10.49	10
	क्षेत्र योग			1.00	0	124.35	543.97	9.49	9.49	0.00	4.78	14.27	10.49	10.49	10
	कुल ग			19.64	60.15	125.68	543.97	(-)74.18	9.44	0.00	0.00	14.22	(-)54.54	5.61	11
	कुल योग क +ख +ग			1,171.2543	361.17	3,972.80	3,844.93	(-)1,872.92	(-)134.32	29.58	13.16	(-)91.58	(-)701.67	(-)340.50	14,802
घ	विद्युत् क्षेत्र														
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड सीमित	2018-19	2021-22	720.55	4,807.41	9,416.24	7,040.35	(-)1,531.50	3.56	408.63	0.00	412.19	(-)810.95	3,996.46	18,491
		2019-20		756.46	5,303.28	10,182.00	6,875.16	(-)1,520.59	10.91	450.11	0.00	461.02	(-)764.13	4,539.15	
		2020-21		807.23	5,546.52	10,561.86	6,548.60	(-)1,705.92	(-)185.32	476.22	0.00	290.90	(-)898.69	4,647.83	
2	हिमाचल प्रदेश राज्य पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	380.20	1,590.65	2,560.79	21.28	(-)108.37	(-)55.31	11.04	0.00	(-)44.27	271.83	1,862.48	331
3	हिमाचल प्रदेश पाँवर कारपोरेशन सीमित	2018-19	2021-22	2,015.56	1,597.95	6,786.49	188.55	(-)221.99	(-)105.98	129.80	0.00	23.82	1,793.57	3,391.52	533
4	ब्यास वैली पाँवर कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	300.00	1,517.54	1,927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,817.54	111
		2020-21		300.00	1,589.17	2,095.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,889.17	
	क्षेत्र योग			3,502.99	10,324.29	22,004.35	6,758.43	(-)2,036.28	(-)346.61	617.06	0.00	270.45	1,466.71	11,791.00	19,466
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का कुल योग			4,674.24	10,685.46	25,977.15	10,603.36	(-)3,909.20	(-)480.93	646.64	13.16	178.87	765.04	11,450.50	34,268

टिप्पणी: हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड व ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चिह्नित आंकड़े क्षेत्रीय योग व सकल योग में शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ परिच्छेद 5.7.3)

01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2020-21 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

	Upto 1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)																								
कृषि व संबद्ध																								
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड																							
इक्विटी	9.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.05	-	-	-	-	-	-	-	-	16.89
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	2.54	-	-	6.52	-	-	-	-	-	11.56
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड																							
इक्विटी	10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.20
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	7.00	5.00	-	14.54	3.55	-	8.00	10.00	-	-	-	48.09
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड																							
इक्विटी	11.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.71
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																						सकल योग कृषि एवं संबद्ध		59.80
																								59.65
वित्त पोषण																								
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम																							
इक्विटी	1.57	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	-	-	0.28	0.00	0.80	0.67	0.54	0.75	1.00	-	1.75	15.97	
आई एफ एल	0.01	0.01	-	-	-	-	0.15	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम																							
इक्विटी	1.25	-	0.10	0.2214	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	-	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.77	1.35	0.75	14.51	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम																							
इक्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.53	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	-	1.68	-	1.75	14.84	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																						सकल योग वित्तपोषण		45.32

	Upto 1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																							0.07
अव संरचना																							
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास सहकारिता सीमित																						
इन्विटी	5.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित																						
इन्विटी	29.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.82
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																						
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																						
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0035	-	-	-	-	0.0035
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग अव संरचना																							55.83
विनिर्माण																							
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित																						
इन्विटी	4.98	-	-	-	-	2.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.04
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग विनिर्माण																							7.04
सेवाएं																							
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित																						
इन्विटी	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.52
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित																						
इन्विटी	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72
आई एफ एल	0.48	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.93	0.05
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित																						
इन्विटी	4.09	0.01	0.01	-	-	-	-	-	4.61	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम																						
इन्विटी	12.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.30

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	Upto 1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.21	38.21	
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.05
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	180.13	-	295.02	
18	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	0.005
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50	7.50	
19	श्री नैना देवी जी व श्री आनंदपुर साहिब जी रोप वे लिमिटेड																								
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																						सकल योग सेवाएं	29.322		
																							0.055		
																							340.73		
सांविधिक निगम (वित्तपोषण)																									
20	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम																								
इन्विटी	21.58	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	92.98
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	-	2.83
																						सकल योग वित्तपोषण	92.98		
																							2.83		
सांविधिक निगम (सेवा)																									
21	हिमाचल पथ परिवहन निगम																								
इन्विटी	163.16	11.90	12.00	11.01	26.70	12.30	12.30	12.30	31.49	31.00	42.18	31.92	25.30	43.00	58.00	42.95	41.20	45.00	50.00	59.00	79.39	62.02	-	-	904.12
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																						सकल योग सेवा	904.12		
निष्क्रिय कृषि व संबद्ध एवं सेवा																									
22	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड																								
इन्विटी	16.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.75
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Upto 1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23	हिमाचल प्रदेश बेवेरेज लिमिटेड																						
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सकल योग कृषि व संबद्ध																					17.75	
कुल हिस्सेदारी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	38.38	53.97	117.17	34.61	26.94	44.42	66.95	44.94	43.26	48.04	51.56	63.90	81.25	66.27	1,212.16
कुल आई एफ एल	0.49	1.51	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	- 0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	-	0.90	62.60
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	225.84	340.73
कुल योग	300.53	33.99	13.01	12.431	28.60	16.06	13.74	14.30	38.38	53.87	117.17	34.61	36.44	49.42	69.49	59.4	46.81	54.56	59.5	73.90	196.14	69.10	1,615.49
			1	4	0	6			8			1				8			6				
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत क्षेत्र)																						
1	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन सीमित																						
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	80.11	241.32	242.41	75.76	48.05	202.18	180	193.31	91.25	133.28	137.12	160.00	165.00	62.21	2,011.99
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-537.15	-	-	-	-550.00	-	-	-	-	-	-	-1087.15
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड																						
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	45.70	60.00	50.00	5.78	8.00	25.96	32.79	19.51	27.71	40.00	53.75	84.00	464.20
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-108.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.70-
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड																						
इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.52	0	50.00	31.75	75.00	50.00	50.00	17.28	50.00	35.91	50.77	807.23
आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	11.00
विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल I इन्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	80.11	252.32	288.11	532.28	98.05	257.96	219.75	294.27	174.04	202.79	182.11	250.00	254.66	196.98	3,283.42
कुल आई एफ एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	340.73
कुल विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-645.85	-	-	-550.00	-	-	-	-	-	-	-1,195.85
कुल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	80.11	252.32	288.11	532.28	-547.96	257.96	219.75	-255.73	174.04	202.78	182.11	2560.00	254.66	207.98	2,098.57

31 मार्च 2021 वर्ष समाप्ति के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	Upto 1999-2000	2000-2001	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
कुल इन्वेंट्री	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	118.49	306.29	405.28	566.89	124.99	302.38	286.70	339.21	217.30	250.83	233.67	313.90	335.91	263.25	4,495.58
कुल आई एफ एल	0.49	1.51	-	-	-	-	0.15	-	-	-0.10	-	-	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	-	0.90	62.60
कुल ओ एंड ए ई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.89	236.84	351.73
कुल विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-645.85	-	-	-550.00	-	-	-	-	-	-	-1,195.85
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.43	28.60	16.06	13.74	14.30	118.49	306.19	405.28	566.89	-511.36	307.38	289.24	-196.25	220.85	257.35	241.67	323.90	450.80	500.99	3,714.06

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ परिच्छेद 5.12.2)

**30 नवंबर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या सहित बकाया लेखाओं वाले राज्य
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सूची**

क्र.सं.	30 नवंबर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सूची एवं लेखाओं को अंतिम रूप देने की अवधि	बकाया लेखाओं की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश एग्री-इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	1
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित (2019-20)	1
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2017-18)	3
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम (2013-14)	7
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2015-16)	5
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम (2015 16)	5
7	हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (2019-20)	1
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2018 19)	2
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	3
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (नवनिर्मित जनवरी 2019)	3
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (2019-20)	1
12	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन सीमित (2018-19)	2
13	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	1
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2018-19)	2
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (2019-20)	1
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित (2018-19)	2
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2015-16)	5
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2018-19)	2
19	हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड (2019-20)	1
20	श्री नैना देवीजी व श्री आनंदपुर साहिबजी रोपवे लिमिटेड (2019-20 के दौरान निगमित)	2
21	रोपवे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड (2019-20)	1
22	शिमला जल प्रबंधन लिमिटेड (2016-17)	4
23	एग्री-इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (2013-14)	7
सकल योग		62

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ परिच्छेद 5.14.4)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों का नाम (लेखों को अंतिम रूप देने का वर्ष)	01 जनवरी 2021 व 30 नवंबर 2021 के मध्य अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या
1	ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20 व 2020-21)	2
2	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	1
3	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	1
4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2018-19, 2019-20 व 2020-21)	3
5	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (2019-20)	1
6	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (2019-20)	1
7	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित (2019-20 व 2020-21)	2
8	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	1
9	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित (2019-20)	1
10	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2017 18)	1
11	हिमाचल कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड 2019-20)	1
12	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन एचपी लिमिटेड (2019-20)	1
13	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2014-15 व 2015-16)	2
14	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2018 19)	1
15	हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (2019-20)	1
16	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2018-19)	1
17	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	1
18	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित (2018-19)	1
सकल योग		23

परिशिष्ट-5.7

(संदर्भ परिच्छेद 5.15)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनियों द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों अनुपालन न करना सूचित किया

क्र.सं.	कंपनी का नाम (लेखाओं को अंतिम रूप देने का वर्ष)	लेखा मानक/भारतीय लेखा मानक की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित (2019-20)	लेखा मानक 15 (01)
2	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2018-19)	लेखा मानक - 4,5, 15, 17, 22 (5)
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2017-18)	लेखा मानक -2, 4, 5, 9,15, 17, 20, 22, 28, 29 (10)
4	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2014-15)	लेखा मानक -15,28 (02)
5	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2015-16)	लेखा मानक -15, 28 (02)
6	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2019-20)	भारतीय लेखा मानक - 8 (1)
7	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2018-19)	भारतीय लेखा मानक -101, 18, 19, 16, 17, 36, 37, 7 (8)
8	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2019-20)	भारतीय लेखा मानक - 1, 20, 19, 37, 10, 113, 109, 107, 12, 8, 14, 116, & 40 (13)
9	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2020-21)	भारतीय लेखा मानक 1,8,10,12,14,19, 20, 36, 37,40, 13,109,107, 116, (14)

परिशिष्ट-5.8

(संदर्भ परिच्छेद 5.18)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची जहां प्रबंधन-पत्र जारी किए गए

क्र.सं.	कंपनी का नाम (लेखाओं को अंतिम रूप देने का वर्ष)	जारी किए गए प्रबंधन-पत्रों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2014-15 व 2015-16)	02
2	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2017-18)	01
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2017-18)	01
4	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (2018-19)	01
5	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2018-19 व 2019-20)	02
6	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (2019-20)	01
7	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम सीमित (2019-20)	01
8	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सीमित (2019-20)	01
9	शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित (2020-21)	01
सकल योग		11

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>